SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2026 का प्रतिवेदन सं. 2
(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त

पर प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2026 का प्रतिवेदन सं. 2

विषय-सूची

विषय	*पैराग्राफ*	*पृष्ठ सं.*
प्राक्कथन		vii
कार्यकारी सारांश		xi
अध्याय I: रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त का विहंगावलोकन		
रा.रा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा	1.1	1
रा.रा.क्षे. दिल्ली की जनसांख्यिकी	1.1.1	1
रा.रा.क्षे. दिल्ली की अर्थव्यवस्था	1.1.2	2
सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ.	1.1.2.1	2
स.रा.मू.व. में क्षेत्रीय योगदान	1.1.2.2	5
वित्त का आशुचित्र	1.1.3	7
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	1.1.4	9
सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का आशुचित्र	1.1.5	10
रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि	1.2	11
राजस्व प्राप्तियां	1.2.1	11
पूंजीगत प्राप्तियां	1.2.2	22
व्यय	1.2.3	23
राजस्व व्यय	1.2.3.1	27
पूंजीगत व्यय	1.2.3.2	33
आकस्मिकता निधि	1.3	40
राजकोषीय संधारणीयता	1.4	40
लोक देयता प्रबंधन	1.4.1	41
देयता प्रोफाइल: घटक	1.4.1.1	42
ऋण प्रोफ़ाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान	1.4.1.2	43
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न	1.4.2	43
ऋण स्थिरता विश्लेषण	1.4.3	44
राजकोषीय स्थिरता के मार्ग	1.4.4	47
रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व में सुधार	1.4.5	48

विषय	*पैराग्राफ*	*पृष्ठ सं.*
व्यय पक्ष से संबंधित मुद्दे	1.4.6	50
निष्कर्ष	1.5	51
सिफारिशें	1.6	53
अध्याय II: बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	2.1	55
बजट अनुमान और अपेक्षा और वास्तविक के बीच अंतर	2.2	56
बजट लक्ष्यप्राप्ति	2.3	58
विनियोग लेखे	2.4	60
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया	2.5	61
अतिरिक्त व्यय और उसका नियमितीकरण	2.5.1	61
अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए	2.5.2	62
निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग	2.5.3	63
अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग तथा/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण	2.5.4	63
बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक वित्तपोषण	2.5.5	65
त्रैमासिक व्यय सीमा का पालन न करना	2.5.6	66
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में चयनित केंद्र प्रयोजित योजनाओं का कार्यान्वयन	2.6	69
एकल नोडल एजेंसी	2.6.1	71
एकल नोडल एजेंसी-स्पर्श	2.6.2	72
चयनित अनुदान की समीक्षा ('अनुदान सं. 11- शहरी विकास और लोक निर्माण')	2.7	73
आकस्मिकता निधि	2.8	75
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.8.1	75
वाउचर लेखापरीक्षा अनियमितताएं	2.9	77
निष्कर्ष	2.10	81

विषय	*पैराग्राफ*	*पृष्ठ सं.*
सिफारिशें	2.11	82
अध्याय III: वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति		
सरकार की अभुक्त देयताएं	3.1	83
प्रतिदाय के लंबित मामले	3.1.1	83
सरकारी खातों के बाहर निधियां	3.2	84
दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)	3.2.1	84
उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) जमा करने में विलंब	3.3	86
संक्षिप्त आकस्मिक बिल	3.4	89
व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खाते	3.5	93
लघु शीर्ष-800 का प्रचालन	3.6	96
लेखांकन मानकों का अनुपालन	3.7	99
स्वायत्त निकायों के लेखाओं की प्रस्तुति	3.8	99
पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी)	3.9	101
वित्त लेखाओं के विवरणों में अन्य अशुद्धियां	3.10	103
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	3.11	108
निष्कर्ष	3.12	108
सिफारिशें	3.13	109

विषय	*परिशिष्ट सं.*	*पृष्ठ सं.*
परिशिष्ट		
रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़े	1.1	111
वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्तियों और संवितरण का सार	1.2	116
31 मार्च 2025 तक रा.रा.क्षे.दि.स. की वित्तीय स्थिति का सारांश	1.3	120
ऐसे मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 2 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.1	121
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोग (प्रत्येक मामले में ₹ 2 करोड़ या अधिक)	2.2	122
'अनुदान सं.11- शहरी विकास और लोक निर्माण' में निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग	2.3	124
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अभ्यर्पण के बाद बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान	2.4	127
वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निरंतर बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान	2.5	128
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बजट और बचत के उपयोग की अनुदान-वार प्रतिशतता	2.6	129
बचत जिसका अभ्यर्पण नहीं किया गया	2.7	130
वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 'अनुदान सं. 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण' के अंतर्गत विभिन्न शीर्षों में निरंतर बचत (₹ 10 करोड़ से अधिक)	2.8	132
नीतिगत पहल जिनमें कोई व्यय नहीं किया गया	2.9	133
नीतिगत पहल जहाँ परिशोधित परिव्यय में संपूर्ण बजट राशि का प्रत्याहरण किया गया	2.10	137

विषय	परिशिष्ट सं.	पृष्ठ सं.
'अनुदान सं.11-शहरी विकास और लोक निर्माण' की बिना व्यय वाली नीतिगत पहल	2.11	140
नीतिगत पहल जहाँ 'अनुदान सं. 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण' के परिशोधित परिव्यय में संपूर्ण बजट राशि का प्रत्याहरण किया गया	2.12	142
अंतिम तिमाही और अंतिम महीने के दौरान शीर्ष-वार व्यय की अधिकता	2.13	144
उप-शीर्ष जहाँ मार्च 2025 में संपूर्ण व्यय किया गया	2.14	145
'अनुदान संख्या 11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण' में व्यय की अधिकता	2.15	146
31 मार्च 2025 तक देय, प्राप्त, समाशोधित और बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण	3.1	148
डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (महा पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायलय)	3.2	150
डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल)	3.3	151
डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (लोक नायक अस्पताल)	3.4	152
डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला)	3.5	153
डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (पुरातत्व विभाग)	3.6	154
ऋण और अग्रिमों का बकाया	3.7	155
वित्त लेखाओं के विभिन्न विवरणों में निवेश संबंधी संचयी आंकड़ों में अंतर	3.8	156
मार्च 2025 के अंत तक निवेश का विवरण	3.9	157

प्राक्कथन

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि उसे रा.रा.क्षे.दिल्ली की विधानसभा के समक्ष रखा जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्तीय निष्पादन का आकलन करना और वित्तीय आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर विधानसभा को इनपुट प्रदान करना है। इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं।

अध्याय I- रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है और रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसमें घाटे/अधिशेष और ऋण प्रोफाइल सहित प्रमुख सूचकांकों और रा.रा.क्षे.दि.स. की राजकोषीय स्थिति का वृहद-राजकोषीय विश्लेषण शामिल है।

अध्याय II - बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोग लेखाओं पर आधारित है और सरकार के विनियोग और आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलनों के संबंध में रिपोर्ट करता है।

अध्याय III - वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति

यह अध्याय रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखाओं की गुणवत्ता और रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

विभिन्न विभागों में लेन-देन की निष्पादन लेखापरीक्षा और लखापरीक्षा के निष्कर्षों और सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से

उत्पन्न अभ्युक्तियों वाले प्रतिवेदन और राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियों वाले प्रतिवेदन को पृथक से प्रस्तुत किया जाता है।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण

रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार अधिनियम,1991 की धारा 48 के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के प्रतिवेदन उस राज्य के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने होते हैं, जो उन्हें रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधानसभा के समक्ष रखवाएंगे। लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे.दि.स. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों और प्रारंभिक और सहायक लेखाओं के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर रा.रा.क्षे.दि.स. के वार्षिक वित्त लेखाओं और विनियोग लेखाओं का संकलन करता है। इन लेखाओं की महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं और विनियोग लेखाओं से इस प्रतिवेदन के लिए मुख्य आंकड़े तैयार होते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रा.रा.क्षे.दि.स. का बजट: अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों और आबंटन प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और संगत नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए।

- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम।

- विभागीय प्राधिकरणों और कोषागारों (लेखांकन तथा एमआईएस) से संबंधित अन्य आंकड़े। स.रा.घ.उ. आंकड़े और रा.रा.क्षे.दि.स. से संबंधित अन्य आंकड़े।

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- भारत सरकार (जीओआई) की सर्वोत्तम पद्धतियां और दिशा-निर्देश।

वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा जनवरी 2026 में टिप्पणियों के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. को भेजा गया था। अपर मुख्य सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे.दि.स. से निर्गम सम्मलेन आयोजित करने के लिए एक सुविधाजनक तिथि सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया है, जिसका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)। फरवरी 2026 तक रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त उत्तरों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

सरकारी लेखा संरचना

रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है।

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की समेकित निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 46)

इस निधि में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा लिए गए सभी ऋण (केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण) और ऋणों के पुनर्भुगतान में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी धन शामिल हैं। विधि और भारत के संविधान द्वारा उपबंधित किए गए उद्देश्यों और तरीके के अतिरिक्त इस निधि से कोई धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण चुकौती आदि), रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि (प्रभारित व्यय) पर एक प्रभार का गठन करती हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) के लिए विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की आकस्मिकता निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 47)

यह निधि अग्रदाय की प्रकृति की है जिसे रा.रा.क्षे.दि.स. की विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित किया गया है और विधानसभा द्वारा ऐसे व्यय के प्राधिकार के लंबित होने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम दिए जाने को सक्षम बनाने के लिए उपराज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है।

रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को घटाकर निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. लोक लेखा

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लिए अलग से कोई लोक लेखा नहीं है और लोक लेखा से संबंधित लेन-देन (जमा, अग्रिम, आरक्षित निधियां, प्रेषण और उचंत) का केंद्र सरकार के लोक लेखा में विलय कर दिया जाता है। रा.रा.क्षे.दि.स. के अंतिम शेष को केंद्र सरकार के सामान्य नकद शेष के साथ विलय कर दिया जाता है और उसका हिस्सा बन जाता है इसे केंद्र सरकार के पास जमा राशि के रूप में माना जाता है।

रा.रा.क्षे.दि.स. के सरकारी लेखाओं की संरचना

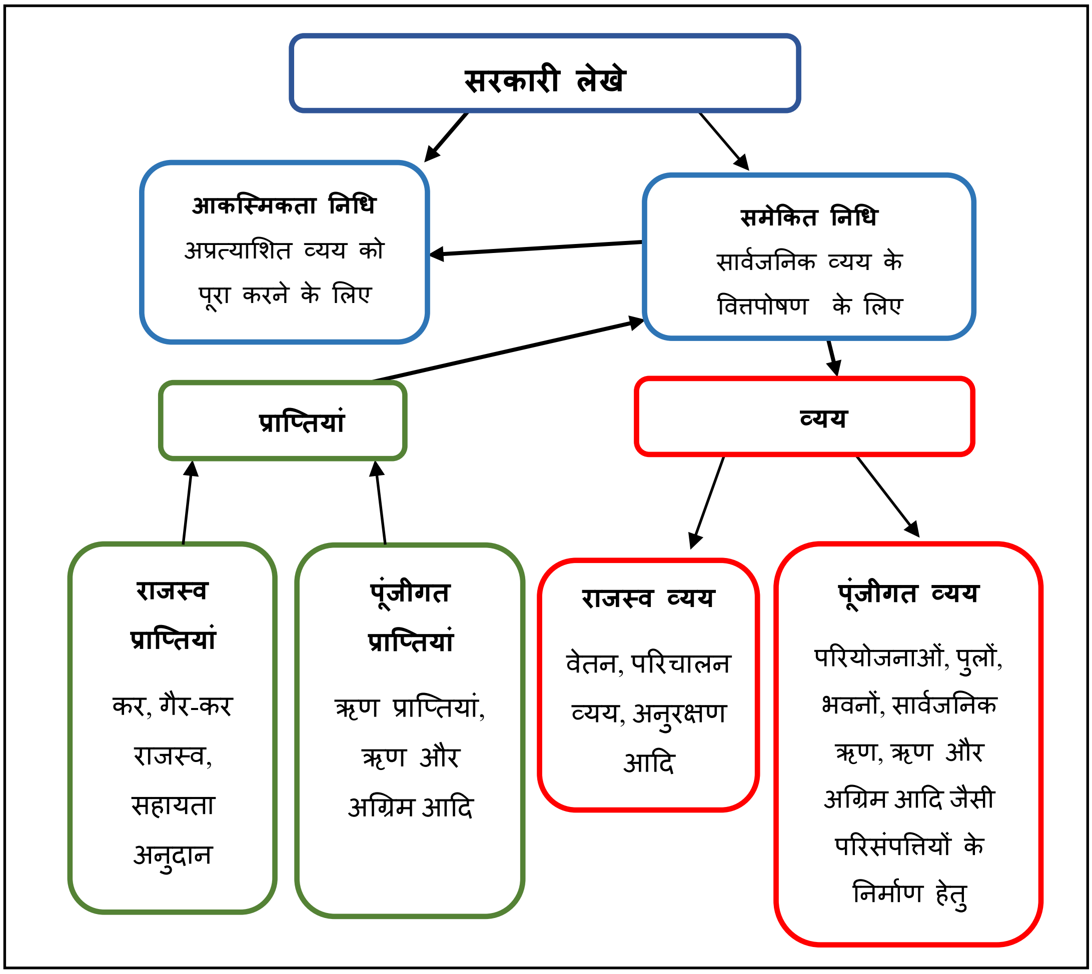

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के वित्त पर यह प्रतिवेदन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली सरकार की राजकोषीय स्थिति का एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करता है। यह रा.रा.क्षे.दि.स. के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य का विश्लेषण करता है और इसके राजस्व और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करता है, इसकी ऋण स्थिति का आकलन करता है, राजकोषीय दायित्व संबंधी विधियों के अनुपालन का मूल्यांकन करता है और राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतकों के प्रति इसके निष्पादन की तुलना करता है।

आर्थिक विकास और स.रा.घ.उ.

रा.रा.क्षे. दिल्ली की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 12.15 लाख करोड़ के स.रा.घ.उ. के साथ पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.17 *प्रतिशत* की अच्छी वृद्धि दर्ज की। रा.रा.क्षे. दिल्ली ने 2024-25 में भारत के स.घ.उ. में 3.67 *प्रतिशत* का योगदान दिया।

2015-2025 की अवधि के दौरान सीएजीआर द्वारा मापी गई प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि (6.39 *प्रतिशत*) इसी अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति स.घ.उ. (8.14 *प्रतिशत*) में वार्षिक वृद्धि से कम रही। इसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि रा.रा.क्षे. दिल्ली का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. जो 2015-16 में देश के प्रति व्यक्ति स.घ.उ. से 177.07 *प्रतिशत* अधिक था, 2024-25 के अंत में घटकर 135.34 *प्रतिशत* हो गया। यह देश के बाकी हिस्सों की तुलना में रा.रा.क्षे.दि. के आर्थिक विकास की धीमी गति को दर्शाता है।

राजस्व प्राप्तियां

यह पाया गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. की राजस्व प्राप्तियों में 9.57 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है, जो उच्च कर संग्रहण, विशेष रूप से जीएसटी के कारण है। तथापि, गैर-कर राजस्व वृद्धि ऋणात्मक (-11.04 *प्रतिशत*) थी और केंद्र से प्राप्त अनुदान में गिरावट आई। रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने राजस्व निष्पादन में सुधार

हुआ है और पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय सहायता अनुदान पर निर्भरता में काफी गिरावट आई है।

राजस्व व्यय

रा.रा.क्षे.दि.स. के व्यय में राजस्व व्यय (88.38 *प्रतिशत*) की उच्च वृद्धि प्रबल थी, विशेष रूप से प्रतिबद्ध लागत और सब्सिडी के कारण पूंजी निवेश के लिए सीमित राजकोषीय गुंजाइश थी। 2015-25 की अवधि के दौरान सब्सिडी में ₹ 3,222 करोड़ (172.48 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से विद्युत सब्सिडी में ₹ 2,033 करोड़ (128.83 *प्रतिशत*) तक की वृद्धि के कारण थी।

पूंजीगत व्यय

2015-25 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में कुल व्यय के 7 *प्रतिशत* से 15 *प्रतिशत* तक की गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई, जो अवसंरचना निवेश और पूंजी निर्माण में बाधाओं को दर्शाता है।

पूंजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि के बजाय गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है, जो दीर्घकालिक परिसंपत्तियों और अवसंरचना में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश में कमी का संकेत देता है। वर्ष 2021-22 में, यह ₹ 8,311 करोड़ था जो क्रमशः घटकर वर्ष 2024-25 में ₹ 3,695 करोड़ हो गया। पिछले कुछ वर्षों में, अर्थव्यवस्था के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का समग्र हिस्सा घटता जा रहा है, जिससे पता चलता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपने विकास उद्देश्यों के अनुरूप परिसंपत्ति निर्माण को लगातार प्राथमिकता नहीं दी है। यह पैटर्न अवसंरचना और विकास कार्यक्रमों में निरंतर निवेश के लिए सीमित राजकोषीय स्थान का संकेत देता है, जो संभावित रूप से दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सेवा वितरण को प्रभावित करता है।

क्षेत्रीय व्यय

क्षेत्र-वार व्यय पैटर्न दर्शाता है कि व्यय में सामाजिक सेवाएं प्रबल हैं (कुल व्यय का 49 से 55 *प्रतिशत*) जो स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे कल्याणकारी और सामाजिक विकास कार्यक्रमों पर सरकार के विशेष ध्यान को दर्शाता है। यद्यपि सामाजिक कल्याण पर यह विशेष ध्यान उल्लेखनीय है,

परंतु दीर्घकालिक विकास को कम किए बिना ऋण दायित्वों और कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं दोनों की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए संसाधन आबंटन को अनुकूलित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

स्थानीय निकायों और संस्थाओं को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं के संबंध में, हमने देखा कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को 6 से 27 *प्रतिशत* तक की बहुत कम वित्तीय सहायता दी गई थी, जो यह दर्शाता है कि 2015-2025 के दौरान 73 से 94 *प्रतिशत* तक की अधिकांश सहायता स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं के दिन-प्रति-दिन के व्यय के लिए दी जा रही थी।

निवेश

सरकारी कंपनियों और निगमों में निवेश ₹ 18,492 करोड़ (2015-16) से बढ़कर ₹ 21,810 करोड़ (2024-25) हो गया है, परंतु रिटर्न नगण्य (1 *प्रतिशत* से कम) बना हुआ है, जो उधार की 7.6-8.7 *प्रतिशत* लागत से बहुत कम है, जो सार्वजनिक धन के अकुशल उपयोग और राजकोषीय तनाव को दर्शाता है। कुछ संस्थाएं लाभांश की घोषणा करती हैं, जब कि निष्क्रिय या अलाभकारी इकाइयों में बड़ी रकम अवरुद्ध रहती है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुरूप एक प्रभावी लाभांश नीति के अभाव और कमज़ोर विभागीय निगरानी के कारण, अनुपालन की स्थिति खराब है। रा.रा.क्षे.दि.स. को रिटर्न में सुधार और राजकोषीय भार को कम करने के लिए अलाभकारी संस्थाओं की व्यवहार्यता की समीक्षा करने, विनिवेश पर विचार करने और लाभांश घोषणाओं को लागू करने की आवश्यकता है।

ऋण संधारणीयता

कुल मिलाकर, रा.रा.क्षे.दि.स. का ऋण प्रक्षेप-पथ राजकोषीय तनाव का कम जोखिम, अनुशासित उधारी और अनुकूल संधारणीयता संकेतकों को दर्शाता है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है कि

उधारी मुख्य रूप से चुकौतियों द्वारा अवशोषित होने के बजाय विकास बढ़ाने वाले निवेश का समर्थन करें।

अतः, संभावित विकास को प्राप्त करने और उसमें तेज़ी लाने के लिए भौतिक और मानव पूंजी निर्माण में निरंतर निवेश व्यय के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु रा.रा.क्षे.दि.स. को अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अतिरिक्त कर संसाधन मुख्य रूप से बेहतर कर संग्रहण तथा गैर-कर राजस्व बढ़ाने के अन्य उपायों के साथ-साथ अनुपालन बढ़ाने के लिए प्रवर्तन को मज़बूत करने से आने चाहिए।

निष्कर्ष

दीर्घकालिक राजकोषीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए राजस्व वृद्धि, बेहतर व्यय नियंत्रण और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। समय पर लेखांकन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने में पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए। अधिक विवेकपूर्ण बजट प्रावधान के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

****

अध्याय-I

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त का विहंगावलोकन

अध्याय-I: रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के 2024-25 के वित्त का एक आशुचित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, आर्थिक संकेतक और इसकी राजकोषीय संरचना शामिल हैं। यह राजस्व और व्यय, ऋण स्तरों और राजकोषीय घाटों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है, निरंतर असंतुलन और उधारी पर निर्भरता को उजागर करता है। इस अध्याय में उच्च प्रतिबद्ध व्यय, निवेश पर कम प्रतिफल, सब्सिडी का भार, वित्तीय स्थिरता आदि जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा

दिल्ली, उत्तरी भारत में मुख्य रूप से एक गैर-कृषि क्षेत्र है, जो 1,483 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 11 जिले और लगभग 112 गांव (2011 की जनगणना के अनुसार) शामिल हैं। भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमानों 2011-2036 के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2025 के लिए (1 अक्टूबर) अनुमानित जनसंख्या 2.24 करोड़ थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 1.5 *प्रतिशत* है, जिसका घनत्व 13,871 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

1.1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली की जनसांख्यिकी

राष्ट्रीय औसत की तुलना में रा.रा.क्षे. दिल्ली का जनसांख्यिकीय विवरण नीचे **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1: रा.रा.क्षे. दिल्ली की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

जनसांख्यिकीय संकेतक	दिल्ली	राष्ट्रीय औसत
ग्रामीण जनसंख्या (*प्रतिशत*) *(भारत की जनगणना 2011)*	2.50	68.86
शहरी जनसंख्या (*प्रतिशत*) *(भारत की जनगणना 2011)*	97.50	31.14
जनसंख्या घनत्व *(भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036)*	13,871 प्रति वर्ग कि.मी.	414 प्रति वर्ग कि.मी.
प्रति 1,000 पुरुषों पर लिंग अनुपात *(भारत की जनगणना, 2011)*	882	947

जनसांख्यिकीय संकेतक	दिल्ली	राष्ट्रीय औसत
प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर *(नमूना पंजीकरण प्रणाली, सांख्यिकीय रिपोर्ट 2020)*	14.00	25.00
प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर *(मातृ मृत्यु दर बुलेटिन)*	0.45	0.88
कुल प्रजनन दर *(एनएफएचएस-5, 2019-21)*	1.62	1.99
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा *(जनसंख्या अनुमान 2020 पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट)*	74.20	70.30
गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या *(बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2023, नीति आयोग)*	16.96 लाख	3,600 लाख
साक्षरता दर *(एनसीएस रिपोर्ट, 2012-18)*	86.90 *प्रतिशत*	80.90 *प्रतिशत*

कलर कोड: लाल रंग तनाव को दर्शाता है जबकि हरा रंग राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर स्थिति को दर्शाता है

1.1.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली की अर्थव्यवस्था

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) और प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. रा.रा.क्षे.दि.स. की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं जैसा कि अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

1.1.2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ.

सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है, जबकि स.रा.घ.उ. राज्य/रा.रा.क्षे. स्तर पर इसे मापता है और दोनों आर्थिक विकास और समग्र प्रगति को दर्शाते हैं। स.रा.घ.उ. और स.घ.उ. की प्रवृत्तियां **तालिका 1.2** में दी गई हैं। स.रा.घ.उ. और स.घ.उ. की वर्ष-वार वृद्धि और स.घ.उ. में स.रा.घ.उ. का योगदान **चार्ट 1.1** में दिया गया है और देश के प्रति व्यक्ति स.घ.उ. और रा.रा.क्षे.दि. के प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. को **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: भारत के स.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ.[1] की प्रवृत्तियां (वर्तमान मूल्यों पर)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भारत का स.घ.उ. *(₹ लाख करोड़ में)*	137.72	153.92	170.90	189.00	201.03	198.54	235.97	268.90	301.23	330.68
दिल्ली का स.रा.घ.उ. *(₹ लाख करोड़ में)*	5.51	6.16	6.78	7.38	7.93	7.44	8.71	10.00	11.13	12.15
स.घ.उ. में स.रा.घ.उ. का हिस्सा *(प्रतिशत में)*	4.00	4.01	3.97	3.91	3.95	3.75	3.69	3.72	3.69	3.67
भारत का प्रति व्यक्ति स.घ.उ. *(₹ में)*	1,07,341	1,18,489	1,30,061	1,42,424	1,49,915	1,46,480	1,72,422	1,94,451	2,15,935	2,34,859
दिल्ली का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. *(₹ में)*	2,97,410	3,26,005	3,51,663	3,75,656	3,95,763	3,64,592	4,18,551	4,71,691	5,15,520	5,52,726

कलर कोड: हरा रंग राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर स्थिति को दर्शाता है

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 1.1: स.रा.घ.उ., स.घ.उ. और स.घ.उ. में स.रा.घ.उ. के हिस्से की वर्ष-वार वृद्धि दर

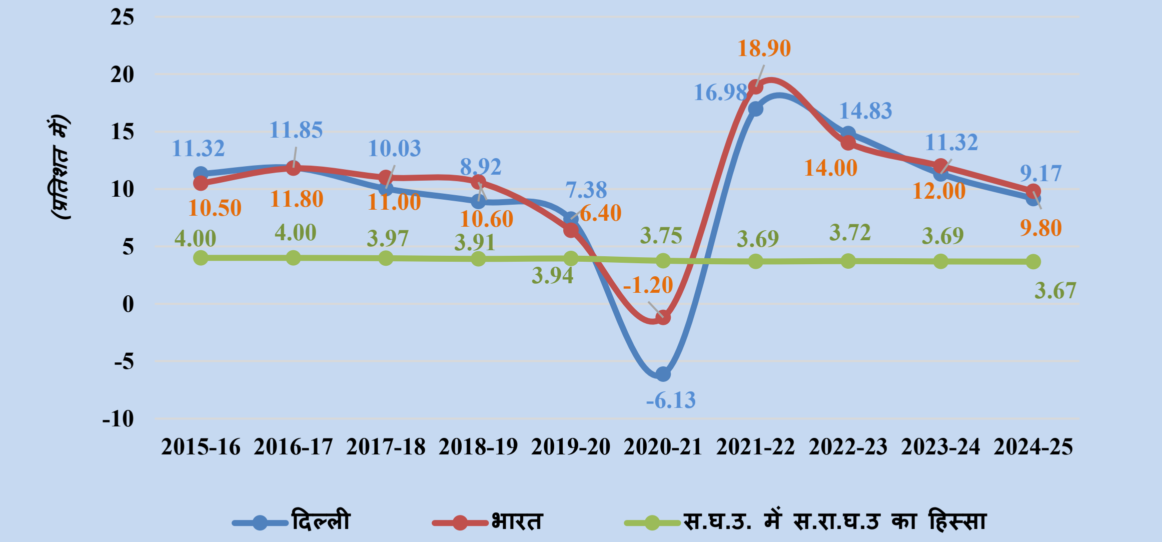

---

[1] **स.रा.घ.उ.**: 2020-21 और 2021-22 के लिए वास्तविक आंकड़े; 2022-23 के लिए अनंतिम अनुमान (पीई), 2023-24 के लिए त्वरित अनुमान (क्यूई) और 2024-25 के लिए अग्रिम अनुमान (एई) **स.घ.उ.**: 2020-21, 2021-22 और 2023-24 के लिए वास्तविक आंकड़े; एफआरई: 2023-24 के लिए प्रथम परिशोधित अनुमान और पीई: 2024-25 के लिए अनंतिम अनुमान।

चार्ट 1.2: भारत का प्रति व्यक्ति स.घ.उ. और दिल्ली का स.रा.घ.उ.

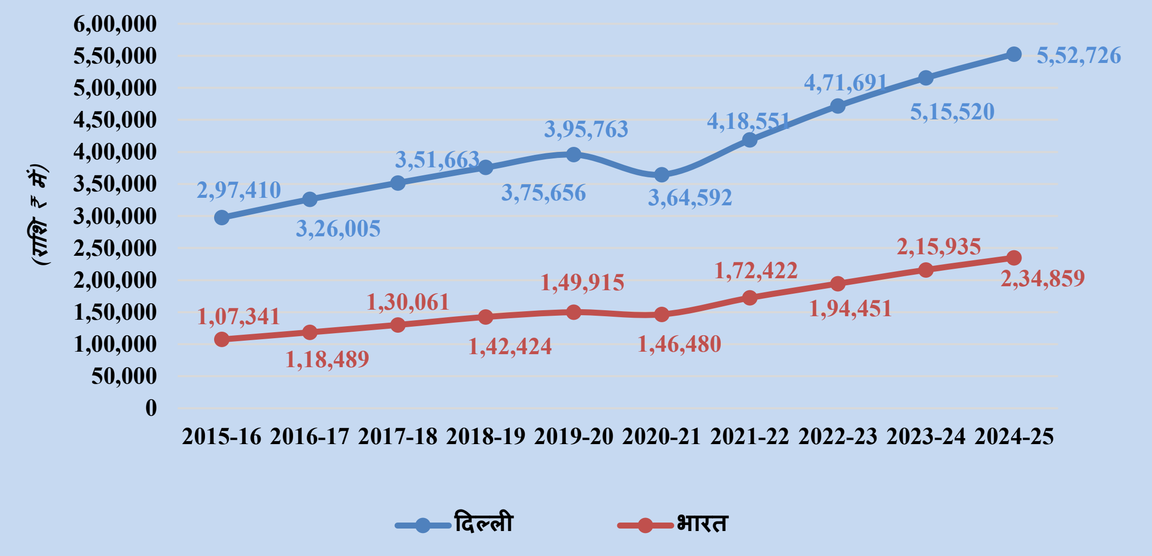

वित्त वर्ष 2024-25 में स.रा.घ.उ. और स.घ.उ., वर्तमान मूल्यों पर, क्रमशः ₹ 12.15 लाख करोड़ और ₹ 330.68 लाख करोड़ था। स.रा.घ.उ. (वर्तमान मूल्यों पर) वित्त वर्ष 2015-16 में ₹ 5.51 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 12.15 लाख करोड़ हो गया, जिसमें 8.23 *प्रतिशत* की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई।

पिछले दस वर्षों के दौरान दर्ज किए गए स.घ.उ. में स.रा.घ.उ. का योगदान कुल मिलाकर घटता हुआ दिखा, यह 2015-16 के 4 *प्रतिशत* से घटकर 2024-25 में 3.67 *प्रतिशत* रह गया **(चार्ट 1.1)**। यह दर्शाता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. की वृद्धि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. हमेशा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति स.घ.उ. से अधिक रहा और 2024-25 के दौरान यह राष्ट्रीय औसत से 135.34 *प्रतिशत* अधिक था **(चार्ट 1.2)**। यह मुख्य रूप से दिल्ली की अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की ओर अधिक झुकाव के कारण है, जिसमें आमतौर पर प्रति व्यक्ति उत्पादकता अधिक होती है **(चार्ट 1.3)**।

इसके अतिरिक्त, 2015-2025 की अवधि के दौरान सीएजीआर द्वारा मापी गई प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि (6.39 *प्रतिशत*), इसी अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति स.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि (8.14 *प्रतिशत*) से कम रही। इसका

प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि रा.रा.क्षे. दिल्ली का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. जो 2015-16 में देश के प्रति व्यक्ति स.घ.उ. से 177.07 *प्रतिशत* अधिक था, 2024-25 के अंत में घटकर 135.34 *प्रतिशत* हो गया। यह देश के शेष भागों की अपेक्षा रा.रा.क्षे.दि. की थोड़ी धीमी आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है।

1.1.2.2 स.रा.मू.व. में क्षेत्रीय योगदान

2024-25 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों द्वारा क्षेत्रीय योगदान और पिछले दस वर्षों के दौरान स.रा.मू.व. में क्षेत्रीय वृद्धि को क्रमशः **चार्ट 1.3** और **चार्ट 1.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: वर्ष 2024-25 में स.रा.मू.व. में क्षेत्रीय योगदान

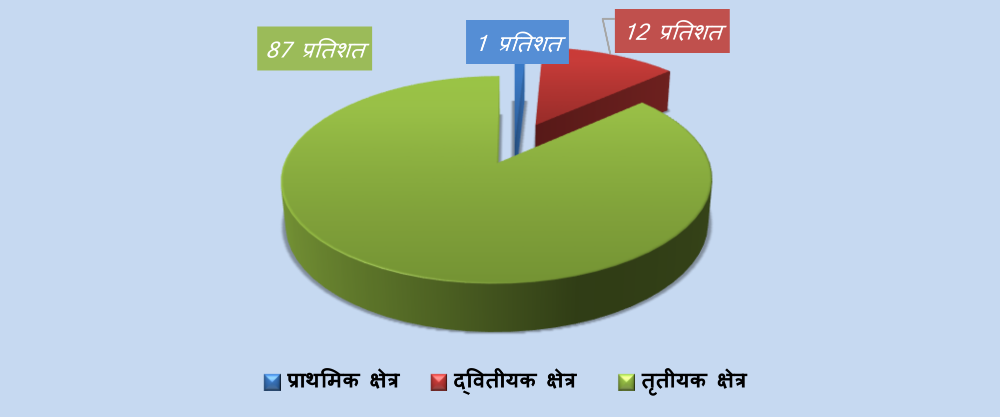

चार्ट 1.4: पिछले कुछ वर्षों में स.रा.मू.व. में क्षेत्रीय वृद्धि

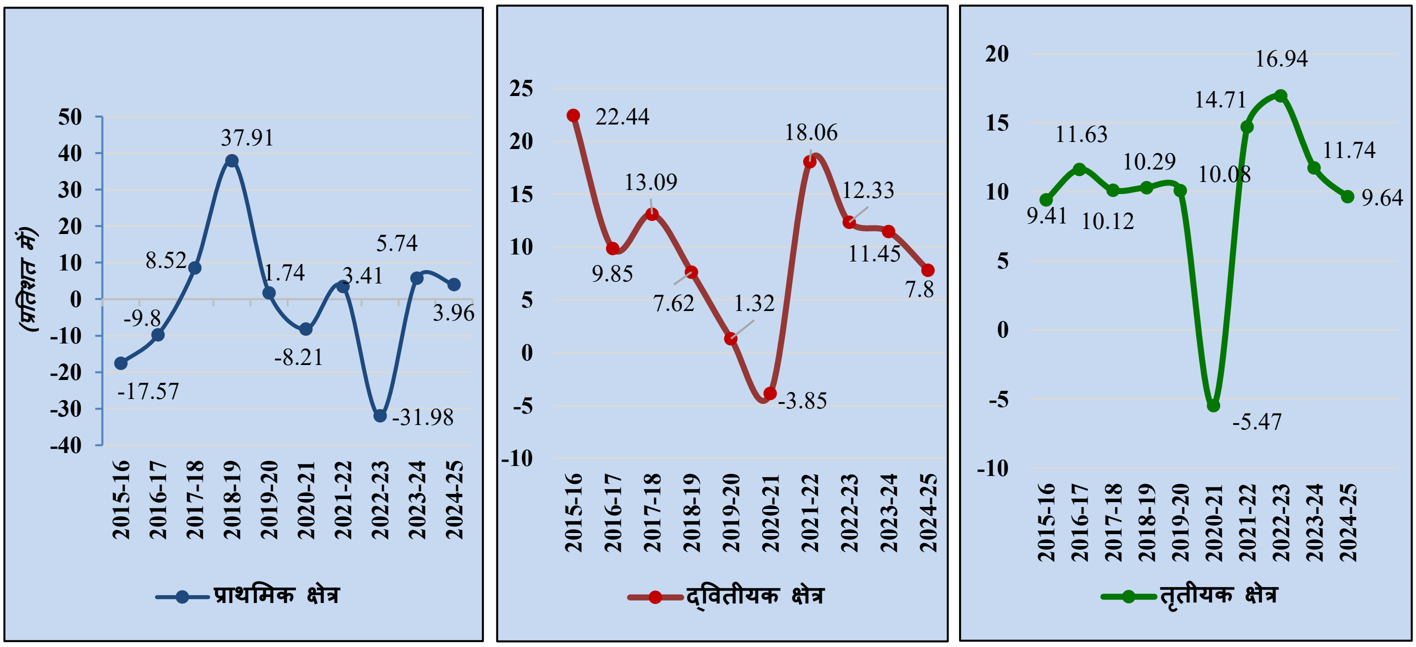

स्रोत: अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. और एमओएसपीआई

सभी तीनों क्षेत्रों में स.रा.मू.व. में क्षेत्रीय वृद्धि में पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 के दौरान गिरावट दर्ज की गई **(चार्ट 1.4)**।

चार्ट 1.5: क्षेत्र-वार वितरण, वित्त वर्ष 2024-25

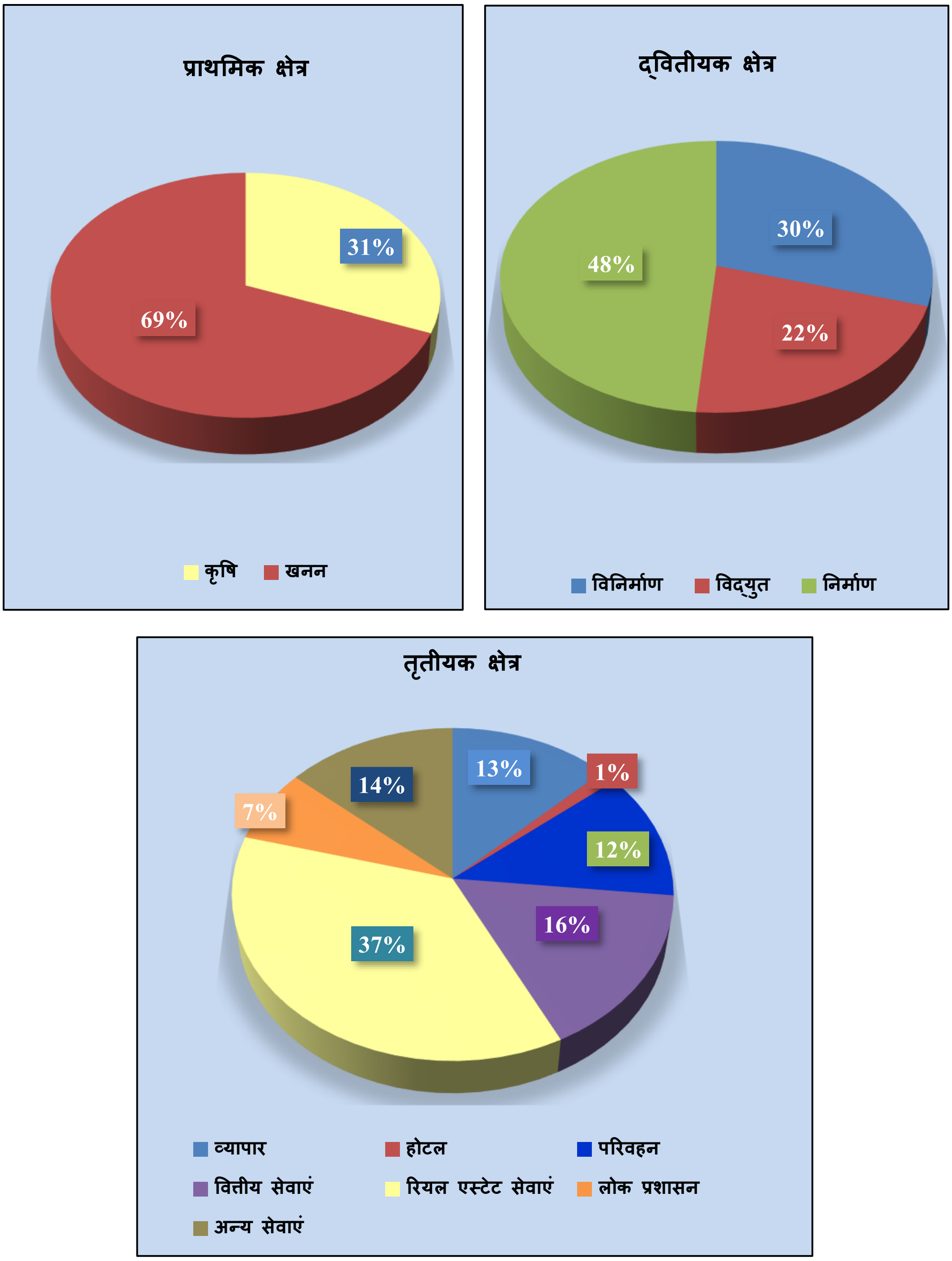

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 1.5 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र की संरचना को उसके प्रमुख योगदान वाले क्षेत्रों के संदर्भ में दर्शाता है।

यह पाया गया है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा-उन्मुख बनी हुई है, जिसमें तृतीयक क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा (87 *प्रतिशत*) है। सेवाओं के अंतर्गत, रियल एस्टेट सेवाओं (37 *प्रतिशत*) का प्रभुत्व स्पष्ट है, जो दिल्ली की स्थिति को एक वाणिज्यिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में दर्शाता है। इस क्षेत्र ने बड़े पैमाने पर स्थिरता और निरंतर विकास दिखाया है, जिससे यह स.रा.घ.उ. विस्तार का प्रमुख चालक बन गया है।

द्वितीयक क्षेत्र निर्माण द्वारा संचालित है, जो इस क्षेत्र के उत्पादन का लगभग आधा भाग है, जो विकास का समर्थन करने में रियल एस्टेट और अवसंरचना विकास के महत्व को दर्शाता है। विनिर्माण और विद्युत क्षेत्र का योगदान मध्यम है, और इनकी भागीदारी काफी हद तक स्थिर बनी हुई है।

प्राथमिक क्षेत्र का योगदान न्यूनतम है, जिसमें खनन[2] इसके पहले से ही छोटे आधार का बड़ा भाग है। कृषि का नगण्य भाग दिल्ली के शहरी स्वरूप और सीमित कृषि योग्य भूमि के अनुरूप है।

1.1.3 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.3 में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वास्तविक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान (बीई), परिशोधित अनुमान (आरई) और स.रा.घ.उ. का विवरण दर्शाया गया है।

---

2 यद्यपि दिल्ली में कोई खान नहीं है, खनन प्राप्तियां दिल्ली में स्थित खनन कंपनियों के मुख्यालय में स्थित कर्मचारियों की आय से संबंधित हैं।

तालिका 1.3: वित्त का आशुचित्र

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	घटक	2023-24 (वास्तविक आंकड़े)	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2024-25 (वास्तविक आंकड़े)	2024-25 बीई की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता	2024-25 स.रा.घ.उ. की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	53,681	58,750	59,200	59,458	101.21	4.89
(i)	स्वयं कर राजस्व	53,681	58,750	59,200	59,458	101.21	4.89
(ii)	केंद्रीय करों/शुल्कों का हिस्सा	0	0	0	0	0	0.00
2.	गैर-कर राजस्व	1,024	1,000	600	911	91.10	0.07
3.	सहायता अनुदान और अंशदान	2,093	4,392	3,219	1,864	42.44	0.15
4.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**56,798**	**64,142**	**63,019**	**62,233**	97.02	5.12
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	98	379	43	48	12.66	0.00
6.	उधारी और अन्य देयताएं*	3,934	10,000	3,980	(-)5,724	(-)57.24	(-)0.47
7.	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6)**	**4,032**	**10,379**	**4,023**	**(-)5,676**	(-)54.69	(-)0.47
8.	**कुल प्राप्तियां (4+7)**	**60,830**	**74,521**	**67,042**	**56,557**	75.89	4.65
9.	**राजस्व व्यय**	**50,336**	**60,911**	**54,706**	**49,986**	82.06	4.11
10.	ब्याज भुगतान @	3,094	2,666	2,666	2,666	100.00	0.22
11.	पूंजीगत व्यय	6,855	5,919	4,857	3,695	62.43	0.30
12 (क)	ऋण एवं अग्रिम	3,639	4,256	5,023	2,876	67.58	0.24
12 (ख)	लोक ऋण	4,994	4,914	4,914	4,914	100.00	0.40
13.	**कुल व्यय (9+11+12(ए))**	**60,830**	**71,086**	**64,586**	**56,557**	79.56	4.65
14.	**राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (4-9)**	**6,462**	**3,231**	**8,313**	**12,247**	379.05	1.01
15.	**राजकोषीय अधिशेष (+)/ घाटा (-) {(4+5)-(13)}**	**(-)3,934**	**(-)6,565**	**-1,524**	**5,724**	-87.18	0.47
16.	**प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष(+) (10+15)**	**(-)840**	**(-)3,899**	**1,142**	**8,390**	(-) 215.13	0.69

कलर कोड: लाल पिछले वर्ष की तुलना में तनाव को दर्शाता है

स्रोत: वित्त लेखे

**उधारी और अन्य देयताएं: लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियां - संवितरण) + प्रारंभिक शेष और अंत शेष राशि का निवल।*

@ क्रम संख्या 9 में दर्शाए गए राजस्व व्यय में शामिल है

पूंजीगत व्यय वर्ष 2023-24 के ₹ 6,855 करोड़ की तुलना में वर्ष 2024-25 में घटकर ₹ 3,695 करोड़ रह गया है। यह गिरावट विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय में कमी के कारण हुई, जैसे मुख्य शीर्ष 5054 - सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के ₹ 1,936.14 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 909.30 करोड़, मुख्य शीर्ष 5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के ₹ 1,448 करोड़ से घट कर 2024-25 में ₹ 390 करोड़ और मुख्य शीर्ष 4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति-सामान्य शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के ₹ 637.43 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 263.97 करोड़। वित्त वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त संबंधी विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिए गए हैं।

1.1.4 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

चालू वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. की निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग के घटकों की तुलना **चार्ट 1.6 और चार्ट 1.7** में दी गई है।

(₹ करोड़ में)

चार्ट 1.6: वर्ष 2024-25 के दौरान निधियों के स्रोतों का विवरण

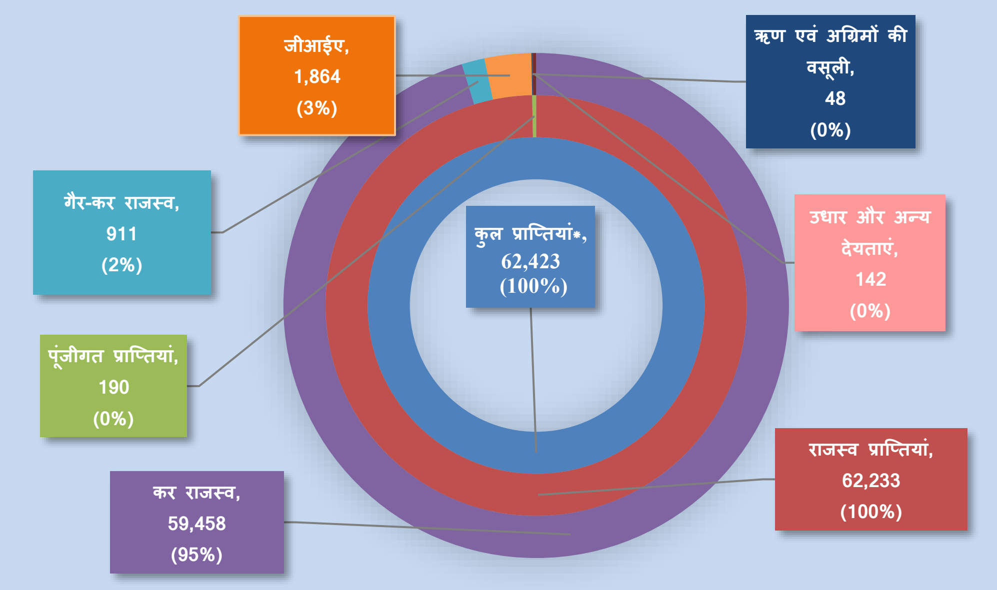

स्रोत: वित्त लेखे, रा.रा.क्षे.दि.स.

** ऊपर दिए गए ग्राफ में दर्शाई गई कुल प्राप्तियां तालिका 1.3 से इसलिए भिन्न हैं क्योंकि इसमें समेकित निधि के प्रारंभिक तथा अंतिम शेषों को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही ऋण प्राप्तियों को पूर्ण रूप से लिया गया है न कि उन्हें समायोजित किया गया है।*

(₹ करोड़ में)

चार्ट 1.7: वर्ष 2024-25 के दौरान निधियों के अनुप्रयोग का विवरण

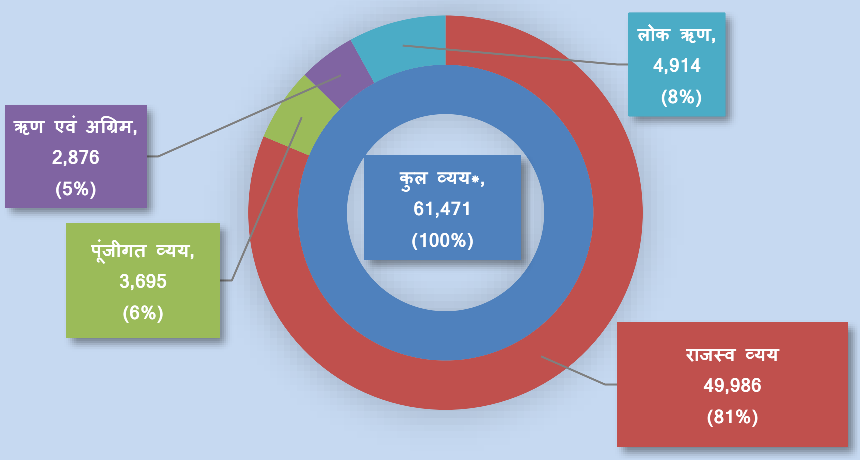

स्रोत: वित्त लेखे, रा.रा.क्षे.दि.स.

** ₹ 4,914 करोड़ के लोक ऋण को शामिल करने के कारण कुल व्यय तालिका 1.3 से भिन्न है।*

परिशिष्ट 1.2 में पिछले वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. की प्राप्तियों और संवितरणों तथा समग्र राजकोषीय स्थिति का विवरण दिया गया है।

उपर्युक्त मापदंडों का विश्लेषण आगामी पैराग्राफों में दिया गया है।

1.1.5 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का आशुचित्र

सरकारी लेखाओं में अन्य बातों के साथ-साथ सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों का विवरण दर्ज होता है। **परिशिष्ट 1.3** में 31 मार्च 2025 तक की ऐसी देयताओं और परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जिसकी तुलना पिछले वर्ष की इसी स्थिति से की गई है। देयताओं में मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय का शेष, 1994-95 के दौरान महा लेखा नियंत्रक से अंगीकार किए गए ऋणों और अग्रिमों का शेष, भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम तथा राजस्व लेखाओं में संचित अधिशेष शामिल हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से सकल पूंजीगत व्यय, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और भारत सरकार के सामान्य नकद शेष के साथ विलय किए गए अंत शेष शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					परिसंपत्तियां				
विवरण		2023-24	2024-25	*प्रतिशत* वृद्धि/कमी	विवरण		2023-24	2024-25	*प्रतिशत* वृद्धि/कमी
समेकित निधि									
क	भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम*	47,387.00	42,614.00	(-)10.07	क	सकल पूंजीगत व्यय	98,215.00	1,01,910.00	3.76
ख	1994-95 के दौरान सीजीए से अपनाए गए पूंजीगत परिव्यय का संतुलन	1,588.00	1,588.00	0	ख	ऋण एवं अग्रिम	77,821.00	80,649.00	3.63
ग	1994-95 के दौरान सीजीए से अपनाए गए ऋण एवं अग्रिमों का शेष	3,356.00	3,356.00	0	ग	अंतशेष का भारत सरकार के सामान्य नकद शेष के साथ विलय कर दिया गया	5,523.00	6,474.00	17.22
आकस्मिकता निधि		**100.00**	**100.00**	**0**					
घ	राजस्व लेखाओं में संचयी अधिशेष	1,29,128.00	1,41,375.00	9.48					
कुल		**1,81,559.00**	**1,89,033.00**	**4.12**		**कुल**	**1,81,559.00**	**1,89,033.00**	**4.12**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

** इसमें ₹ 12,058 करोड़ (2020-21 में ₹ 5,865 करोड़ और 2021-22 में ₹ 6,193 करोड़) के बैक-टू-बैक ऋण शामिल हैं।*

1.2 रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ऋणों की चुकौती में प्राप्त सभी धन, रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि का हिस्सा बनता है।

1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

दस वर्ष की अवधि (2015-25) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के संबंध में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और वृद्धि को **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व प्राप्तियां	34,999	34,346	38,667	43,113	47,136	41,864	49,313	62,703	56,798	62,233
कर राजस्व	30,226	31,140	35,717	36,625	36,566	29,425	40,019	47,363	53,681	59,458
स्वयं कर राजस्व (क)	30,226	31,140	35,717	36,625	36,566	29,425	40,019	47,363	53,681	59,458
गैर-कर राजस्व (ख)	515	381	766	644	1,097	980	827	581	1,024	911
भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान	4,258	2,825	2,184	5,844	9,473	11,459	8,467	14,759	2,093	1,864
रा.रा.क्षे.दि.स. का स्वयं राजस्व (क+ख)	30,741	31,521	36,483	37,269	37,663	30,405	40,846	47,944	54,705	60,369
स.रा.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला) (लाख करोड़ में)[3]	5.51	6.16	6.78	7.38	7.93	7.44	8.71	10.00	11.13	12.15
वृद्धि दर										
राजस्व प्राप्तियां	18.30	(-)1.86	12.58	11.50	9.34	(-)11.18	17.79	27.15	(-)9.42	9.57
रा.रा.क्षे.दि.स. का स्वयं कर राजस्व	13.61	3.02	14.70	2.54	(-)0.16	(-)19.53	36.00	18.35	13.34	10.76
स.रा.घ.उ.	11.32	11.85	10.03	8.92	7.38	(-)6.13	16.98	14.83	11.32	9.17
उत्प्लावकता अनुपात										
रा.रा.क्षे.दि.स. के स.रा.घ.उ. के सापेक्ष में स्वयं कर राजस्व उत्प्लावकता	1.20	0.26	1.46	0.28	(-)0.02	3.18	2.12	1.24	1.18	1.17

कलर कोड: लाल छायांकन तनाव का प्रतीक है

स्रोत: राजस्व प्राप्तियों के लिए वित्त लेखे और स.रा.घ.उ. के आंकड़ों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

क्यू-त्वरित अनुमान और ए-अग्रिम अनुमान

स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियों में विभिन्न स्रोतों के योगदान को **चार्ट 1.8** और **चार्ट 1.9** में दिया गया है।

---

3 **स.रा.घ.उ.:** 2020-21 और 2021-22 के लिए वास्तविक आंकड़े; 2022-23 के लिए अनंतिम अनुमान (पीई), 2023-24 के लिए त्वरित अनुमान (क्यूई) और 2024-25 के लिए अग्रिम अनुमान (एई) **स.घ.उ.:** 2020-21, 2021-22 और 2023-24 के लिए वास्तविक आकड़े; एफआरई: 2023-24 के लिए पहला परिशोधित अनुमान और पीई: 2024-25 के लिए अनंतिम अनुमान।

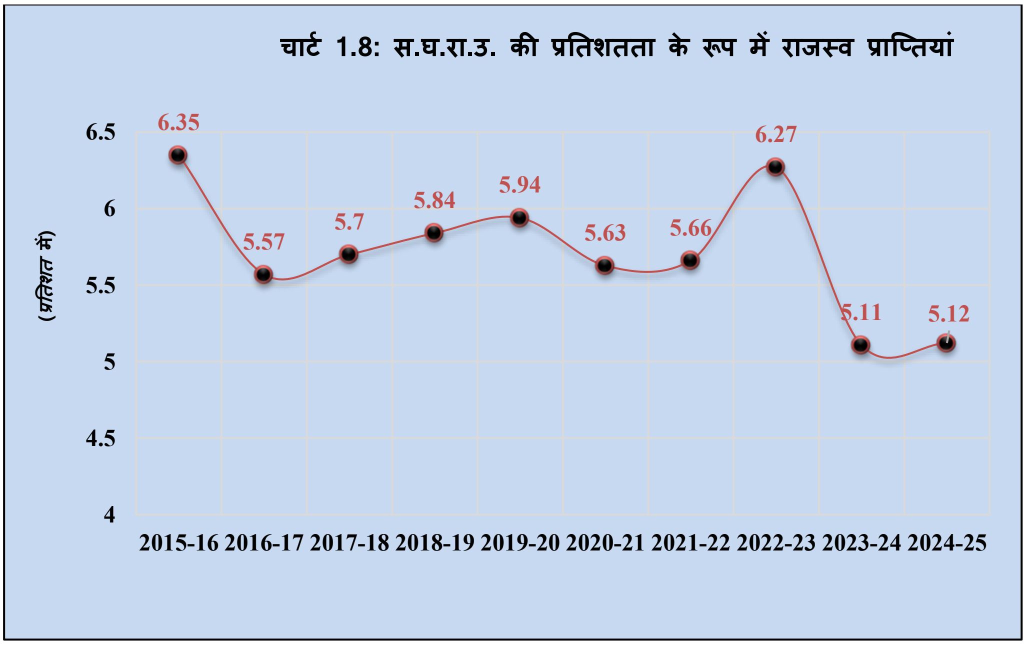

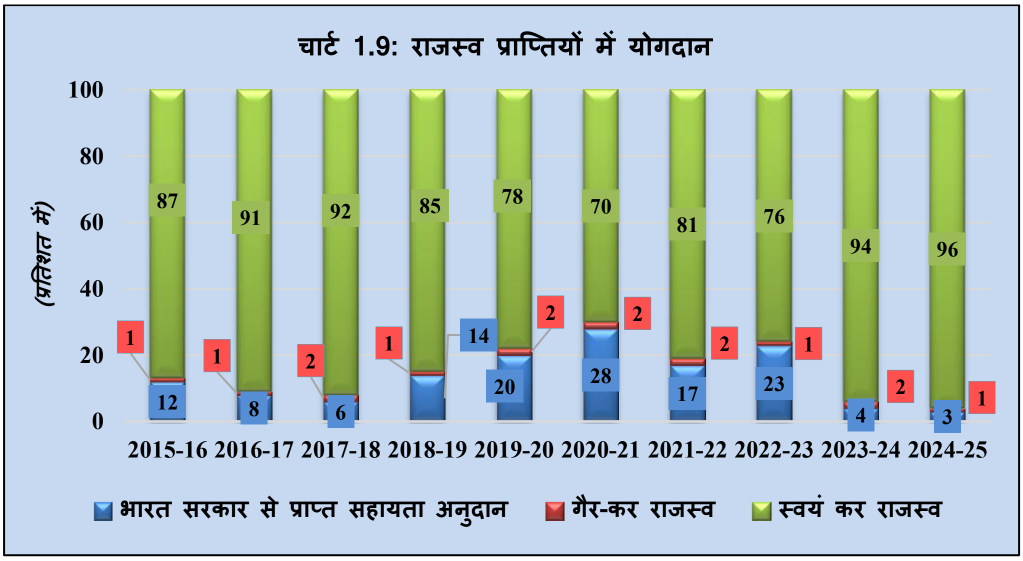

चार्ट 1.8 और **तालिका 1.5** से यह देखा गया है कि दस वर्षों की अवधि के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 5.92 *प्रतिशत* की सीएजीआर की वृद्धि हुई। स्वयं राजस्व प्राप्तियां 2015-16 में ₹ 30,741 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 60,369 करोड़ हो गईं, जो कि 6.98 *प्रतिशत* की सीएजीआर की वृद्धि है। यद्यपि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां निरपेक्ष रूप से बढ़ रही हैं, लेकिन वृद्धि दर (वर्ष 2021-22 में महामारी के बाद हुई रिकवरी को छोड़कर), पिछले वर्ष की गिरावट से थोड़ा सुधार हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं कर राजस्व उत्प्लावकता में ह्रास हुआ है और यह 1.17 पर है।

इसके अतिरिक्त, स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियों में 2015-16 में 6.35 से 2024-25 में 5.12 तक थोड़ी गिरावट देखी गई है, जो मुख्य रूप से स्वयं कर राजस्व की वृद्धि दर में मंदी, केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों में कमी आदि के कारण है। यह इस तथ्य का संकेतक भी है कि सरकार अपनी राजस्व सृजन क्षमता को सफलतापूर्वक बढ़ा रही है, लेकिन यह रा.रा.क्षे.दि.स. की समग्र वृद्धि दर को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, **चार्ट 1.9** रा.रा.क्षे.दि.स. की राजस्व प्राप्तियों में योगदान के संदर्भ में भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों में भारी गिरावट एवं गैर-कर राजस्व और स्वयं कर राजस्व में मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शाता है।

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में गिरावट मुख्य रूप से जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति में कमी (₹ 774.8 करोड़ (68.10 *प्रतिशत*)) के कारण है।

क. रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वयं संसाधन

चार्ट 1.10: रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वयं राजस्व का विवरण

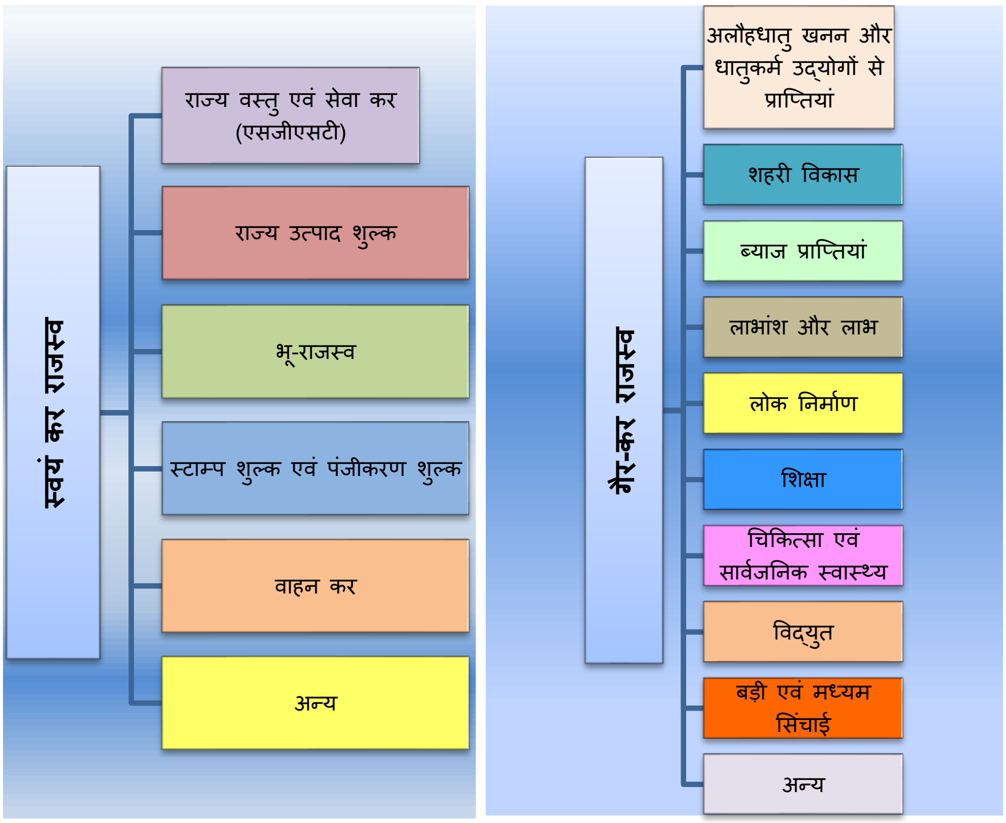

(i) स्वयं कर राजस्व

स्वयं कर राजस्व वह राजस्व है जो रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संविधान के अंतर्गत लगाए जाने के लिए अधिकृत करों के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक आंकड़े, बजट अनुमान (बीई), परिशोधित अनुमान (आरई), और वित्त वर्ष 2024-25 के स्वयं कर राजस्व के वास्तविक आंकड़े **तालिका 1.6** में दिए गए हैं।

तालिका 1.6: स्वयं कर राजस्व: वित्त वर्ष 2023-24 (वास्तविक आंकड़े) और वित्त वर्ष 2024-25 (बीई, आरई और वास्तविक आंकड़े)

(₹ करोड़ में)

स्वयं कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक आकंड़े)	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2024-25 (वास्तविक आंकड़े)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	31,571	34,000	35,499	35,623
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,551	7,000	7,200	7,241
स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क	7,152	7,750	7,600	7,651
राज्य उत्पाद शुल्क	5,164	6,400	5,600	5,701
वाहन कर	3,242	3,600	3,300	3,241
अन्य	1	-	1	1
कुल	**53,681**	**58,750**	**59,200**	**59,458**

स्रोत: दिल्ली के वित्त लेखे और बजट दस्तावेज

चालू वर्ष के दौरान कुल स्वयं कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5,777 करोड़ (10.77 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। मुख्य बढ़ोत्तरी एसजीएसटी के अंतर्गत (₹ 4,052 करोड़: 12.84 *प्रतिशत*), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 537 करोड़: 10.40 *प्रतिशत*), स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क (₹ 499 करोड़: 6.98 *प्रतिशत)* और बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 690 करोड़: 10.54 *प्रतिशत)* प्राप्तियों में हुई। रा.रा.क्षे.दि.स. का स्वयं कर राजस्व बजट अनुमान से ₹ 708 करोड़ (1.21 *प्रतिशत)* अधिक हो गया, जो मुख्य रूप से एसजीएसटी संग्रह में ₹ 1,623 करोड़ (4.78 *प्रतिशत)* की अधिकता के कारण था। रा.रा.क्षे.दि.स. का स्वयं कर राजस्व वर्ष 2024-25 के परिशोधित अनुमानों से भी ₹ 258 करोड़ अधिक रहा।

2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान स्वयं कर राजस्व और इसके घटकों की प्रवृत्तियां क्रमशः **चार्ट 1.11** और **चार्ट 1.12** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.11: वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्वयं कर राजस्व

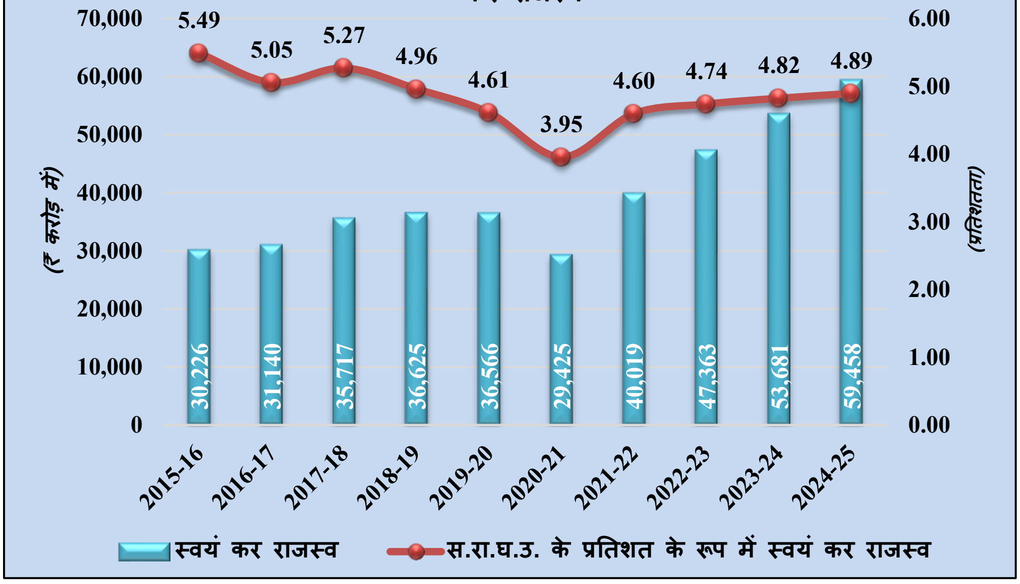

स्रोत: स.रा.घ.उ. के आंकड़ों के लिए वित्त लेखे और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

चार्ट 1.12: रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वयं कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

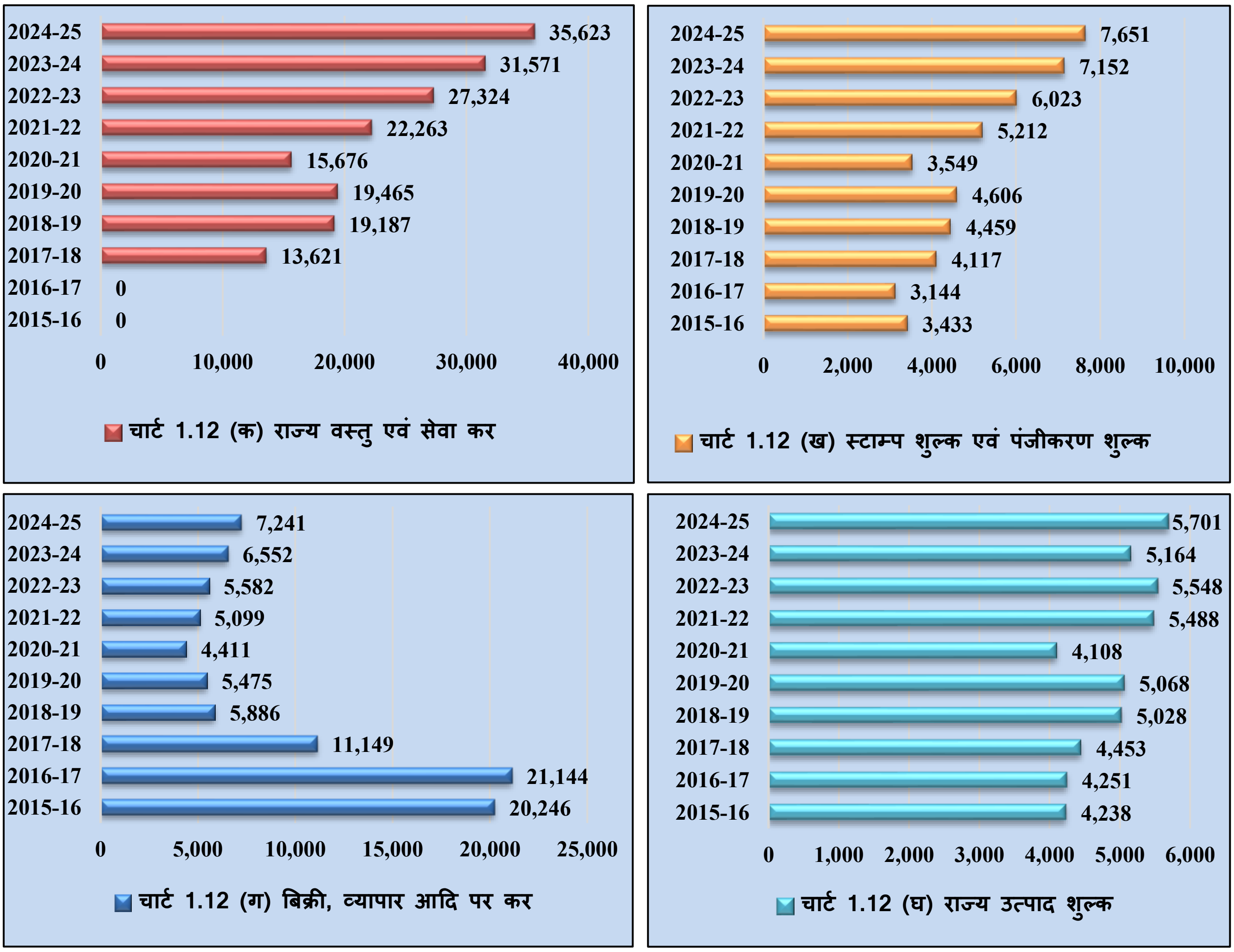

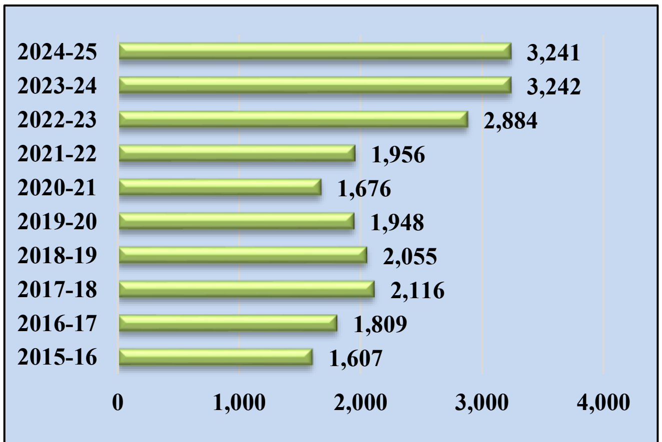

चार्ट 1.12 (ङ) वाहनों पर कर

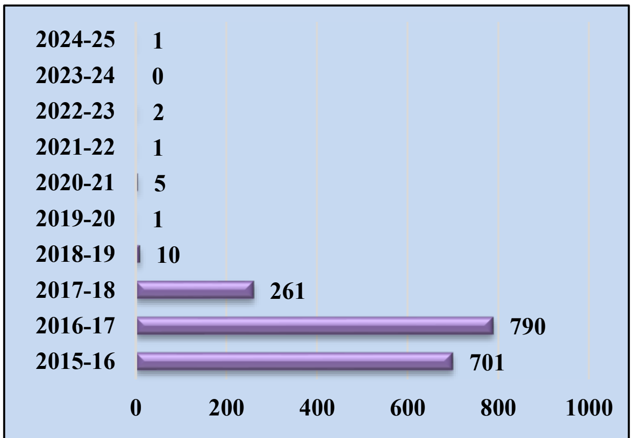

चार्ट 1.12 (च) अन्य

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.12 से यह देखा जा सकता है कि महामारी के बाद मजबूत आर्थिक सुधार, कर अनुपालन में सुधार और रियल एस्टेट और व्यावसायिक गतिविधियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि जैसे विभिन्न कारकों के कारण 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान दिल्ली के स्वयं कर राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। दिल्ली के स्वयं कर राजस्व के घटकों में वृद्धि का श्रेय व्यापार एवं कर विभाग द्वारा की गई कई पहलों को जाता है।

(ii) गैर-कर राजस्व

किसी केंद्र शासित प्रदेश के गैर-कर राजस्व से तात्पर्य रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा करों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले किराए, शुल्क, रॉयल्टी और अन्य प्राप्तियों से है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक आंकड़े, बजट अनुमान (बीई), परिशोधित अनुमान (आरई), और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गैर-कर राजस्व के वास्तविक आंकड़े **तालिका 1.7** में दिए गए हैं।

तालिका 1.7: प्रमुख गैर-कर राजस्व: 2023-24 (वास्तविक आंकड़े) और 2024-25 (बीई, आरई और वास्तविक आंकड़े)

(₹ करोड़ में)

गैर-कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक आंकड़े)	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2024-25 (वास्तविक आंकड़े)
शिक्षा	95	46	8	186
लाभांश और लाभ	175	106	70	160
ब्याज प्राप्तियां	376	439	162	156
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	120	147	123	149
चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	111	120	113	118
विद्युत	59	46	42	64
अन्य	88	96	81	78
कुल	**1,024**	**1,000**	**599**	**911**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में कुल गैर-कर राजस्व में ₹ 113 करोड़ (11.04 *प्रतिशत*) की कमी आई, जो मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों में ₹ 220 करोड़ (58.51 *प्रतिशत*) की कमी के कारण थी, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ब्याज की कम वसूली (₹ 219.60 करोड़: 64.73 *प्रतिशत*) के कारण थी। रा.रा.क्षे.दि.स. का गैर-कर राजस्व बजट अनुमानों की तुलना में ₹ 89 करोड़ (8.90 *प्रतिशत*) कम है, लेकिन परिशोधित अनुमानों की तुलना में ₹ 312 करोड़ (52.09 *प्रतिशत*) अधिक है, जो कर और केंद्रीय अंतरण पर कम निर्भरता को दर्शाता है।

वर्ष 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान गैर-कर राजस्व और इसके घटकों की प्रवृत्तियों को क्रमशः **चार्ट 1.13** और **चार्ट 1.14** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.13: गैर-कर राजस्व में प्रवृत्ति

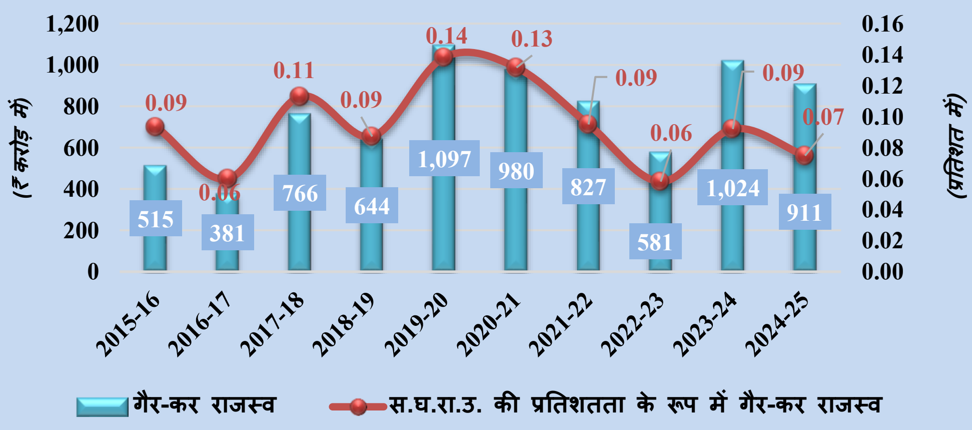

स्रोत: स.रा.घ.उ. के आंकड़ों के लिए संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

चार्ट 1.14: रा.रा.क्षे.दि.स. के गैर-कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

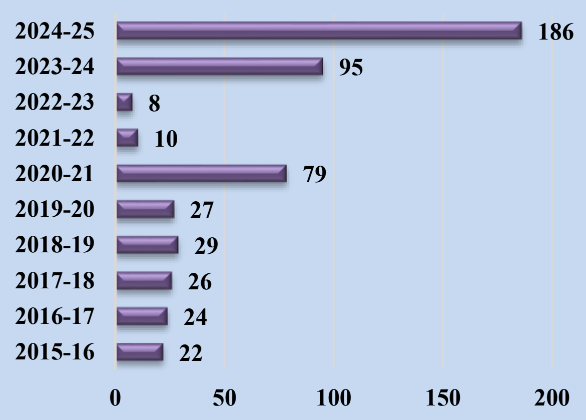

चार्ट 1.14 (क) शिक्षा

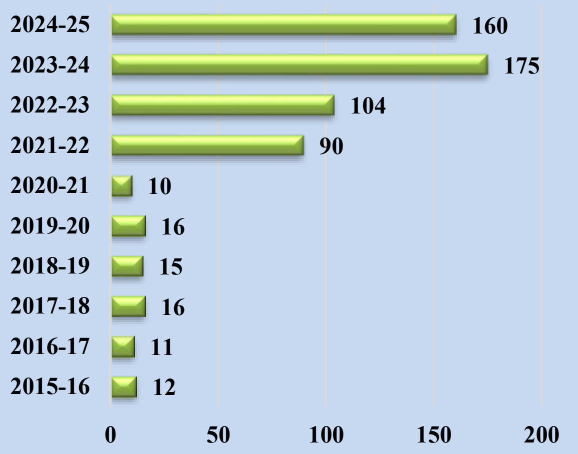

चार्ट 1.14 (ख) लाभांश और लाभ

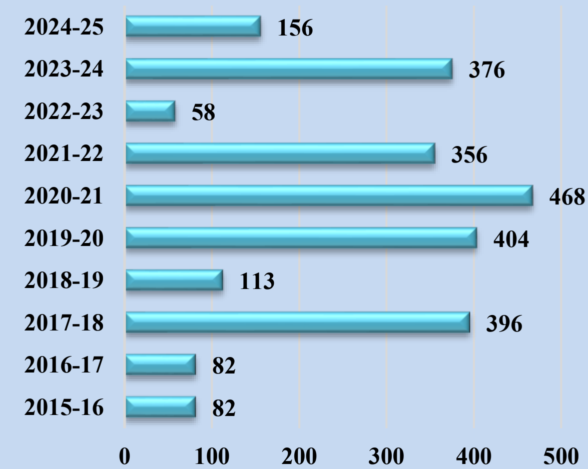

चार्ट 1.14 (ग) ब्याज प्राप्तियां

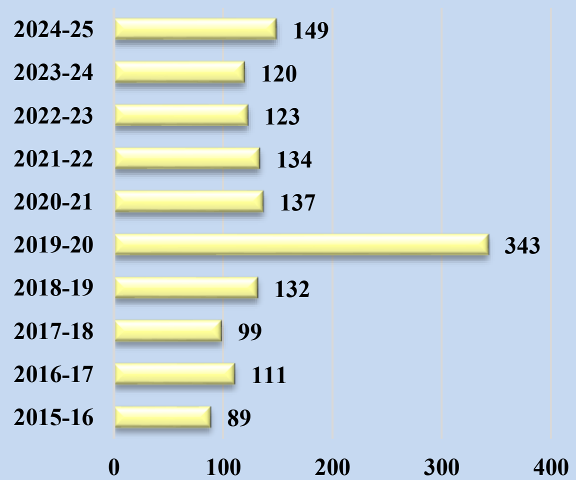

चार्ट 1.14 (घ) अन्य प्रशासनिक सेवाएं

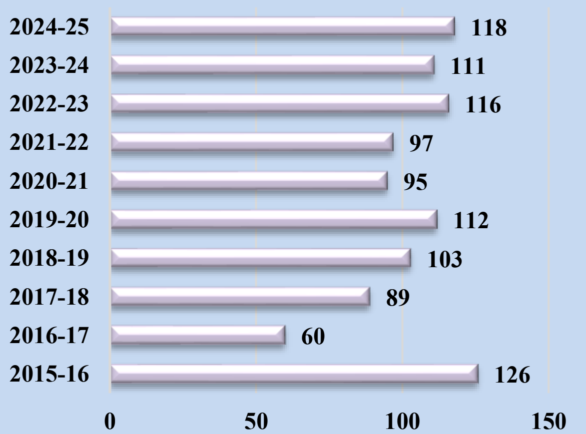

चार्ट 1.14 (ङ.) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

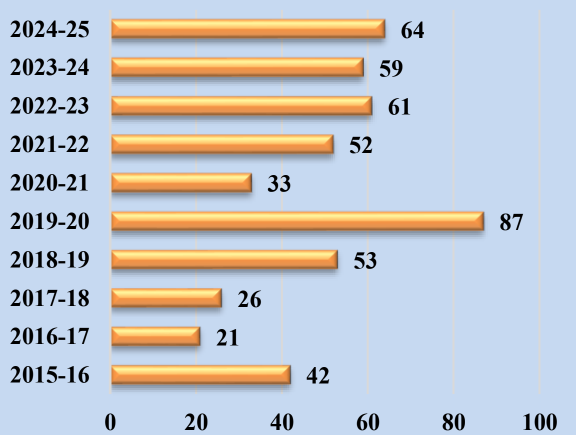

चार्ट 1.14 (च) विद्युत

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कम लाभांश प्राप्त होने के कारण पिछले वर्षों की तुलना में 2024-25 के दौरान लाभांश के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी आई।

2024-25 के दौरान शिक्षा की प्राप्तियों में वृद्धि 'खेल और युवा सेवाओं' (₹ 146.80 करोड़) से प्राप्त राजस्व में वृद्धि के कारण थी।

ख. भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (जीआईए) और इसके घटकों की प्रवृत्ति **तालिका 1.8** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.8: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	866	1,156	995	807	1,169	1,442	992	982	955	1,486
विधानमंडल वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान	3,392	1,669	1,189	5,037	8,304	10,017	7,475	13,777	1,138	378
कुल	**4,258**	**2,825**	**2,184**	**5,844**	**9,473**	**11,459**	**8,467**	**14,759**	**2,093**	**1,864**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 1.8 से पता चलता है कि 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त जीआईए में 7.92 *प्रतिशत* की सीएजीआर की कमी आई है। 2024-25 के दौरान राज्य को प्राप्त अन्य अंतरणों में ₹ 363 करोड़ का जीएसटी मुआवजा और प्राकृतिक आपदाओं के राहत कार्य के लिए अग्रिम सहायता (₹ 15 करोड़) शामिल हैं। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान जीआईए में ₹ 229 करोड़ (10.95 *प्रतिशत)* की कमी आई, जिसका मुख्य कारण जीएसटी मुआवजे में ₹ 775 करोड़ (68.10 *प्रतिशत*) की कमी थी। जीएसटी अधिनियम, 2017 में 'सनसेट क्लॉज' के कारण, राजस्व में हुई हानि के लिए राज्य सरकारों को दिया जाने वाला जीएसटी मुआवजा जून 2022 में समाप्त हो गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान जीआईए में गिरावट के पीछे जीएसटी मुआवजे में कमी प्रमुख कारण रही है। राजस्व प्राप्तियों में जीआईए का योगदान 2015-16 के 12 *प्रतिशत* से घटकर 2024-25 में 3 *प्रतिशत* हो गया।

भारत सरकार द्वारा स.रा.घ.उ. में सहायता अनुदान का प्रतिशत **चार्ट 1.15** में दिया गया है।

चार्ट 1.15: स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सहायता अनुदान

स.रा.घ.उ. में सहायता अनुदान के घटते प्रतिशत का कारण 2015-25 के दौरान जीआईए में 42.78 *प्रतिशत* की गिरावट और स.रा.घ.उ. में 120.59 *प्रतिशत* की वृद्धि है।

(i) केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आबंटित ₹ 1,486.02 करोड़ के अनुदान में से, प्रमुख आबंटन **तालिका 1.9** में दर्शाई गई योजनाओं के लिए किए गए थे।

तालिका 1.9: ₹ 100 करोड़ से अधिक अनुदान प्राप्त करने वाली प्रमुख योजनाएं

क्रम सं.	योजना का नाम	2023-24 राशि *(₹ करोड़ में)*	2024-25 राशि *(₹ करोड़ में)*	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
1	समग्र शिक्षा	146.09	385.39	163.81
2	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी	235.31	181.63	(-)22.81
3	राज्य एजेंसियों को खाद्यान्नों की अंतः राज्यीय आवाजाही के लिए सहायता और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिरण (एनएफएसए) के अंतर्गत खाद्यान्न डीलरों को मार्जिन	0	175.18	गणना नहीं की जा सकती
4	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीला पूल	81.42	167.93	106.25
5	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (अम्ब्रेला आईसीडीएस-आंगनवाड़ी सेवाएं एडोलोसेंट गर्ल्स के लिए पोषण अभियान योजना राष्ट्रीय क्रेच योजना)	161.82	160.41	(-)0.87

1.2.2 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं जैसे कि ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से ऋण) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम।

वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों और इसके घटकों की प्रवृत्तियां **तालिका 1.10** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1.10: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

रा.रा.क्षे.दि.स. की प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पूंजीगत प्राप्तियां (ऋण और गैर-ऋण)	2,324	1,908	2,597	4,524	5,588	15,996	11,816	4,509	98	190
रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ऋण एवं अग्रिमों की वसूली (गैर-ऋण)	83	212	691	1,644	823	631	623	1,258	98	48
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (ऋण)*	2,241	1,696	1,906	2,880	4,765	9,500	5,000	3,251	0	142
वर्ष-वार वृद्धि दर (*प्रतिशत में*)										
स.रा.घ.उ.	11.32	11.86	10.04	8.93	7.39	(-)6.13	16.98	14.83	11.32	9.17
पूंजीगत प्राप्तियां	16.67	(-)17.90	36.11	74.20	23.54	186.26	(-) 26.13	(-) 61.84	(-) 97.83	93.88
रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	(-) 63.60	155.42	225.94	137.92	(-)49.94	(-) 23.33	(-)1.27	101.93	(-)92.21	(-)51.02
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	27.04	(-)24.32	12.38	51.10	65.45	99.37	(-) 47.37	(-) 34.98	परिभाषित नहीं	

कलर कोड: लाल छायांकन तनाव का प्रतीक है

स्रोत: वित्त लेखे

** वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अपने स्रोतों से नहीं चुकाया जाना है।*

स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत प्राप्तियों को **चार्ट 1.16** में दर्शाया गया है।

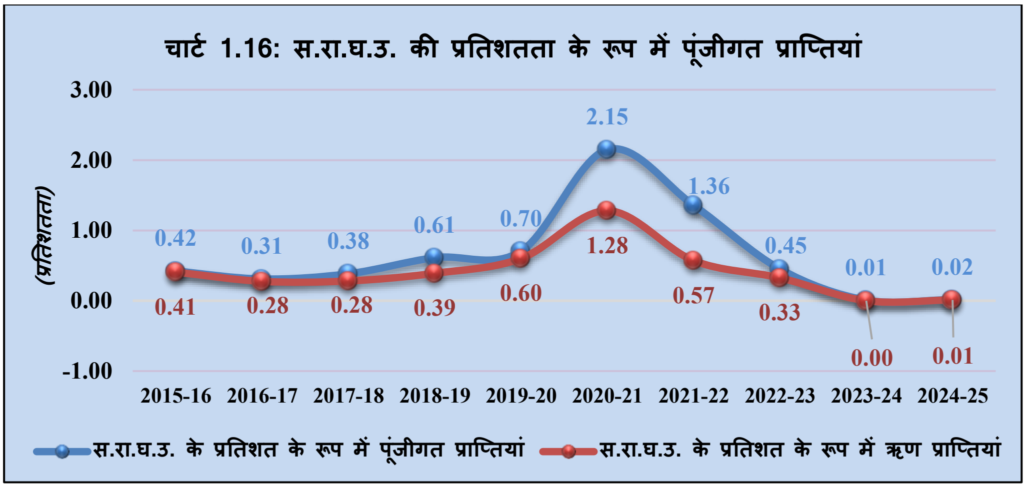

स्रोत: पूंजीगत और ऋण प्राप्तियों के लिए वित्त लेखे और स.रा.घ.उ. के आंकड़ों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

पूंजीगत प्राप्तियों में पिछले दस वर्षों (2015-25) में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है, जो उधारी पर घटती निर्भरता को दर्शाती है। दिल्ली की पूंजीगत प्राप्तियां लगभग पूरी तरह से भारत सरकार से प्राप्त ऋणों पर निर्भर हैं, क्योंकि रा.रा.क्षे. को आंतरिक ऋण जुटाने की अनुमति नहीं है। हाल के वर्षों में इस तरह के ऋणों में तीव्र गिरावट कम ऋण भार और भविष्य के ब्याज भुगतान में कमी को दर्शाती है, जो राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण है। दूसरी ओर, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली निराशाजनक रही है, जिसे कानूनी और संस्थागत सुधारों, बढ़ी हुई निगरानी और उधारकर्ता वित्तीय शिक्षा के माध्यम से सुधार करने की आवश्यकता है।

1.2.3 व्यय

सरकारी व्यय को राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिमों में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय में प्रशासनिक और स्थापना व्यय सहित विभागों के रखरखाव, मरम्मत और दिन-प्रतिदिन के कामकाज की लागत शामिल है। पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के प्रारंभिक निर्माण और परिसंपत्तियों में स्वीकृत सुधार या परिवर्धन से संबंधित है। ऋण एवं अग्रिमों में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को प्रदान की गई निधि शामिल होती है, जिसकी समय के साथ वसूली की जा सकती है। व्यय, स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कुल व्यय और इसके घटकों के भागों का विवरण क्रमशः **तालिका 1.11**, **चार्ट 1.17** और **चार्ट 1.18** में दिया गया है।

तालिका 1.11: कुल व्यय और उसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय (टीई)	33,750	35,609	39,245	42,520	48,375	49,203	56,957	59,395	60,830	56,557
राजस्व व्यय (आरई)	26,343	29,302	33,754	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336	49,986
पूंजीगत व्यय (सीई)	4,723	3,754	3,243	3,266	5,472	4,699	8,311	8,065	6,855	3,695
ऋण और अग्रिम	2,684	2,553	2,248	2,402	3,266	4,090	2,603	3,084	3,639	2,876

स्रोत: वित्त लेखे

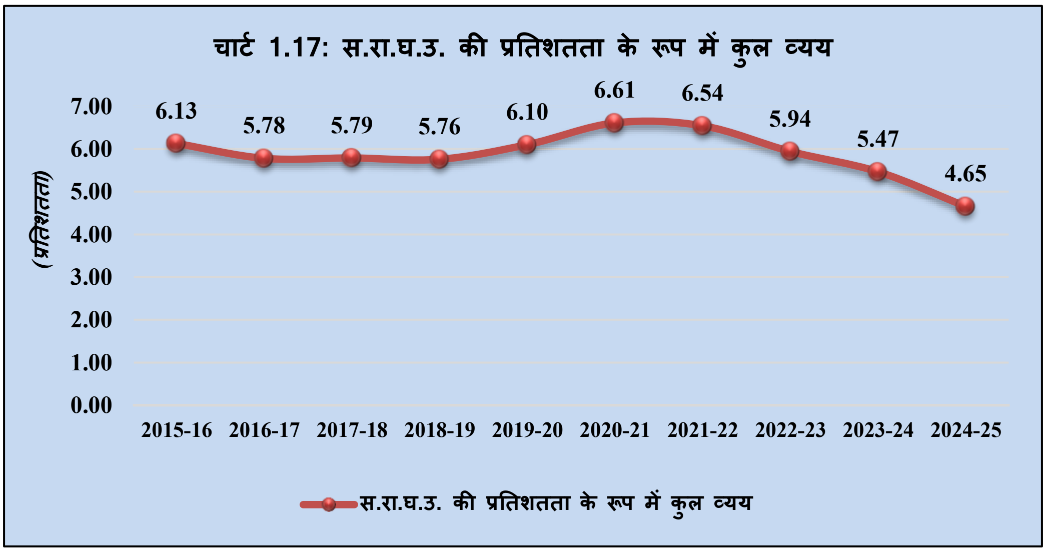

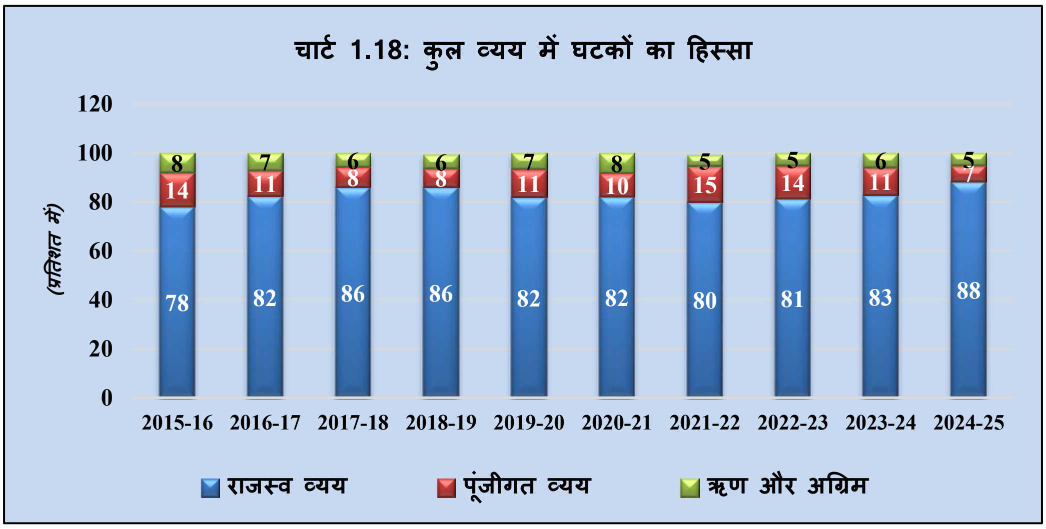

स्रोत: वित्त लेखे और स.रा.घ.उ. के आंकड़ों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

तालिका 1.11 और **चार्ट 1.18** से पता चलता है कि अवसंरचना निर्माण की तुलना में राजस्व व्यय का प्रभुत्व रहा है। अवसंरचना परियोजनाओं में कम निवेश, दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करने की

रा.रा.क्षे.दि.स. की क्षमता को बाधित करता है। यह उत्पादकता और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता को भी प्रभावित करता है। रा.रा.क्षे.दि.स. अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ा सकती है।

इसके अतिरिक्त, **चार्ट 1.17** के अनुसार, 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. की तुलना में कुल व्यय की प्रतिशतता में लगातार गिरावट आई है, जो संभवतः आर्थिक मंदी, कोविड-19 महामारी और बढ़ते प्रतिबद्ध व्यय जैसे कई कारकों के संयोजन के कारण है। यद्यपि 2015-25 के दौरान स्वयं कर राजस्व प्राप्तियों में सुधार हआ है और ये ₹ 30,226 करोड़ से बढ़कर ₹ 59,458 करोड़ हो गया है, फिर भी ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन जैसे प्रतिबद्ध व्ययों में हुई वृद्धि ने रा.रा.क्षे.दि.स. की विकासात्मक और पूंजीगत व्यय बढ़ाने की क्षमता को सीमित कर दिया है। 2015-25 के दौरान, पूंजीगत व्यय ₹ 4,723 करोड़ से घटकर ₹ 3,695 करोड़ रह गया है।

क्षेत्र-वार कुल व्यय

व्यय का क्षेत्र-वार विवरण **तालिका 1.12** में दिया गया है और कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा **चार्ट 1.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: क्षेत्र-वार कुल व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	6,804	6,940	7,424	7,785	7,472	6,541	7,327	7,948	7,631	7,826
सामाजिक सेवाएं	16,517	18,709	21,177	23,418	25,717	25,362	31,356	31,743	30,860	29,759
आर्थिक सेवाएं	6,786	6,386	7,302	6,550	8,041	10,298	12,203	12,297	13,481	10,336
सहायता अनुदान और अंशदान	959	1,021	1,094	2,365	3,879	2,912	3,468	4,323	5,219	5,760
ऋण एवं अग्रिम	2,684	2,553	2,247	2,402	3,266	4,090	2,603	3,084	3,639	2,876

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.19: कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा (*प्रतिशत में*)

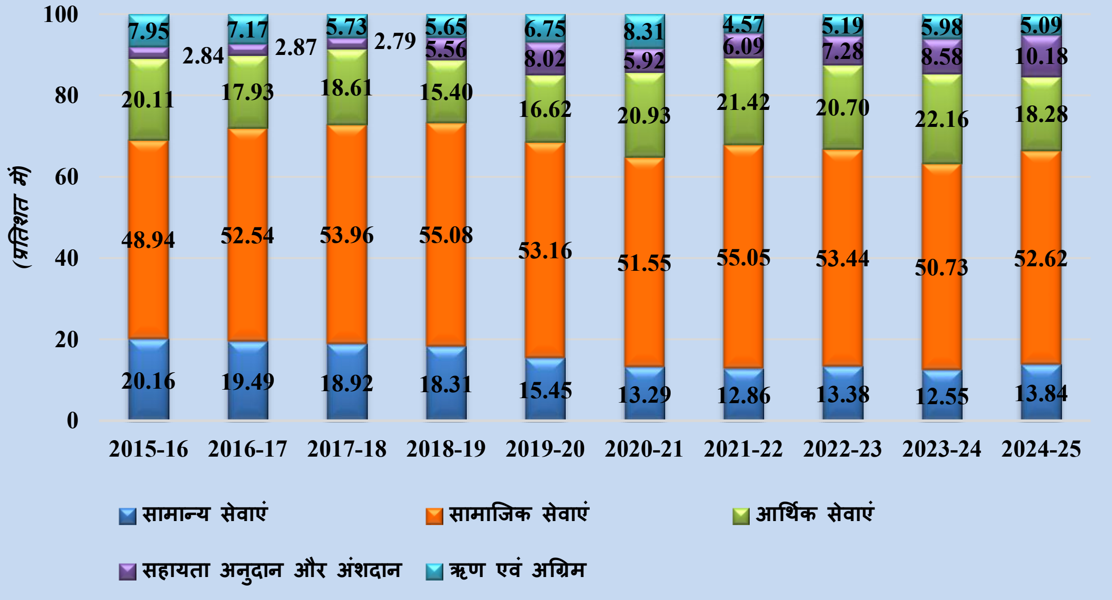

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 1.12 से पता चलता है कि दिल्ली के व्यय का स्वरूप अभी भी राजस्व व्यय से प्रभावित है, जो दर्शाता है कि संसाधनों का एक बड़ा भाग दैनंदिन प्रचालन, वेतन, सब्सिडी और अन्य प्रतिबद्ध देयताओं पर खर्च किया जा रहा है। यद्यपि यह सेवा वितरण की निरंतरता सुनिश्चित करता है, लेकिन यह विवेकाधीन व्यय या विकासात्मक पहलों के लिए सीमित राजकोषीय स्थान छोड़ता है।

क्षेत्र-वार व्यय का स्वरूप **(चार्ट 1.19)** दर्शाता है कि सामाजिक सेवाओं पर व्यय (कुल व्यय का 49 से 55 *प्रतिशत*) का प्रभाव बना हुआ है, जो इस बात को दर्शाता है कि सरकार का विशेष ध्यान स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे कल्याणकारी और सामाजिक विकास कार्यक्रमों पर केंद्रित है। यद्यपि सामाजिक कल्याण पर यह ध्यान उल्लेखनीय है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए संसाधन आबंटन को अनुकूलित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिससे दीर्घकालिक विकास को बाधित किए बिना ऋण दायित्वों और कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं दोनों को पूरा किया जा सके।

तथापि, आर्थिक सेवाओं पर खर्च एक जैसा नहीं रहा है, जो अवसंरचना, उद्योग और रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रमों के लिए आवश्यक निरंतर समर्थन को

प्रभावित कर सकता है। सामान्य सेवाएं, जिनमें प्रशासनिक और ब्याज लागत शामिल हैं, भी संसाधनों के एक महत्वपूर्ण भाग का उपयोग कर रही हैं।

1.2.3.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्वों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की अवसंरचना और सेवा नेटवर्क में कोई परिवर्धन नहीं होता है। राजस्व व्यय में वृद्धि, कुल व्यय में इसका अनुपात, स.रा.घ.उ. और राजस्व प्राप्तियों को **तालिका 1.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: राजस्व व्यय - आधारभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय (टीई)	33,750	35,609	39,245	42,520	48,375	49,203	56,957	59,395	60,830	56,557
राजस्व व्यय (आरई)	26,343	29,302	33,754	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336	49,986
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में आरआई	75.27	85.31	87.29	85.48	84.09	96.54	93.37	76.94	88.62	80.32
टीई की प्रतिशतता के रूप में आरई	78.05	82.29	86.01	86.67	81.94	82.14	80.84	81.23	82.75	88.38
आरई/स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	4.78	4.76	4.98	4.99	5.00	5.43	5.29	4.82	4.52	4.11
वर्ष-वार वृद्धि (*प्रतिशत में*)										
राजस्व व्यय	12.05	11.23	15.19	9.18	7.56	1.96	13.93	4.78	4.33	(-)0.70
स.रा.घ.उ. वृद्धि	11.32	11.85	10.03	8.92	7.38	(-)6.13	16.98	14.83	11.32	9.17

कलर कोड: लाल छायांकन तनाव का प्रतीक है

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 1.13 से पता चलता है कि राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय 2015-2025 के दौरान 75.27 *प्रतिशत* से 96.54 *प्रतिशत* तक बढ़ा और उतार-चढ़ाव के साथ रहा, जिसका तात्पर्य है कि सरकार की स्वयं राजस्व आय से अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा।

क. क्षेत्र-वार राजस्व व्यय

राजस्व व्यय की क्षेत्र-वार संरचना **तालिका 1.14** में दी गई है और राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा **चार्ट 1.20** में दर्शाया गया है। विस्तृत क्षेत्र-वार व्यय **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.14: क्षेत्र-वार राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	6,427	6,590	7,196	7,605	7,083	6,295	6,953	7,323	7,162	7,567
सामाजिक सेवाएं	14,818	16,579	19,602	21,663	22,145	22,693	26,294	27,177	28,182	27,973
आर्थिक सेवाएं	4,139	5,112	5,862	5,219	6,530	8,514	9,328	9,423	9,773	8,686
सहायता अनुदान और अंशदान	959	1,021	1,094	2,365	3,879	2,912	3,468	4,323	5,219	5,760

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.20: राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा

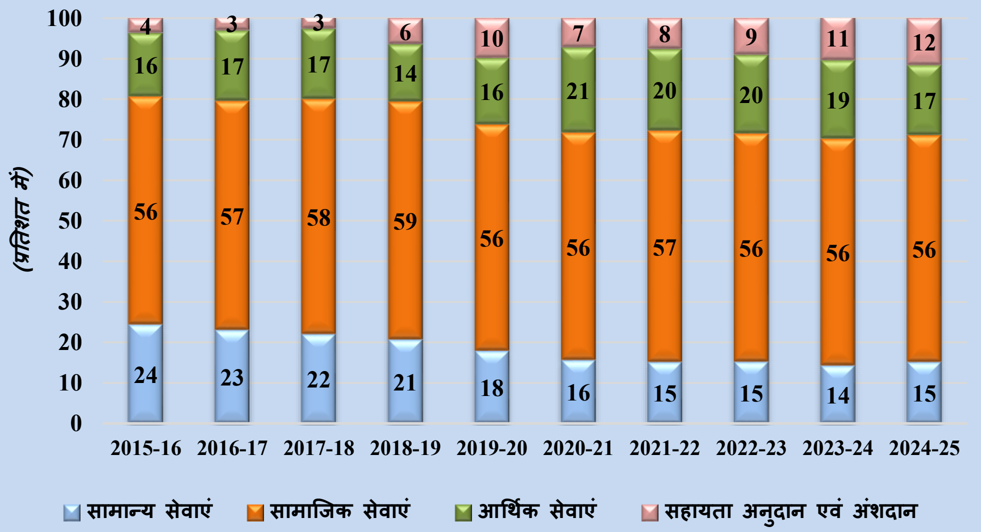

स्रोत: वित्त लेखे

सतत विकास में व्यय के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. नियमित और प्रशासनिक व्ययों को नियंत्रित करने, आर्थिक सेवाओं में निवेश को स्थिर करने और उत्पादकता, रोजगार और दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता को बढ़ाने वाले विकासोन्मुखी क्षेत्रों को प्राथमिकता देने पर विचार कर सकती है।

ख. प्रतिबद्ध व्यय

रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल हैं। इसका पहला प्रभार सरकारी संसाधनों पर है। प्रतिबद्ध व्यय के घटक **तालिका 1.15** में दिए गए हैं।

तालिका 1.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वेतन एवं मजदूरी	6,251	7,515	9,090	10,325	11,070	11,810	12,878	14,215	15,018	15,727
पेंशन[4] पर व्यय	4	5	3	3	3	3	3	3	4	5
ब्याज भुगतान	2,810	2,883	2,871	2,867	2,752	2,874	3,274	3,266	3,094	2,666
कुल	**9,065**	**10,403**	**11,964**	**13,195**	**13,825**	**14,687**	**16,156**	**17,484**	**18,117**	**18,398**
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय	34.41	35.50	35.44	35.81	34.88	36.34	35.09	36.24	35.99	36.81

कलर कोड: रंग जितना गहरा होगा, वित्त पर उतना अधिक तनाव रहेगा

स्रोत: वित्त लेखे

2015-2025 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता 34.41 (2015-16) से 36.81 (2024-25) के बीच रही।

ग. सब्सिडी

चालू वर्ष के दौरान सब्सिडी में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 250 करोड़ (5.17 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत सब्सिडी के लिए ₹ 361 करोड़, शहरी विकास (जल सब्सिडी) के लिए ₹ 22 करोड़ और शिक्षा सब्सिडी के लिए ₹ 38 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई थी।

वित्त वर्ष 2015-16 से 2024-25 के लिए विभाग-वार प्रमुख सब्सिडी **तालिका 1.16** में दर्शाई गई है।

[4] रा.रा.क्षे.दि.स. की पेंशन देयताएं (दिल्ली के पूर्व विधायकों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन देयताओं को छोड़कर) भारत सरकार द्वारा वहन की जाती हैं। वर्ष 2024-25 के लिए, यह देयताएं ₹ 2,241.45 करोड़ थीं।

तालिका 1.16: वित्त वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान विभाग-वार सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	विद्युत विभाग	उ.न.	1,578 (73%)	1,677 (67%)	1,699 (67%)	2,406 (67%)	2,940 (70%)	3,250 (69%)	3,161 (68%)	3,250 (67%)	3,611 (71%)
2.	शिक्षा निदेशालय	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	219 (5%)	526 (11%)	543 (11%)	537 (11%)	575 (11%)
3.	शहरी विकास विभाग	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	468 (13%)	712 (17%)	602 (13%)	469 (10%)	463 (9%)	485 (9%)
4.	परिवहन विभाग	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	115 (3%)	305 (7%)	305 (6%)	456 (10%)	586 (12%)	416 (8%)
5.	अन्य विभाग*	उ.न.	582 (27%)	820 (33%)	834 (33%)	604 (17%)	1 (1%)	7 (1%)	4 (1%)	4 (1%)	3 (1%)
	कुल सब्सिडी	1,868	2,160	2,497	2,533	3,593	4,177	4,690	4,633	4,840	5,090

उ.न.=उपलब्ध नहीं

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, रा.रा.क्षे.दि.स.

**अन्य विभागों में शामिल हैं: समाज कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, विकास विभाग, पर्यावरण विभाग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग*

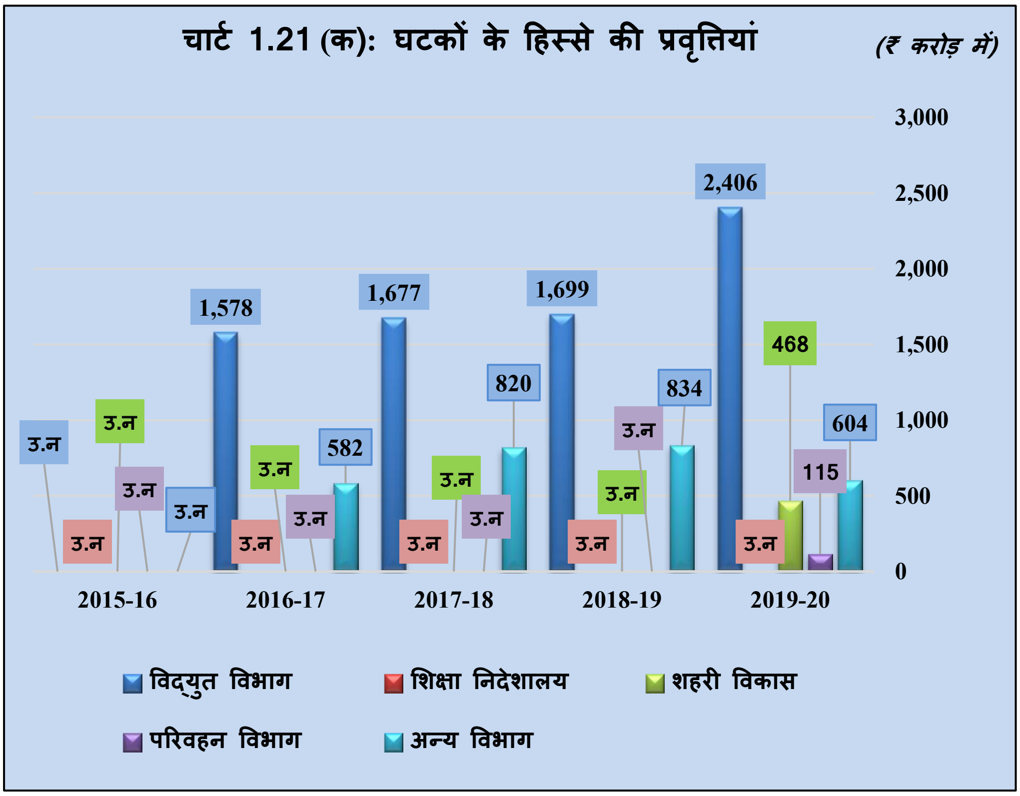

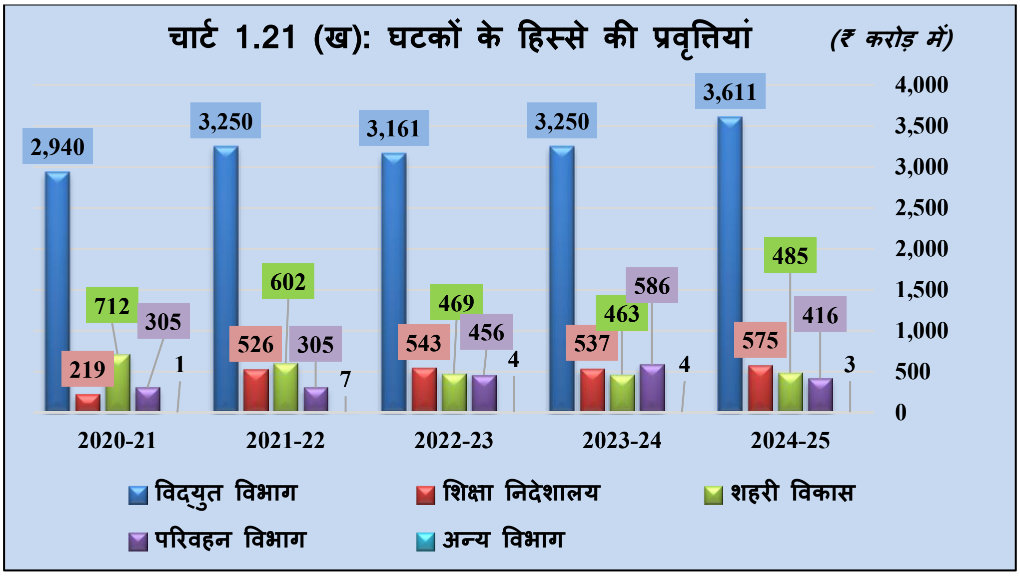

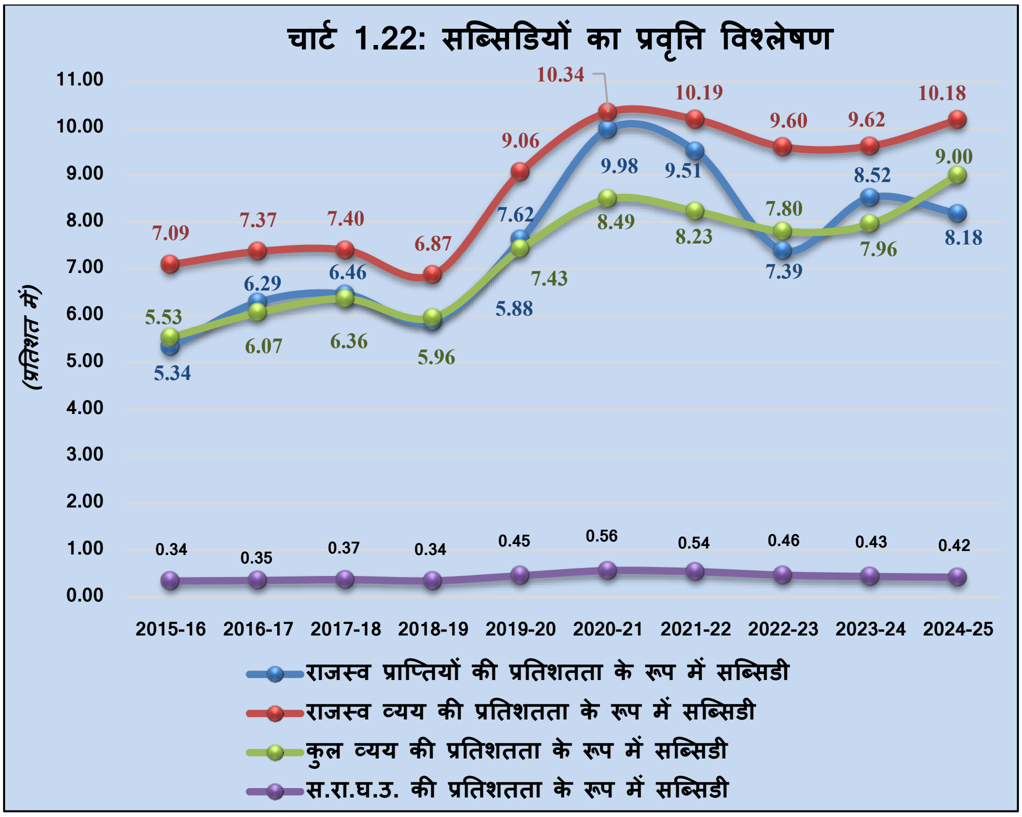

2024-25 में दिल्ली का सब्सिडी व्यय कुल राजस्व व्यय का 10.18 *प्रतिशत* था। विद्युत पर सब्सिडी कुल सब्सिडी व्यय का 67 से 73 *प्रतिशत* तक रहा जो सबसे अधिक था।

बढ़ती सब्सिडी राजकोषीय स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है, क्योंकि अत्यधिक सब्सिडी व्यय महत्वपूर्ण विकास व्यय को कम कर सकता है और दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक बजटीय संसाधनों पर तनाव डाल

सकता है। इस तरह की राजकोषीय बाधाएं अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश को रोकती हैं, अंततः विकास उद्देश्यों में बाधा उत्पन्न होती है। बेहतर आकड़ों और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का उपयोग करके लाभार्थियों की बेहतर पहचान और लक्ष्यीकरण यह सुनिश्चित कर सकता है कि सहायता उन लोगों तक पहुंच जाती है जिन्हें वास्तव में उसकी आवश्यकता है। सब्सिडी योजनाओं का नियमित मूल्यांकन, परिणाम-आधारित बजट और निष्पादन मेट्रिक्स को शामिल करने से व्यय को युक्तिसंगत बनाने, गैर-महत्वपूर्ण सब्सिडी को समाप्त करने और राजकोषीय क्षमता के अनुरूप सहायता प्रदान करने में सहायक होगा।

घ. रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता

वर्ष 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई सहायता **तालिका 1.17** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.17: स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाएं	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
(क) स्थानीय निकाय										
नगर निगम और नगर पालिकाएं	3,942	4,485	5,172	3,996	4,003	5,514	5,502	7,580	8,596	9,282
कुल (क)	**3,942**	**4,485**	**5,172**	**3,996**	**4,003**	**5,514**	**5,502**	**7,580**	**8,596**	**9,282**
(ख) अन्य										
दिल्ली जल बोर्ड	862	769	801	925	1,043	1,180	534	1,279	1,365	633
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)	1,150	1,550	2,007	1,825	2,030	2,475	2,320	2,350	2,900	2,620
डीयूएसआईबी	272	227	95	177	159	133	59	156	209	162
अन्य	1,985	1,858	2,006	3,399	3,499	3,251	5,100	3,777	3,977	3,752
कुल (ख)	**4,269**	**4,404**	**4,909**	**6,326**	**6,731**	**7,039**	**8,013**	**7,562**	**8,451**	**7,167**
कुल (क + ख)	**8,211**	**8,889**	**10,081**	**10,322**	**10,734**	**12,553**	**13,515**	**15,142**	**17,047**	**16,449**
नगर निगमों और नगर पालिकाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए जीआईए	758	840	593	-	-	102	268	821	649	499

(₹ करोड़ में)

संस्थाएं	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कुल जीआईए	2,184	1,628	1,378	1,806	1,563	1,121	804	2,031	2,192	1,110
राजस्व व्यय	26,343	29,302	33,754	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336	49,986
कुल वित्तीय सहायता में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए जीआईए की प्रतिशतता	26.60	18.32	13.67	17.50	11.15	8.93	5.95	13.41	12.86	6.75
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	31.17	30.34	29.87	28.01	27.08	31.06	29.35	31.38	33.87	32.91

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदान की गई जानकारी

चालू वर्ष के दौरान, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को प्रदान की गई वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 598.63 करोड़ (3.5 *प्रतिशत*) की कमी आई है। यह कमी मुख्य रूप से नगर निगमों और नगर पालिकाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दिए गए जीआईए में कमी (₹ 150 करोड़ या 23.11 *प्रतिशत* की गिरावट) के कारण हुई है। राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की कुल मात्रा लगभग 27-34 *प्रतिशत* थी।

तालिका 1.17 से यह स्पष्ट है कि स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 6 से 27 *प्रतिशत* तक की बहुत कम वित्तीय सहायता दी गई थी, जो दर्शाता है कि 2015-2025 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं के दिन-प्रतिदिन के व्यय के लिए 73 से 94 *प्रतिशत* तक की बड़ी सहायता जा रही थी।

1.2.3.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसी अचल अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों के निर्माण पर किया गया व्यय है। इसमें रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा

कंपनियों/निगमों में किए गए निवेश भी शामिल हैं। पिछले दस वर्षों अर्थात 2015-25 में रा.रा.क्षे.दि.स. में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति को **चार्ट 1.23** में दिया गया है।

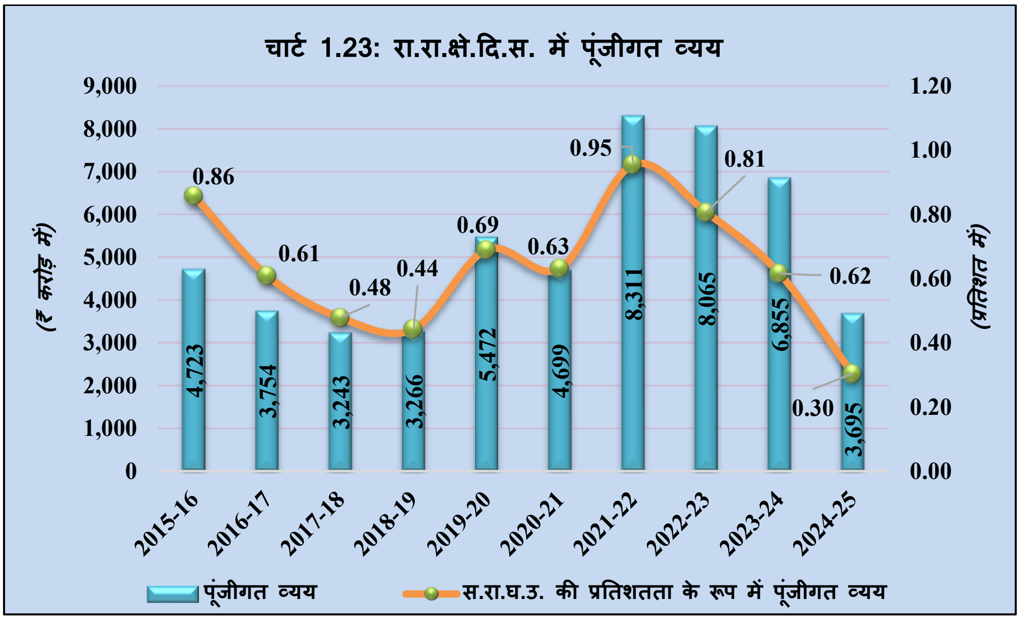

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2024-25 के दौरान ₹ 3,695 करोड़ के पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त, रा.रा.क्षे.दि.स. ने स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1,110 करोड़ भी हस्तांतरित किए।

इस अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि होने के बजाय गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है, जो दीर्घकालिक परिसंपत्तियों और अवसंरचना में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश में कमी का संकेत देता है। वर्ष 2021-22 में यह ₹ 8,311 करोड़ था, जो धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2024-25 में ₹ 3,695 करोड़ हो गया। प्रारंभ में, 2024-25 में पूंजीगत व्यय के लिए ₹ 5,919 करोड़ का बजट अनुमान था, जिसे बाद में परिशोधित करके ₹ 4,857 करोड़ कर दिया गया। पूंजीगत व्यय में 2023-24 में ₹ 6,855 करोड़ से 2024-25 में ₹ 3,695 करोड़ की गिरावट आई इसका कारण विभिन्न शीर्षों, जैसे मुख्य शीर्ष 5054 - सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत 2023-24 में ₹ 1,936.14 करोड़ से 2024-25 में ₹ 909.30 करोड़, मुख्य शीर्ष 5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत 2023-24 में ₹ 1,065 करोड़ से 2024-25 में ₹ 467 करोड़;

मुख्य शीर्ष 4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति - सामान्य शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत 2023-24 में ₹ 637.43 करोड़ से 2024-25 में ₹ 263.97 करोड़ में कम व्यय होना था।

पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का समग्र हिस्सा घट रहा है, जो यह दर्शाता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपने विकास उद्देश्यों के अनुरूप परिसंपत्ति निर्माण को लगातार प्राथमिकता नहीं दी है। इस स्वरूप का तात्पर्य अवसंरचना और विकास कार्यक्रमों में निरंतर निवेश के लिए सीमित राजकोषीय स्थान से है, जो संभावित रूप से दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सेवा वितरण को प्रभावित करता है।

सार्वजनिक निवेश की दक्षता बढ़ाने, स.रा.घ.उ. वृद्धि के साथ तालमेल सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता में सुधार लाने के लिए, पूंजीगत व्यय और सहायता अनुदान की योजना बनाने में, उन्हें समय पर जारी करने और निगरानी को सुदृढ़ बनाना अनिवार्य है।

क. क्षेत्र-वार पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय की क्षेत्र-वार संरचना **तालिका 1.18** में दी गई है। विस्तृत क्षेत्र-वार व्यय **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.18: क्षेत्र-वार पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	377	350	228	180	389	246	374	625	469	259
सामाजिक सेवाएं	1,699	2,130	1,575	1,755	3,572	2,669	5,062	4,566	2,678	1,786
आर्थिक सेवाएं	2,647	1,274	1,440	1,331	1,511	1,784	2,875	2,874	3,708	1,650
ऋण और अग्रिम	2,684	2,553	2,248	2,402	3,266	4,090	2,603	3,084	3,639	2,876

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.24: पूंजीगत व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा

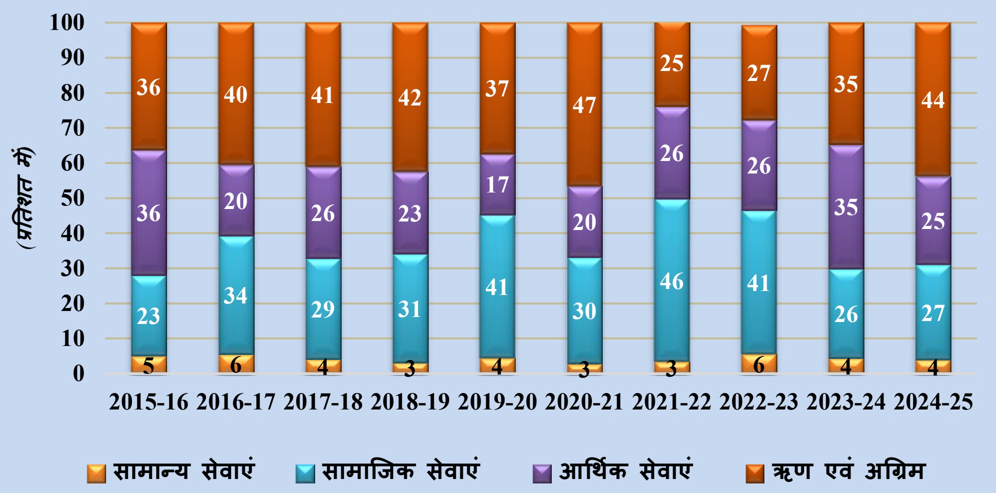

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 1.18 और **चार्ट 1.24** के अनुसार, पूंजीगत व्यय में सामाजिक सेवाओं का प्रभुत्व धीरे-धीरे कम हो गया है, जिससे आर्थिक सेवाओं में योगदान बढ़ाने और ऋणों एवं अग्रिमों के वितरण में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

ख. कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

31 मार्च 2025 तक, रा.रा.क्षे.दि.स. का 16 कंपनियों और 02 निगमों में निवेश ₹ 21,810 करोड़ था, जिसमें सरकारी कंपनियां (₹ 21,778 करोड़) और निगम (₹ 32 करोड़) शामिल थे।

वर्ष के अंत में कंपनियों, निगमों और सहकारी बैंकों और समितियों में निवेशों की प्रवृत्ति, और इन निवेशों पर प्राप्त प्रतिफल को **चार्ट 1.25** में दर्शाया गया है। किए गए निवेश पर प्रतिफल की दर तथा सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर को **चार्ट 1.26** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.25: निवेश और प्रतिफल

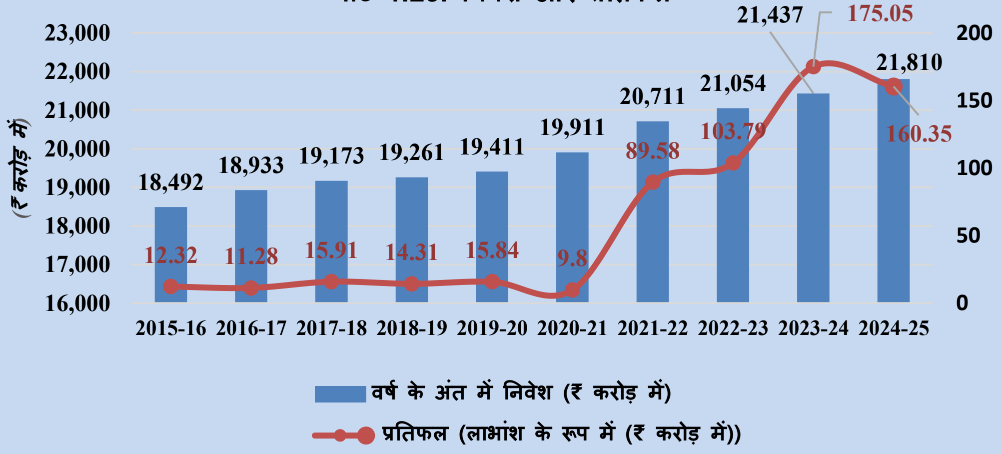

चार्ट 1.26: निवेश पर प्रतिफल की दर तथा सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर

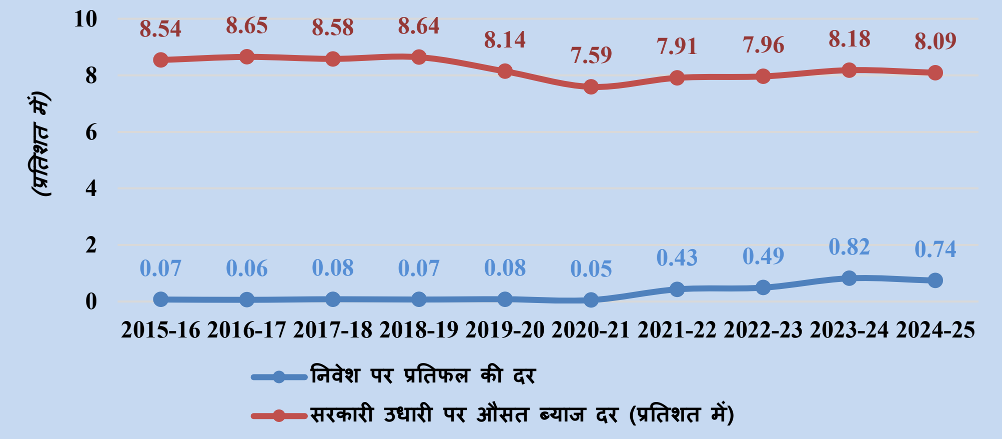

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.25 के अनुसार, सरकारी कंपनियों और निगमों में रा.रा.क्षे.दि.स. का निवेश ₹ 18,492 करोड़ (2015-16) से बढ़कर ₹ 21,810 करोड़ (2024-25) हो गया है, लेकिन प्रतिफल **(चार्ट 1.26)** नगण्य (1 *प्रतिशत* से कम) बना हुआ है, जो उधारी की 7.6-8.7 *प्रतिशत* लागत से बहुत कम है, जो लोक निधि के अकुशल उपयोग और राजकोषीय तनाव को दर्शाता है। कुछ ही संस्थाएं लाभांश की घोषणा करती हैं, जबकि बड़ी रकम निष्क्रिय या अलाभकारी इकाइयों में अवरुद्ध रहती है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुरूप एक प्रभावी लाभांश नीति के अभाव और कमजोर विभागीय निगरानी के कारण, अनुपालन की स्थिति खराब है। रा.रा.क्षे.दि.स. को अलाभकारी संस्थाओं की लाभप्रदता की समीक्षा करने, विनिवेश पर विचार करने और प्रतिफल में सुधार और राजकोषीय भार को कम करने के लिए लाभांश घोषणाओं को लागू करने की आवश्यकता

है। यह पाया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 तक रा.रा.क्षे.दि.स. के तीन सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों (एसपीएसई) में ₹ 3,718.98 करोड़ का निवेश किया गया था। तीन एसपीएसई में से केवल दो एसपीएसई ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 103.06[5] करोड़ का प्रतिफल दिया, जो कुल निवेश का केवल 2.8 *प्रतिशत* था। तथापि, सरकार ने 8.09 *प्रतिशत* की औसत ब्याज दर पर निधि उधार ली थी।

लाभांश नीति और इसका प्रभाव

एक सुपरिभाषित लाभांश नीति वह है, जो लाभ कमाने वाले उद्यमों से न्यूनतम लाभ को अनिवार्य करती है, राज्य सरकार को एसपीएसई में किए गए निवेश से अपने प्रतिफल को अधिकतम करने में सक्षम बनाती है और एसपीएसई के वित्तीय निष्पादन की निगरानी को बेहतर बनाती है।

यह पाया गया कि दिल्ली सरकार ने दिनांक 17 अगस्त 2021 को कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एक लाभांश नीति परिचालित की है, जिसमें कर के बाद लाभ (पीएटी) के 30 *प्रतिशत* का न्यूनतम वार्षिक लाभांश या निवल मूल्य का 5 *प्रतिशत*, जो भी अधिक हो, का भुगतान पीएसयू द्वारा किया जाना है। प्रशासनिक विभाग एसपीएसई के वित्तीय परिणामों का जायजा ले सकता है और लाभांश के भुगतान के लिए लाभांश नीति में निर्धारित नियमावली को लागू कर सकता है।

एसपीएसई के वार्षिक लेखाओं से पता चला है कि केवल 3 कंपनियों (डीएससीएससी, डीएसआईआईडीसी और डीटीटीडीसी) ने लाभांश का भुगतान किया था और यह मौजूदा नीति (पीएटी का 30 *प्रतिशत* या निवल मूल्य का 5 *प्रतिशत*) के अनुरूप होने का दावा किया गया था। तथापि, लेखाओं से यह पता नहीं लगाया जा सका है कि क्या उपर्युक्त नीति का वास्तव में मूल रूप से पालन किया गया था या नहीं।

भुगतान किए गए लाभांश की गणना के संबंध में जानकारी संबंधित कंपनियों से मांगी गई है और इसकी प्रतीक्षा है (फरवरी 2026)।

---

[5] सरकारी कंपनियां (₹ 103.06 करोड़)

लाभांश नीति और इसके प्रभाव से संबंधित अन्य संगत जानकारी भी रा.रा.क्षे.दि.स. से प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)।

ग. रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त, रा.रा.क्षे.दि.स. कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है। **तालिका 1.19** में 31 मार्च 2025 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति और पिछले दस वर्षों (2015-2025) के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा उधारियों पर प्राप्त ब्याज और किए गए ब्याज भुगतानों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.19: 2015-25 के दौरान वितरित और पुनर्प्राप्त ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	57,190	59,915*	62,255	63,812	64,570	67,014	70,473	72,454	74,280	77,821
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	2,684	2,553	2,248	2,402	3,266	4,090	2,603	3,084	3,639	2,876
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	83	213	691	1,644	823	631	623	1,258	98	48
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	59,791	62,255	63,812	64,570	67,014	70,473	72,454	74,280	77,821	80,649
निवल परिवर्धन	2,601	2,340	1,557	758	2,443	3,459	1,981	1,826	3,541	2,828
प्राप्त ब्याज	83	81	396	113	404	464	336	46	339	120
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दर *(प्रतिशत)*	0.14	0.13	0.62	0.18	0.60	0.66	0.46	0.06	0.44	0.15
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर *(प्रतिशत)*	8.54	8.65	8.58	8.64	8.14	7.59	7.91	7.96	8.18	8.09
प्राप्त ब्याज की दर और भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर *(प्रतिशत)*	(-)8.40	(-)8.52	(-)7.96	(-)8.46	(-)7.54	(-)6.93	(-)7.45	(-)7.90	(-)7.74	(-)7.94

स्रोत: वित्त लेखे

** ₹ 124 करोड़ का अंतर, गलत वर्गीकरण के कारण पूर्व अवधि में समायोजन के कारण है।*

विश्लेषण से पता चलता है कि जहाँ एक ओर दिल्ली सरकार द्वारा ऋण वितरण में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं ऋणों की वसूली न्यूनतम है; जिसके परिणामस्वरूप बकाया शेष राशि लगातार बढ़ती जा रही है। ब्याज प्राप्तियां बहुत कम रहती हैं और ऋणों पर मिलने वाला प्रभावी प्रतिफल उधार लेने की लागत से बहुत कम होता है, जिससे ऋणात्मक स्प्रैड में विस्तार और सरकारी खजाने को निरंतर घाटा हो रहा है। यह ऋण प्रस्तावों के खराब मूल्यांकन, कमज़ोर वसूली तंत्र और प्रशासनिक विभागों द्वारा निगरानी के अभाव को दर्शाता है।

1.3 आकस्मिकता निधि

रा.रा.क्षे.दि.स. की आकस्मिक निधि का उद्देश्य रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधानसभा द्वारा प्राधिकार प्राप्त होने तक, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करना है। विधानमंडल द्वारा अतिरिक्त व्यय को मंजूरी देने के बाद निधि की वसूली की जाती है। इस निधि की कुल राशि ₹ 100 करोड़ है।

2024-25 के दौरान, विभिन्न बजटीय शीर्षों जैसे - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य (₹ 0.01 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 15.75 करोड़), पूंजीगत परिव्यय सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (₹ 31.08 करोड़), सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (₹ 2.64 करोड़) और परिवार कल्याण (₹ 0.13 करोड़) के अंतर्गत इस निधि से कुल ₹ 49.61 करोड़ निकाले गए थे। तथापि, वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक ₹ 49.61 करोड़ की कुल राशि पूरी तरह से पुनःपूर्ति/पुनर्प्राप्त कर ली गई थी। 31 मार्च 2025 तक, आकस्मिकता निधि में ₹ 100 करोड़ की राशि शेष थी।

आकस्मिकता निधि से किए गए व्यय के विवरण की चर्चा अध्याय-II के पैराग्राफ संख्या 2.8 में की गई है।

1.4 राजकोषीय संधारणीयता

राजकोषीय संधारणीयता एक सरकार की अपने राजस्व और व्यय को इस तरह से प्रबंधित करने की क्षमता है जो यह सुनिश्चित करती है कि वह अपने वर्तमान और भविष्य के दायित्वों जैसे लोक सेवाओं, अवसंरचना और ऋणों की चुकौती को अत्यधिक उधार लिए या अस्थिर ऋण जमा किए बिना पूरा कर सके। इसका तात्पर्य लंबी अवधि में राजस्व सृजन और व्यय के बीच एक स्थिर संतुलन बनाए रखना है।

चार्ट 1.27 और **चार्ट 1.28** वित्त वर्ष 2015-25 के दौरान स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में क्रमशः रा.रा.क्षे.दि.स. की प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हैं।

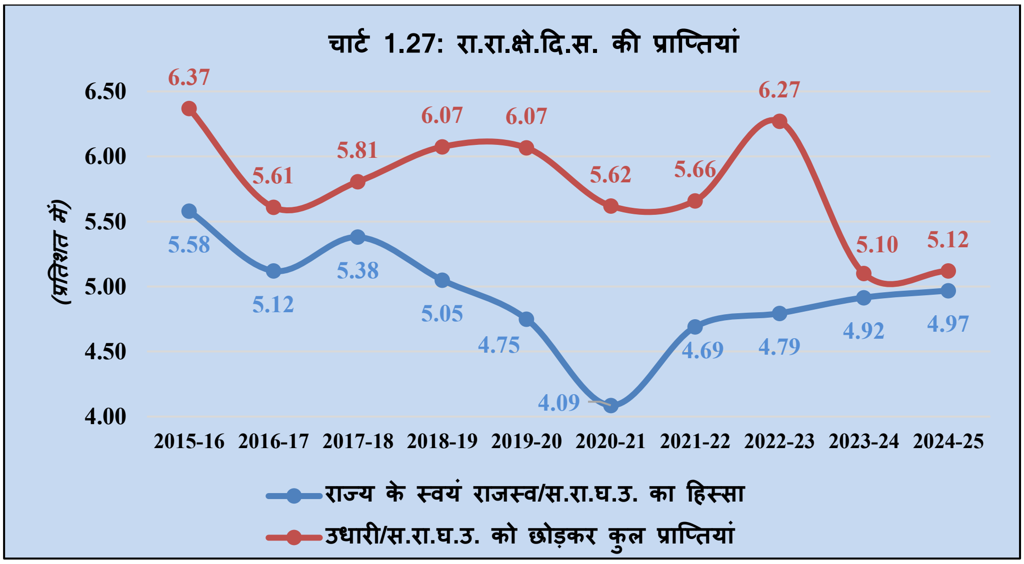

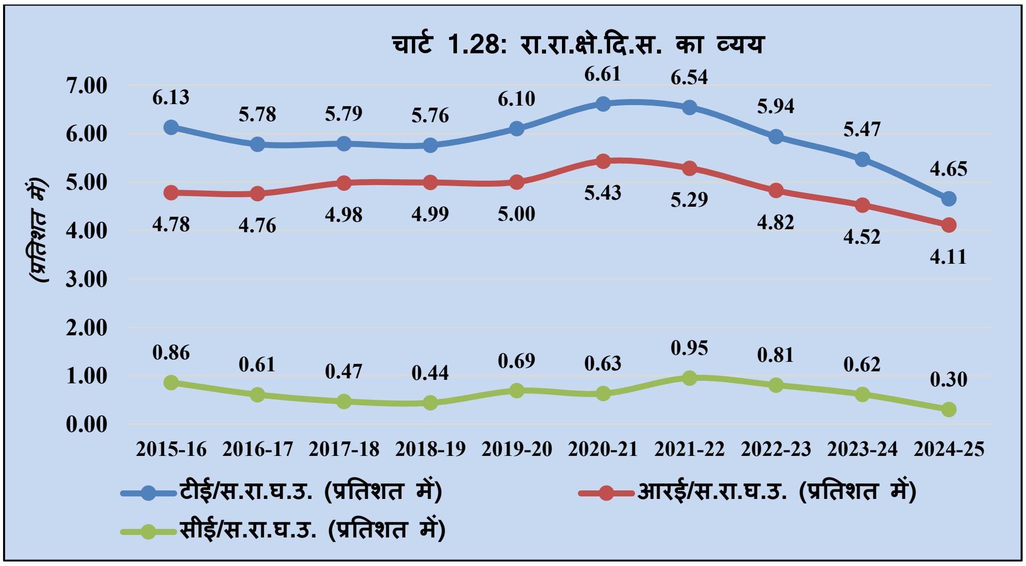

स्रोत: वित्त लेखे और स.रा.घ.उ. के आंकड़ों के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

1.4.1 लोक देयता प्रबंधन

2015-16 से 2024-25 की अवधि के लिए स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बकाया देयता को **चार्ट 1.29** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.29: बकाया लोक देयता और स.रा.घ.उ. के सापेक्ष उसकी प्रतिशतता

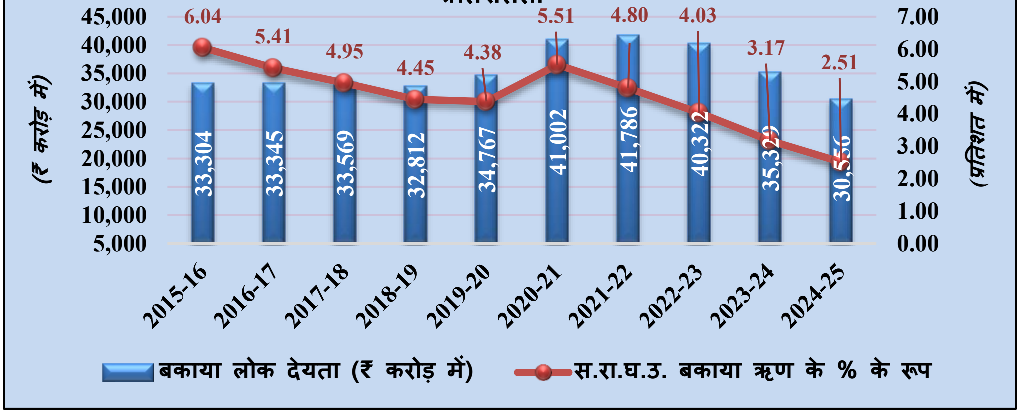

स्रोत: वित्त लेखे और स.रा.घ.उ. के आंकड़ों के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

1.4.1.1 देयता प्रोफाइल: घटक

रा.रा.क्षे.दि.स. की कुल देयताएं आमतौर पर केवल केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिमों में होती हैं क्योंकि रा.रा.क्षे.दि.स. को बाजार से ऋण लेने का अधिकार नहीं है। 2015-16 से शुरू होने वाले दस वर्षों की अवधि के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. की घटक-वार देयता प्रवृत्तियां **तालिका 1.20** में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 1.20: घटक-वार देयता प्रवृत्तियां

राजकोषीय देयता के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भारत सरकार से प्राप्त ऋण* *(₹ करोड़ में)*	33,304	33,345	33,569	32,812	34,767	41,002	41,786	40,322	35,329	30,556
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) *(₹ लाख करोड़ में)*	5.51	6.16	6.78	7.38	7.93	7.44	8.71	10.00	11.13	12.15
उधारी										
वर्ष के दौरान कुल ऋण प्राप्तियां *(₹ करोड़ में)**	2,241	1,696	1,906	2,880	4,765	9,500	5,000	3,251	0	142
वर्ष के दौरान कुल ऋण भुगतान (₹ करोड़ में)	1,435	1,655	1,682	3,636	2,811	3,265	4,215	4,715	4,994	4,914
उपलब्ध शुद्ध निधियां *(₹ करोड़ में)*	806	41	224	(-) 756	1,954	6,235	785	(-) 1,464	(-) 4,994	(-) 4,772
पुनर्भुगतान/प्राप्तियां *(प्रतिशत)*	64.03	97.58	88.25	126.25	58.98	34.37	84.30	145.03	-	3,460.56

स्रोत: वित्त लेखे

**वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-25 के दौरान इसमें क्रमशः ₹ 5,865 करोड़, ₹ 6,193 करोड़ और ₹ 12,058 करोड़ शामिल नहीं हैं, ये राशि जीएसटी मुआवजे की कमी की भरपाई के लिए भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त हुई थी, जिसका भुगतान राज्य सरकार को अपने स्वयं के स्रोतों से नहीं करना है।*

यद्यपि रा.रा.क्षे.दि.स. का आंतरिक ऋण *शून्य* है, रा.रा.क्षे.दि.स. की लोक लेखा देयताओं को केंद्रीय लेखाओं में विलय कर दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ऋण में 13.51 *प्रतिशत* की कमी आई है।

1.4.1.2 ऋण प्रोफ़ाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल ऋण चुकौती या ऋण अदायगी के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण परिपक्वता प्रोफ़ाइल को **चार्ट 1.30** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.30: ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल

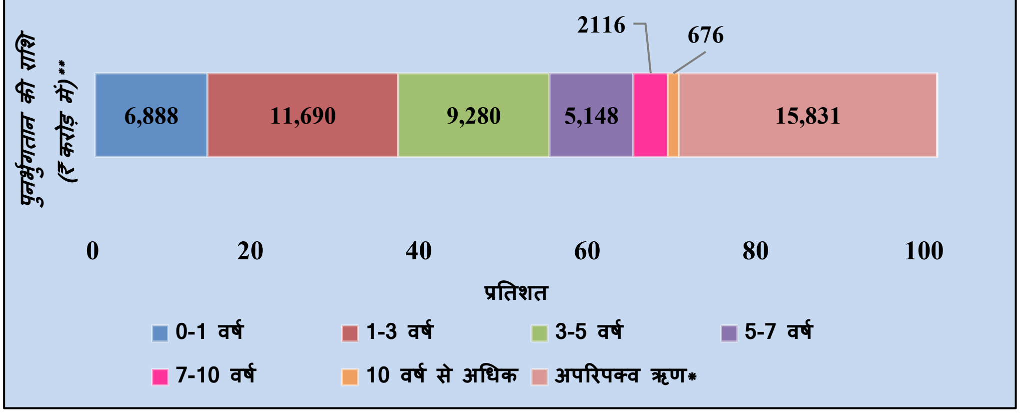

स्रोत: वित्त लेखे, रा.रा.क्षे.दि.स.

**अपरिपक्व ऋणों में 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹ 12,058 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण, 2013-14 के दौरान डीईएसयू के बकाया के निपटान के लिए भारत सरकार से ₹ 3,326 करोड़ के ऋण और चंद्रावल में डब्ल्यूटीपी के पुनरूद्धार के लिए ₹ 447 करोड़ के ऋण (2018-19) शामिल हैं।*

***उपर्युक्त समय अंतराल के दौरान देय ₹ 9,016 करोड़ का कुल ब्याज शामिल है।*

1.4.2 राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न

तालिका 1.21 में 2015-25 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण पैटर्न को दर्शाया गया है।

तालिका 1.21: राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्त पोषण पैटर्न

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजकोषीय अधिशेष (+)/घाटा (-) (1-2+3)		**1,332**	**(-) 1,050**	**113**	**2,237**	**(-) 416**	**(-) 6,708**	**(-) 7,022**	**4,566**	**(-) 3,934**	**5,724**
1	राजस्व अधिशेष	8,656	5,044	4,913	6,261	7,499	1,450	3,270	14,457	6,462	12,247
2	शुद्ध पूंजीगत व्यय	4,723	3,754	3,243	3,266	5,472	4,699	8,311	8,065	6,855	3,695
3	निवल ऋण और अग्रिम	(-) 2,601	(-) 2,340	(-) 1,557	(-) 758	(-) 2,443	(-) 3,459	(-) 1,981	(-) 1,826	(-) 3,541	(-) 2,828
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न											
1	भारत सरकार से प्राप्त निवल ऋण	806	41	224	(-)756	1,954	12,100	6,978	(-) 1,464	(-) 4,994	(-) 4,772
2	वृद्धि (-)/नकद शेष में कमी (+)	(-) 2,138	1,009	(-) 337	(-) 1,481	(-) 1,538	(-) 5,392	44	(-) 3,102	8,928	(-) 952
सकल राजकोषीय अधिशेष (+)/घाटा (-) (1+2)		**(-) 1,332**	**1,050**	**(-) 113**	**(-) 2,237**	**416**	**6,708**	**7,022**	**(-) 4,566**	**3,934**	**(-) 5,724**

स्रोत: वित्त लेखे

2015-25 की 10 वर्ष की अवधि के दौरान, राजकोषीय अधिशेष/घाटे में एक मिश्रित प्रवृत्ति देखने को मिली, जिसमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने 5 वर्षों में राजकोषीय अधिशेष दर्ज किया। राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. को पूरी तरह से भारत सरकार से प्राप्त होने वाले ऋणों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि उसे बाज़ार से ऋण लेने का अधिकार नहीं है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ऋण विशेष रूप से अधिक थे, जिसका कारण जीएसटी मुआवज़े में कमी की भरपाई के लिए क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋणों की प्राप्ति थी; यद्यपि इन ऋणों का पुनर्भुगतान रा.रा.क्षे.दि.स. को अपने स्वयं के स्रोतों से नहीं करना है।

1.4.3 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता से तात्पर्य राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा करने की क्षमता से है। ऋण स्थिरता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण **तालिका 1.22** में दिया गया है।

तालिका 1.22: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां

क्रम सं.	ऋण स्थिरता संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	कुल देयता या कुल ऋण (*₹ करोड़ में*)*	41,002	41,786	40,322	35,329	30,556
2	कुल ऋण की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	17.93	1.91	(-)3.50	(-)12.38	(-)13.51
3	अंकित स.रा.घ.उ.[6] (*₹ लाख करोड़ में*)	7.44	8.71	10.00	11.13	12.15
4	अंकित स.रा.घ.उ. वृद्धि (*प्रतिशत*)	(-)6.13	16.98	14.83	11.32	9.17
5	कुल ऋण/स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	5.51	4.80	4.03	3.17	2.51
6	सकल उधारी का पुनर्भुगतान (*प्रतिशत*)	64.62	149.78	245.49	अनिश्चित	5,338.03
7	सकल उधारी की प्रतिशतता के रूप में उपलब्ध निवल उधारियां#	35.38	(-)49.78	(-)145.49		(-)5,238.03
8	कलु ऋण पर ब्याज भुगतान (*₹ करोड़ में*)	2,874	3,274	3,266	3,094	2,666
9	कुल ऋण[7] पर ब्याज की प्रभावी दर (*प्रतिशत*)	7.59	7.91	7.96	8.18	8.09
10	राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान (*प्रतिशत*)	6.87	6.64	5.21	5.45	4.28
11	राजस्व घाटा(-)/अधिशेष(+)	1,450	3,270	14,457	6,462	12,247
12	प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी) (*₹ करोड़ में*)	4,324	6,544	17,723	9,557	14,913
13	प्राथमिक शेष राशि (पीबी) (*₹ करोड़ में*)	(-)3,834	(-)3,747	7,832	(-)840	8,390
14	पीबी/स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	(-)0.52	(-)0.43	0.78	(-)0.08	0.69
15	आरओआई[8] और कुल ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर के बीच अंतर (*प्रतिशत*)	(-)6.93	(-)7.45	(-)7.90	(-)7.74	(-)7.94
16	परिनिर्धारण प्रबंधन (आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन साधनों का उपयोग) (कई अवसरों पर)	-	-	-	-	-
17	ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड[9] + प्राथमिक शेष)	(-)9,459	43	10,604	269	8,719
18	**डोमर अंतराल**					
क	स.रा.घ.उ. (₹ लाख करोड़ में) (स्थिरांक में)	5.34	5.72	6.14	6.70	7.12
ख	वास्तविक वृद्धि (स्थिरांक में) (*प्रतिशत*)	(-)8.96	7.20	7.27	9.16	6.21
ग	सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति (*प्रतिशत*)	3.03	5.97	4.00	2.55	2.40
घ	प्रभावी ब्याज दर(*प्रतिशत*)	7.59	7.91	7.96	8.18	8.09
ङ	ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर (ब्याज की प्रभावी दर-मुद्रास्फीति) (*प्रतिशत*)	4.56	1.94	3.96	5.63	5.69
च	वृद्धि ब्याज विभेदक (जीआईडी) (वास्तविक वृद्धि-ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर) (*प्रतिशत*)	(-)13.52	5.26	3.31	3.53	0.52

6 **स.रा.घ.उ.**: 2020-21 और 2021-22 के लिए वास्तविक आंकड़े; 2022-23 के लिए अनंतिम अनुमान (पीई), 2023-24 के लिए त्वरित अनुमान (क्यूई) और 2024-25 के लिए अग्रिम अनुमान (एई) **स.घ.उ.**: 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए वास्तविक आंकड़े; एफआरई: 2023-24 के लिए पहला परिशोधित अनुमान और पीई: 2024-25 के लिए अनंतिम अनुमान।

7 कुल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर की गणना आरक्षित निधियों, ब्याज न देने वाली जमाराशियों और पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को 50 वर्ष की ब्याज मुक्त केंद्रीय सहायता को समायोजित करते हुए की गई है। प्रभावी ब्याज दर = भुगतान किया गया ब्याज/ऋण के स्टॉक को खोलने और बंद करने का औसत (ब्याज रहित देयताओं को छोड़कर) *100

8 निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) जैसा कि ब्याज प्राप्तियों की प्रभावी दर द्वारा मापा जाता है। आरओआई = ब्याज प्राप्तियां/वितरित ऋणों और अग्रिमों के स्टॉक को खोलने और बंद करने का औसत *100

9 क्वांटम स्प्रेड = ब्याज स्प्रेड x ऋण (ब्याज रहित देयताओं को छोड़कर)।

क्रम सं.	ऋण स्थिरता संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
छ	प्राथमिक शेष राशि (पीबी) *(₹ करोड़ में)*	(-)3,834	(-)3,747	7,832	(-)840	8,390

स्रोत: वित्त लेखे

कलर कोड: रंग जितना गहरा होगा, वित्त पर तनाव उतना ही अधिक होगा

** बकाया लोक ऋण 6003-आंतरिक ऋण और 6004-केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि का योग है। 2020-21, 2021-22 और 2022-25 के दौरान, जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 5,865 करोड़, ₹ 6,193 करोड़ और ₹ 12,058 करोड़ (₹ 5,865 करोड़ + ₹ 6,193 करोड़) को शामिल नहीं किया गया, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से नहीं चुकाया जाना है।*

 # रा.रा.क्षे.दि.स. के लिए उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण प्राप्तियों पर लोक ऋण पुनर्भुगतान की अधिकता और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के रूप में की जाती है।

2020-21 से 2024-25 तक रा.रा.क्षे.दि.स. का ऋण प्रोफाइल महत्वपूर्ण राजकोषीय स्वास्थ्य और स्थिरता संकेतों को दर्शाता है।

(i) उधारियों की चुकौती के लिए उपयोग की गई लोक ऋण प्राप्तियों का अनुपात 2020-21 में 65 *प्रतिशत* से लेकर 2024-25 में 5,338 *प्रतिशत* तक रहा। वर्ष के दौरान शून्य ऋण प्राप्तियों के कारण, 2023-24 के दौरान उक्त अनुपात अपरिभाषित है।

(ii) स.रा.घ.उ. के सापेक्ष कुल देयताओं के आधार पर मापा गया रा.रा.क्षे.दि.स. का औसत ऋण भार, 2020-25 के दौरान 4 *प्रतिशत* रहा। महामारी वर्ष (2020-21) को छोड़कर, 2020-21 से 2024-25 के दौरान केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की ऋण गतिशीलता अनुकूल रही, क्योंकि अंकित वृद्धि लगातार ब्याज दर से अधिक थी। इससे पता चलता है कि अंकित की वृद्धि प्रबल थी और उधारी की लागत से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर स.रा.घ.उ. के सापेक्ष प्राथमिक शेष में विशेष रूप से सुधार हो रहा है। यह दर्शाता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋण भार में 2020-21 के 5.51 *प्रतिशत* से 2024-25 में 2.51 *प्रतिशत* तक दर्ज की गई गिरावट का श्रेय ऋण की अनुकूल गतिशीलता को दिया जा सकता है।

(iii) डोमर मानदंड से पता चलता है कि 2021-22 में एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार के बाद वास्तविक रूप से जीआईडी, 2023-24 के अपवाद को छोड़कर आर्थिक विकास में लगातार मंदी, साथ ही

2022-23 से उधारी की वास्तविक लागत में लगातार वृद्धि के कारण जीआईडी को उसके बाद से गिरावट की प्रवृत्ति देखने के लिए मजबूर किया।

(iv) राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2020-21 के 6.87 *प्रतिशत* से घटकर 2024-25 में 4.28 *प्रतिशत* हो गई है, जो ब्याज व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में तेज़ी से वृद्धि और बेहतर ऋण प्रबंधन नीतियों का संकेत है, जिससे राजकोषीय संधारणीयता में सुधार हुआ है।

दिल्ली की ऋण स्थिति राजकोषीय तनाव का कम जोखिम, नियमबद्ध उधारी और अनुकूल स्थिरता संकेतकों को दर्शाती है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण मुख्य रूप से पुनर्भुगतान द्वारा अवशोषित होने के स्थान पर विकास बढ़ाने वाले निवेश का समर्थन करते हैं, इसके लिए निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसलिए, संभावित वृद्धि को गति देने और उसे प्राप्त करने के लिए भौतिक और मानव पूंजी निर्माण में निरंतर निवेश व्यय हेतु, अधिक संसाधन उपलब्ध कराने में, रा.रा.क्षे.दि.स. को अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अतिरिक्त कर संसाधन मुख्य रूप से बेहतर कर संग्रह और गैर-कर राजस्व बढ़ाने के अन्य उपायों के साथ-साथ अनुपालन बढ़ाने के लिए प्रवर्तन को मजबूत करने से आने चाहिए। सतत और स्थिर विकास उपायों के साथ-साथ अतिरिक्त संसाधन जुटाने से स्वयं कर-स.रा.घ.उ. अनुपात और स्वयं गैर-कर-स.रा.घ.उ. अनुपात में वृद्धि होती है।

1.4.4 राजकोषीय स्थिरता के मार्ग

राजस्व बढ़ाकर और व्यय को युक्तिसंगत बनाकर घाटे में सुधार किया जा सकता है। इसमें कर अनुपालन को मजबूत करना, कर आधार का विस्तार करना, उपयोगकर्ता शुल्क को परिशोधित करना और निष्क्रिय सरकारी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना शामिल है। व्यय के पक्ष में, सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण, वेतन और पेंशन वृद्धि को नियंत्रित करना और व्यय का

उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करना प्रमुख कारक हैं। उत्पादक पूंजी निवेश को प्राथमिकता देने और पारदर्शी और कुशल उधारी के माध्यम से ऋण प्रबंधन में सुधार करने से राजकोषीय तनाव को और कम किया जा सकता है। ये उपाय सामूहिक रूप से राजकोषीय स्थान बनाते हैं और राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे को स्थायी तरीके से कम करने में मदद करते हैं। इन पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

1.4.5 रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व में सुधार

राजस्व की वह अप्रयुक्त क्षमता, जिसका यदि प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए, तो उससे राजकोषीय क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है और ऋण पर निर्भरता कम हो सकती है। राज्य जीएसटी, स्टाम्प शुल्क और उत्पाद शुल्क जैसे प्रमुख कर स्रोतों के मूल्यांकन में कमियां, अवमूल्यांकन और सीमित प्रवर्तन तंत्र से राजस्व वृद्धि में कमी आएगी। कम उपयोगकर्ता शुल्क के साथ कम वसूले गए गैर-कर राजस्व, खराब लागत वसूली और सार्वजनिक परिसंपत्तियों और निवेशों पर कम प्रतिफल भी राजकोषीय क्षेत्र को सीमित करते हैं। लंबित बकायों की समय पर वसूली (कर और गैर-कर), राजकोषीय क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है।

क. राजस्व का बकाया

31 मार्च 2025 तक, राजस्व के प्रधान शीर्षों के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि में प्राप्त होने वाले राजस्व का बकाया ₹ 2,56,845.67 करोड़ था, जिसमें से ₹ 57,331.13 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि **तालिका 1.23** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.23: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2025 तक बकाया राशि	31 मार्च 2025 तक पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया राशि
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मू.व. कर	80,498.16	57,331.13
2.	वस्तु एवं सेवा कर	1,76,347.51	-
3.	वन और वन्य जीव	फरवरी 2026 तक विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।	
4.	राज्य उत्पाद शुल्क		
5.	वाहनों पर कर		

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2025 तक बकाया राशि	31 मार्च 2025 तक पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया राशि
6.	भू-राजस्व		
7.	स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क		
कुल		2,56,845.67	57,331.13

स्रोत: व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

ख. निर्धारण की बकाया राशि

वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या, निर्धारण के लिए अपेक्षित मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों और वर्ष के अंत में अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित मामलों की संख्या के संबंध में जानकारी, जैसा कि बिक्री कर/वैट के संबंध में व्यापार और कर विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई है, **तालिका 1.24** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.24: निर्धारण की बकाया राशि

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2024-25 के प्रारंभ में लंबित मामले	2024-25 के दौरान निर्धारण के लिए अपेक्षित नए मामले	निर्धारण के लिए अपेक्षित कुल मामले	2024-25 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष राशि	निपटान की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मू.व. कर	0	12,483	12,483	12,483	0	100

स्रोत: व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

ग. विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन, प्रतिदाय मामले, आदि का विवरण

कर अपवंचन के संज्ञान में आए मामले, अंतिम रूप दिए गए मामले और अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांग रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व संग्रह प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान व्यापार और कर विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अंतिम रूप दिए गए मामले और अतिरिक्त कर की मांग का विवरण, जैसा कि संबंधित विभागों द्वारा बताया गया है, **तालिका 1.25** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.25: कर अपवंचन के मामले

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2024 की अनुसार तक लंबित मामले	2024-25 के दौरान सामने आए मामले	कुल	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी हो गई है और जुर्माना, आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई है		31 मार्च 2025 तक अंतिम निर्णय के लिए लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि *(₹ करोड़ में)*	
1.	वस्तु एवं सेवा कर	25	39	64	20	13.67	44
कुल		**25**	**39**	**64**	**20**	**13.67**	

स्रोत: व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

1.4.6 व्यय पक्ष से संबंधित मुद्दे

क. प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी से राजकोषीय तनाव

चार्ट 1.31 और **चार्ट 1.32** क्रमशः वित्त वर्ष 2015-25 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी को एक साथ दर्शाते हैं।

चार्ट 1.31: राजस्व प्राप्तियों (आरआर) की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी

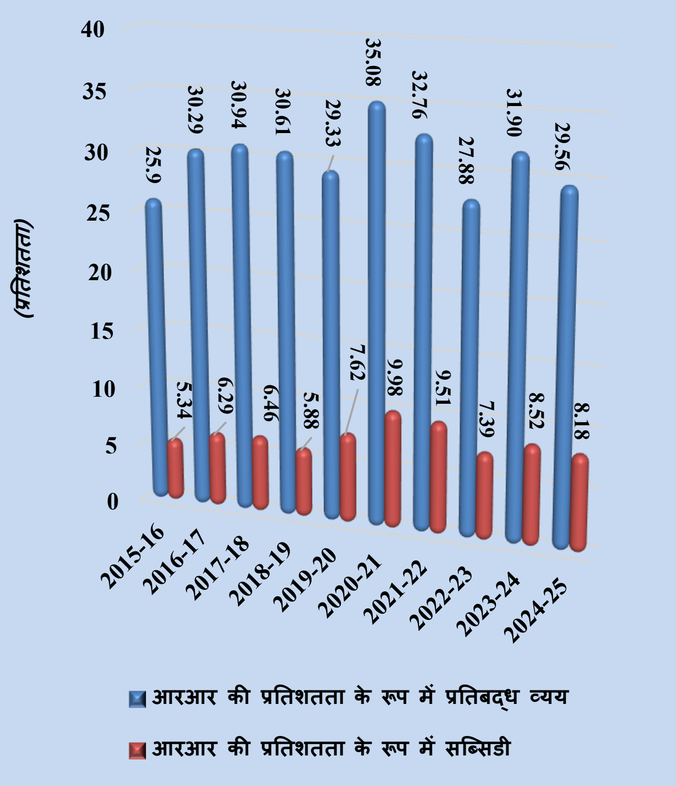

चार्ट 1.32: राजस्व व्यय (आरई) की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी

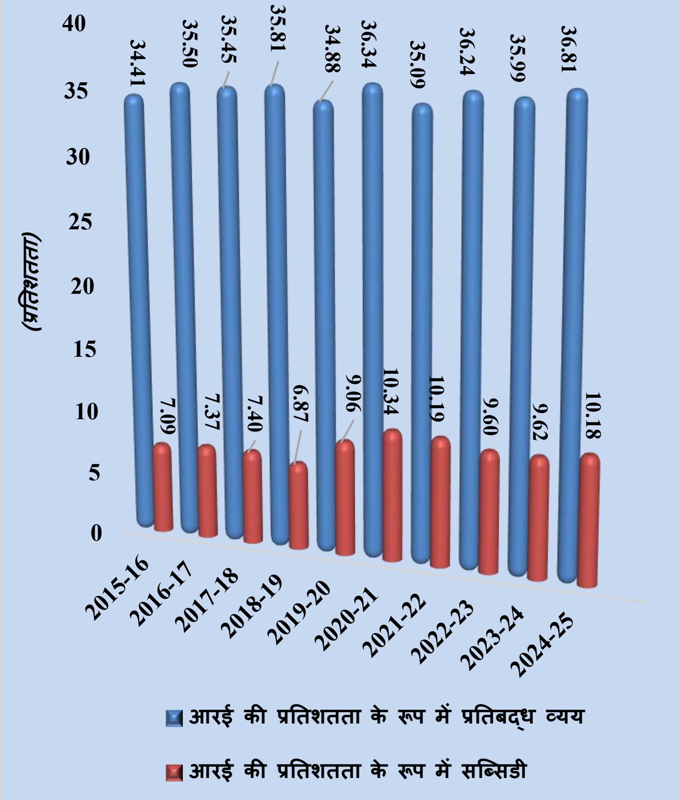

वर्ष 2024-25 में, रा.रा.क्षे.दि.स. के ₹ 18,398 करोड़ का प्रतिबद्ध व्यय, जिसमें वेतन और मजदूरी, भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत (₹ 15,727 करोड़), पूर्व

विधायकों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन (₹ 4.70 करोड़), और ब्याज भुगतान (₹ 2,666 करोड़) शामिल हैं, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 29.56 *प्रतिशत* रहा। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी की राशि ₹ 5,090 करोड़ थी, जिससे कुल अपरिवर्तनीय व्यय ₹ 23,488 करोड़ हो गया, जो रा.रा.क्षे.दि.स. की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 37.74 *प्रतिशत* था। इस तरह के व्यय की उच्च और अपरिवर्तनीय प्रकृति राजकोषीय स्थान को उल्लेखनीय रूप से कम कर देती है, जिससे पूंजी निवेश और विकासात्मक प्राथमिकताओं के लिए संसाधन आबंटित को आबंटित करने की राज्य की क्षमता सीमित हो जाती है। यह संरचनात्मक असंतुलन लगातार राजस्व और प्राथमिक घाटे के जोखिम को बढ़ाता है, दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता को बाधित करता है और आकस्मिक सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने की सरकार की क्षमता को कम करता है।

राजकोषीय लचीलापन बढ़ाने और एक संधारणीय राजकोषीय मार्ग सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी के युक्तीकरण, बेहतर लक्ष्यीकरण और विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से व्यय सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

1.5 निष्कर्ष

- 2024-25 के दौरान स.रा.घ.उ. के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. की स्वयं राजस्व उत्प्लावकता एक से अधिक थी, जो दर्शाता है कि स.रा.घ.उ. में उल्लेखनीय 9.17 *प्रतिशत* की वृद्धि रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वयं राजस्व जुटाव में आनुपातिक वृद्धि में परिणत हुई।

  2024-25 के दौरान, अधिकतम राजस्व अधिशेष के मामले में रा.रा.क्षे.दि., चौथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2020-25 के दौरान लगातार राजस्व अधिशेष दर्ज किया, जो ₹ 1,450 करोड़ से ₹ 14,457 करोड़ तक था और इस अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में 0.19 से 1.45 के बीच था। इसके अतिरिक्त, 2024-25 के दौरान पुदुचेरी के अलावा रा.रा.क्षे.दि.स. एकमात्र ऐसा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश था, जिसने ₹ 5,724 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 0.47 *प्रतिशत*) का राजकोषीय अधिशेष दर्ज किया था। तथापि, यह उल्लेख करना उचित है कि यद्यपि रा.रा.क्षे.दि.स. को केंद्रीय कर में कोई

हिस्सा नहीं मिलता है, परंतु वर्ष 2024-25 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. की ₹ 2,241.45 करोड़ की पेंशन देयताओं (दिल्ली के पूर्व विधायकों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन देयताओं को छोड़कर) और दिल्ली पुलिस के कारण होने वाले ₹ 11,595.91 करोड़ के व्यय को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है।

- 2015-16 और 2024-25 के बीच, राजस्व व्यय ₹ 26,343 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 4.78 *प्रतिशत*) से बढ़कर ₹ 49,986 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 4.11 *प्रतिशत)* हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग (78 से 88 *प्रतिशत*) था, जो 6.61 *प्रतिशत* की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा था।

- राजस्व व्यय के अंतर्गत, 2015-25 की अवधि के दौरान ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय की राशि, राजस्व व्यय की 34-37 *प्रतिशत* थी। उस अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में 7.33 *प्रतिशत* की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि हुई।

- सब्सिडी की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो 2015-16 के ₹ 1,868 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 5,090 करोड़ हो गई, जो 2015-25 के दौरान कुल राजस्व व्यय के 6.87 *प्रतिशत* से 10.34 *प्रतिशत* तक थी। इस अवधि के दौरान विद्युत सब्सिडी, कुल सब्सिडी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो 67 *प्रतिशत* से 73 *प्रतिशत* तक थी।

- स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत व्यय काफी कम था और यह 2015-25 के दौरान 0.30 से 0.95 के बीच था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2024-25 के दौरान पूंजीगत कार्यों पर केवल ₹ 3,695 करोड़ खर्च किए, जो कुल व्यय का 6.53 *प्रतिशत* था।

- राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान का अनुपात 2015-16 के 8.03 से काफ़ी 2024-25 में 4.28 हो गया, जो एक संधारणीय ऋण प्रक्षेपवक्र का संकेत देता है।

1.6 सिफारिशें

सरकार को चाहिए कि:

(i) *वह कर अनुपालन में सुधार करके, संपत्ति मूल्यांकन प्रणालियों को अद्यतन करके और विशेष रूप से लाभांश और ब्याज प्राप्तियों आदि के लिए एक स्पष्ट गैर-कर राजस्व नीति लागू करके राजस्व जुटाने की प्रक्रिया को मज़बूत करें।*

(ii) *वह अवसंरचना क्षेत्रों के लिए आबंटन को बढ़ाकर, व्यय के गलत वर्गीकरण से बचकर और पूंजीगत परिव्यय का आर्थिक विकास के साथ तालमेल को सुनिश्चित करके पूंजीगत व्यय को उसकी गुणवत्ता और प्राथमिकता के साथ बढ़ाएं।*

अध्याय-II

बजटीय प्रबंधन

अध्याय - II: बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा करता है, बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतर को प्रकट करता है, जिसमें अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग, अनावश्यक अनुपूरक और बड़ी और निरंतर बचत जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह वित्तीय योजना, नियंत्रण और अनुपालन में कमज़ोरियों को उजागर करता है, यथार्थवादी बजट, समय पर निधि का उपयोग आदि की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

2.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) कहा जाता है, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना है। इसी प्रकार, रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 27 के अनुसार उपराज्यपाल, प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण विधानसभा के समक्ष रखवाएंगे।

वर्ष 2024-25 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 15 अनुदान/विनियोग प्रबंधित किए। व्यय के अनुमान व्यय की 'प्रभारित' और 'दत्तमत' मदों[1] को अलग-अलग दर्शाते हैं और राजस्व लेखाओं पर होने वाले व्यय को अन्य व्यय से अलग करते हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकार आवश्यक है।

रा.रा.क्षे.दि.स. की बजट नियमावली के अनुसार, वित्त विभाग विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों और व्यय के विभागीय अनुमान विभागाध्यक्षों की सलाह पर नियंत्रण अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और 'अनुदान की मांग'

---

[1] **प्रभारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण चुकौती, आदि), रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि पर एक प्रभार का गठन करती हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। **दत्तमत व्यय:** अन्य सभी व्यय विधायिका द्वारा मतदान किए जाते हैं।

नामक विस्तृत अनुमान तैयार करता है। रा.रा.क्षे.दि.स. के बजट में प्रमुख रूप से निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं:

- ✓ वार्षिक वित्तीय विवरण
- ✓ अनुदान की मांग
- ✓ अन्य

2.2 बजट अनुमान और अपेक्षा और वास्तविक के बीच अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन संसाधनों के इष्टतम उपयोग, योजना कार्यान्वयन को मज़बूत करने और राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। लगातार बचत/आधिक्य अंतर्निहित बजटीय प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के विधानमंडल से प्राप्त कुल विनियोग (वास्तविक व्यय और बचत) का विवरण **तालिका 2.1** में संक्षेप में दिया गया है।

तालिका 2.1: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत	2024-25 के दौरान अभ्यर्पण	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	57,655.70	1,414.32	59,070.02	47,081.85	11,988.17	7,672.31	64.00
	II. पूंजीगत	5,887.46	937.76	6,825.22	3,709.19	3,116.03	2,031.18	65.18
	III. ऋण और अग्रिम	4,255.51	2,318.57	6,574.08	2,876.04	3,698.04	1,550.93	41.94
कुल दत्तमत		67,798.67	4,670.65	72,469.32	53,667.08	18,802.24	11,254.42	59.86
प्रभारित	I. राजस्व	3,314.83	35.28	3,350.11	3,285.70	64.41	6.61	10.26
	II. पूंजीगत	31.95	33.10	65.05	44.09	20.96	2.31	11.02
	III. लोक ऋण	4,914.33	0	4,914.33	4,914.32	0.01	0	0
	IV. ऋण और अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0
कुल प्रभारित		8,261.11	68.38	8,329.49	8,244.11	85.38	8.92	10.45
आकस्मिकता निधि हेतु विनियोग (यदि कोई हो)		0	0	0	0	0	0	0
कुल योग		**76,059.78**	**4,739.03**	**80,798.81**	**61,911.19**	**18,887.62**	**11,263.34**	**59.63**

स्रोत: विनियोग लेखे

नोट: *ऊपर दर्शाए गए व्यय राजस्व शीर्षों (₹ 381.73 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 58.44 करोड़) के अंतर्गत व्यय की कमी के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियों पर विचार किए बिना सकल आंकड़े हैं।*

रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपनी गतिविधियों/योजनाओं पर व्यय करने के लिए ₹ 80,798.81 करोड़ की परिकल्पना की थी, जिसके प्रति संवितरण/व्यय ₹ 61,911.19 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18,887.62 करोड़ की बचत हुई। ₹ 18,887.62 करोड़ की कुल बचत में से, ₹ 11,263.34 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया और शेष ₹ 7,624.28 करोड़ मार्च 2025 के अंत में व्यपगमित हो गए। इस प्रकार, विधायिका द्वारा अधिकृत बजट का 23.38 *प्रतिशत* रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा व्यय नहीं किया जा सका। वास्तविक आवश्यकता से अधिक व्यय का अनुमान लगाना अपर्याप्त बजटीय प्रक्रिया का सूचक था।

2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए मूल बजट, परिशोधित बजट अनुमान और वास्तविक व्यय की प्रवृत्तियां **तालिका 2.2** में दी गई हैं:

तालिका 2.2: वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान मूल बजट, परिशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल बजट	65,000.00	69,000.00	75,829.94	78,927.80	76,059.78
अनुपूरक बजट	891.87	3,081.08	3,298.34	2,990.43	4,739.03
कुल बजट (टीबी)	65,891.87	72,081.08	79,128.28	81,918.23	80,798.81
परिशोधित अनुमान (आरई)	59,000.00	67,000.00	72,500.00	74,900.00	69,500.00
वास्तविक व्यय (एई)	52,895.76	61,542.00	65,012.57	66,590.87	61,911.19
बचत/आधिक्य	12,996.11	10,539.08	14,115.71	15,327.36	18,887.62
मूल प्रावधान की तुलना में अनुपूरक की प्रतिशतता	1.37	4.47	4.34	3.79	6.23
कुल प्रावधान की तुलना में बचत/आधिक्य की प्रतिशतता	19.72	14.62	17.84	18.71	23.38
टीबी-आरई	6,891.87	5,081.08	6,628.28	7,018.23	11,298.81
आरई-एई	6,104.24	5,458.00	7,487.43	8,309.13	7,588.81
टीबी की प्रतिशतता के रूप में (टीबी-आरई)	10.46	7.05	8.38	8.58	13.98
टीबी की प्रतिशतता के रूप में (आरई-एई)	9.26	7.57	9.46	10.14	9.39

स्रोत: बजट एक नज़र में और संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

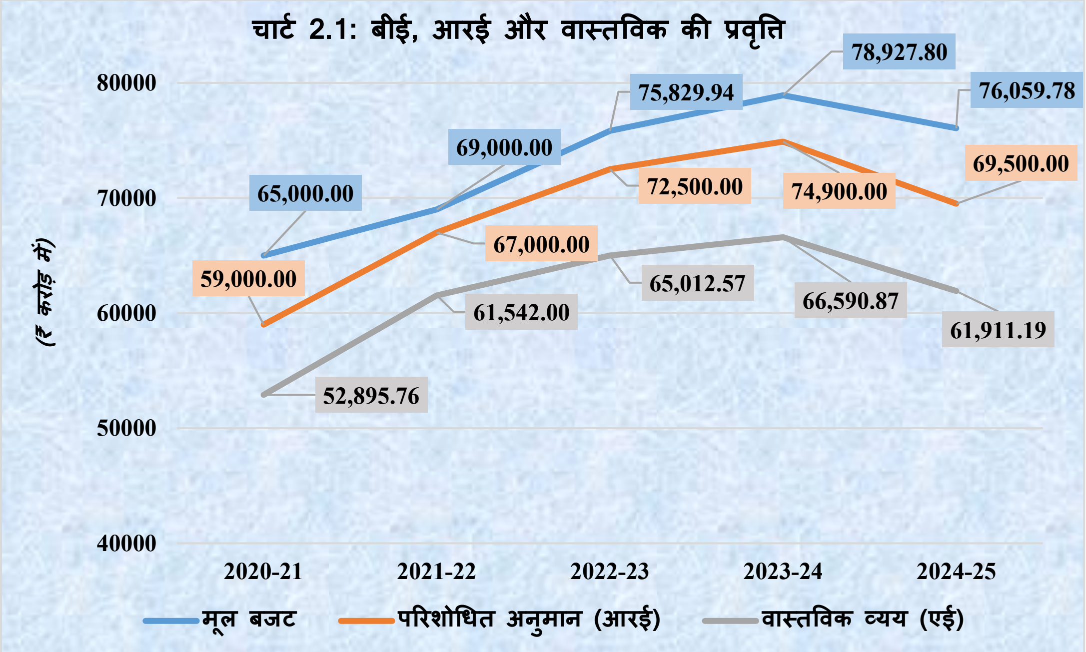

तालिका 2.2 और **चार्ट 2.1** से पता चलता है कि 2020-21 से 2024-25 तक के वर्षों में, आरई हमेशा रा.रा.क्षे.दि.स. के टीबी से कम था। आरई और टीबी के बीच के अंतर ने पिछले चार वर्षों अर्थात् 2021-22 (7.05 *प्रतिशत*) से 2024-25 (13.98 *प्रतिशत*) के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई। वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधानों के 1.37 *प्रतिशत* से 6.23 *प्रतिशत* तक था। तथापि, अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया। 2020-2025 की अवधि के दौरान कुल बचत बजट प्रावधानों के 14.62 *प्रतिशत* से 23.38 *प्रतिशत* तक रही।

इसके अतिरिक्त, वास्तविक व्यय सभी पांच वर्षों में लगातार आरई से नीचे रहा, जो व्यय योजना में निरंतर अक्षमता का संकेत देता है। आरई-एई के बीच अंतर 2020-21 में ₹ 6,104.24 करोड़ और 2024-25 में ₹ 7,588.81 करोड़ था, जो दर्शाता है कि आरई के माध्यम से अर्ध-वार्षिक सुधार भी वास्तविक व्यय क्षमता के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं थे।

2.3 बजट लक्ष्यप्राप्ति

व्यय संरचना आउटटर्न

व्यय संरचना आउटटर्न यह मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुन: आबंटन ने व्यय संरचना में किस हद तक भिन्नता में योगदान दिया है।

अनुदान, आधिक्य[2] और बचत का वर्ष-वार विश्लेषण रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा बजट निष्पादन और वित्तीय प्रबंधन की दक्षता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसे **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: वर्ष-वार अनुदान, आधिक्य और बचत

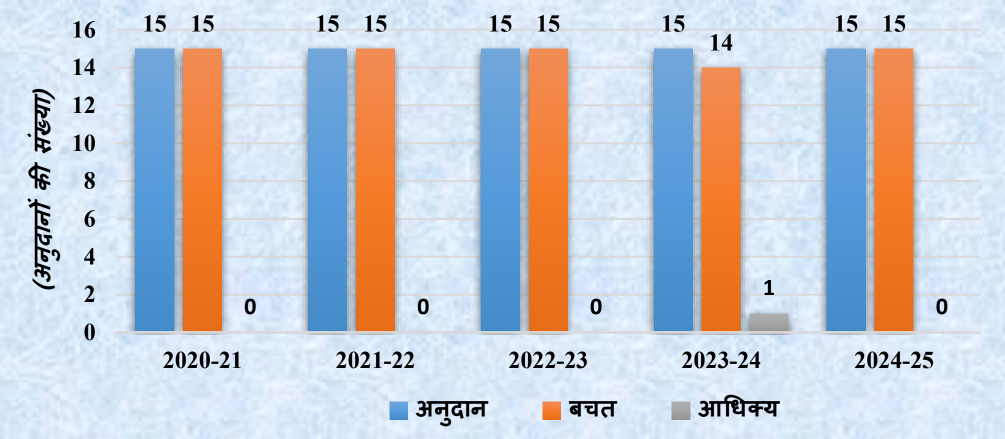

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए व्यय संरचना आउटटर्न **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए व्यय संरचना कुल विचलन

(₹ करोड़ में)

खंड	कुल विचलन (प्रतिशत)	विचलन की सीमा (प्रतिशत)	अनुदान की संख्या
राजस्व (दत्मत)	20.29	0 से 25	06
		+ 25 से 50	04
		+ 50 से 100	02
		कोई प्रावधान नहीं	03
पूंजीगत (दत्मत)	50.85	0 से 25	00
		+ 25 से 50	02
		+ 50 से 100	10
		कोई प्रावधान नहीं	03
राजस्व (प्रभारित)	1.92	0 से 25	02
		+ 25 से 50	05
		+ 50 से 100	05
		कोई प्रावधान नहीं	03
पूंजीगत (प्रभारित)	0.42	0 से 25	02
		+ 25 से 50	01
		+ 50 से 100	02
		कोई प्रावधान नहीं	10

2 "आधिक्य" बजट प्रावधानों की अपेक्षा अधिक व्यय को सूचित करता है।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि राजस्व (दत्तमत) खंड में, स्वीकृत बजट की तुलना में आउटटर्न में कुल विचलन 20.29 *प्रतिशत* था। यह छह अनुदान में 25 *प्रतिशत* तक, चार अनुदान में +25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत* तक और दो अनुदान में +50 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* तक विचलन के कारण था। तथापि, राजस्व दत्तमत खंड में तीन अनुदान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसी प्रकार, राजस्व प्रभारित खंड में, स्वीकृत बजट की तुलना में आउटटर्न में कुल विचलन 1.92 *प्रतिशत* था। यह दो अनुदान में 25 *प्रतिशत* तक, पांच अनुदान में +25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत* तक और पांच अनुदान +50 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* तक विचलन के कारण था। तथापि, राजस्व प्रभारित खंड में तीन अनुदान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

पूंजीगत (दत्तमत) खंड में, स्वीकृत बजट की तुलना में आउटटर्न में कुल विचलन 50.85 *प्रतिशत* था। यह दो अनुदान में +25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत* तक और दस अनुदान में +50 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* तक विचलन के कारण था। तथापि, पूंजीगत दत्तमत खंड में तीन अनुदान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसी प्रकार, पूंजीगत प्रभारित खंड में, स्वीकृत बजट की तुलना में आउटटर्न में कुल विचलन 0.42 *प्रतिशत* था। यह दो अनुदान में 25 *प्रतिशत* तक, एक अनुदान में +25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत* तक और दो अनुदान में +50 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* तक विचलन के कारण था। तथापि, पूंजीगत प्रभारित खंड में दस अनुदान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

2.4 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे रा.रा.क्षे.दि.स. के अधिनियम, 1991 की धारा 29 और 30 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनुदान (दत्तमत और प्रभारित) की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे ***सकल आधार*** पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पित राशियों और पुनर्विनियोग को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं तथा बजट की प्रभारित और दत्तमत दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत सेवाओं की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अंतर्गत है और संविधान के उपबंधों (अनुच्छेद 202) के अंतर्गत प्रभारित किए जाने के लिए अपेक्षित व्यय इस प्रकार प्रभारित है। यह, यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संगत नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

2.5 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया

संक्षिप्त ब्योरा

सभी अनुदान में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाले कुल 40 मामलों में से, शीर्ष 20 मामलों की जांच विभागीय अभिलेखों के आधार पर की गई और इन मामलों के संबंध में बचत के कारण एक जैसे पाए गए। तथापि, एक मामले में (एम.एच. 4217.60.050.95-अनधिकृत कॉलोनियों का विकास), विभागीय अभिलेखों और विनियोग लेखाओं के बीच बचत में ₹ 0.90 करोड़ का अंतर देखा गया था।

इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों की प्रवृत्ति की समीक्षा हेतु विस्तृत जांच के लिए 'अनुदान संख्या 11-शहरी विकास और लोक निर्माण' का चयन किया गया था। इस अनुदान के अंतर्गत, विभागीय अभिलेखों के संदर्भ में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग, लगातार बचत और व्यय की अधिकता के कारणों की भी जांच की गई और एक जैसे पाए गए।

2.5.1 अतिरिक्त व्यय और उसका नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि.स. के लिए यह अनिवार्य है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा अनुदानों/विनियोगों की अपेक्षा आधिक्य के लिए नियमितता प्राप्त करे। यद्यपि इस अनुच्छेद के तहत व्यय के नियमितीकरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखाओं पर चर्चा पूरी होने के पश्चात अतिरिक्त व्यय का नियमितीकरण किया जाता है।

(क) पिछले वित्त वर्षों के अतिरिक्त व्यय का नियमितीकरण

रा.रा.क्षे. दिल्ली के विधानमंडल से नियमितीकरण के लिए लंबित पिछले वर्षों से संबंधित अतिरिक्त संवितरण **तालिका 2.4** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.4: नियमितीकरण की आवश्यकता वाले अतिरिक्त व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान सं./ विनियोग	अनुदान/विनियोग विवरण	नियमितीकरण की आवश्यकता वाले अतिरिक्त व्यय
2023-24	13	पेंशन- (राजस्व-दत्तमत)	0.68
कुल			**0.68**

स्रोत: संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे

रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि से किए जाने वाले व्यय पर विधायी निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए इस अतिरिक्त व्यय को यथाशीघ्र नियमित किए जाने की आवश्यकता है और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इस प्रकार के अतिरिक्त व्यय की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए।

2.5.2 अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए

रा.रा.क्षे.दि.स. के अधिनियम, 1991 की धारा 30 के अंतर्गत मूल प्रावधानों से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।

अनुपूरक मांग का सहारा केवल असाधारण और अत्यावश्यक मामलों में ही लिया जाना चाहिए। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, वि भाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध या उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए और निधियों की अपनी अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

यह देखा गया कि आठ अनुदानों के 12 मामलों में **(परिशिष्ट-2.1)**, जहाँ ₹ 2,710.16 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए गए थे, वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय मूल प्रावधानों तक भी नहीं आया, जिसने सिद्ध किया कि अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था।

2.5.3 निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग एक अनुदान के अंदर विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण है जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है। 2024-25 के दौरान, 11 अनुदानों के अंदर ₹ 3,883.10 करोड़ की राशि के पुनर्विनियोग आदेश जारी किए गए। ₹ 4.30 करोड़ की राशि के पुनर्विनियोग आदेश 31 मार्च 2025 को जारी किए गए।

वर्ष 2024-25 के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि छः अनुदानों में (जिनमें प्रत्येक मामले में अंतिम बचत ₹ 15 करोड़ से अधिक थी) 16 उप-शीर्षों (**परिशिष्ट-2.2**) के अंतर्गत प्रावधान में वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई, क्योंकि व्यय या तो मूल/अनुपूरक बजट प्रावधान के बराबर था या वहाँ तक नहीं आया था। इसके अतिरिक्त, अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के परिणामस्वरूप ₹ 1,445.72 करोड़ (₹ 889.10 करोड़ के पुनर्विनियोग सहित) का संचयी गैर-उपयोग (बचत) हुआ, जो कि त्रुटिपूर्ण बजट प्रक्रिया का संकेत था।

इसके अतिरिक्त, 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए 'अनुदान सं. 11-शहरी विकास और लोक निर्माण' के लिए विनियोग लेखाओं की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि राजस्व और पूंजीगत दत्मत खंड के 31 उप-शीर्षों में, छह उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 252.51 करोड़ (2022-23), सोलह उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 358.71 करोड़ (2023-24) और नौ उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 556.54 करोड़ (2024-25) का पुनर्विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि विभाग अपने मूल/अनुपूरक अनुदानों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके और इनमें से 26 मामलों में विभाग अपने मूल अनुदान का भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सके (**परिशिष्ट-2.3**)।

2.5.4 अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग तथा/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण

बजट प्रस्तावों को व्यय की गुणवत्ता को संतुलित करने और बजटीय निधियों के अल्प उपयोग को कम करने के लिए सभी पूर्वानुमानित व्यय को उचित व्यय स्तरों के अनुरूप अनुकूलित करने का प्रयास करना चाहिए। व्यय करने

वाली इकाइयों द्वारा समय पर अभ्यर्पण अनुमोदित बजट के अंदर इष्टतम पुनराबंटन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

अनुदान और विनियोग के विश्लेषण से पता चला है कि आठ मामलों (छह अनुदानों के अंतर्गत) में, वर्ष 2024-25 के दौरान कुल प्रावधान ₹ 67,786.67 करोड़ था, वास्तविक व्यय ₹ 51,195.16 करोड़ था और बचत ₹ 16,591.51 करोड़ थी। प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत (अभ्यर्पण के पश्चात्) ₹ 6,748.82 करोड़ थी **(परिशिष्ट 2.4)**।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि 2020-21 से 2024-25 के दौरान सात अनुदानों के अंतर्गत आठ मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की लगातार बचत हुई थी **(परिशिष्ट-2.5)**।

2024-25 के दौरान कुल बचत के साथ उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों का विवरण **परिशिष्ट 2.6** और **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: कुल बचत के साथ उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का वितरण

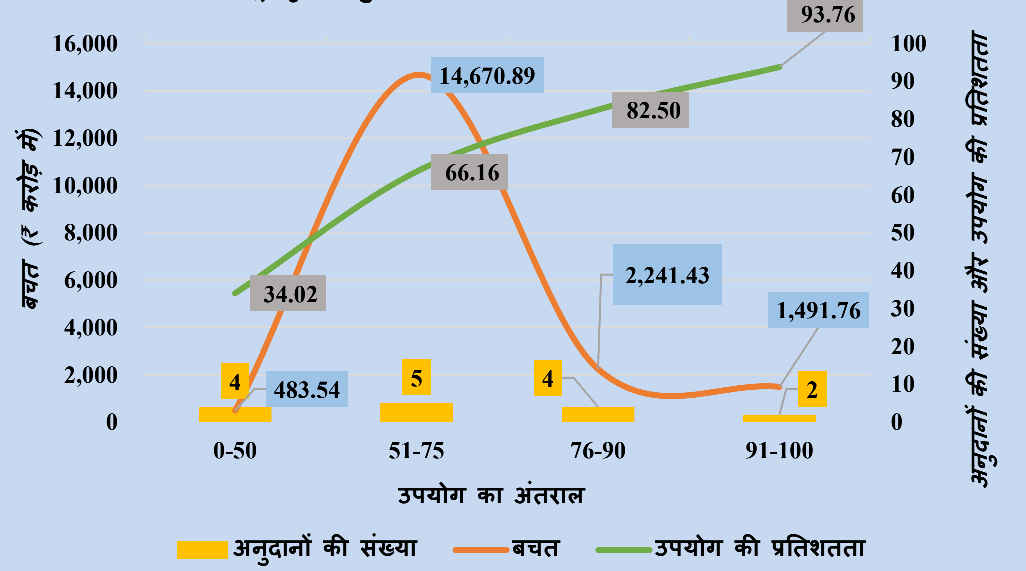

यह देखा गया कि दस अनुदानों के अंतर्गत 20 मामलों में ₹ 7,590.45 करोड़ **(परिशिष्ट 2.7)** की बचत को बिल्कुल भी अभ्यर्पित नहीं किया गया था। मार्च 2025 के अंतिम दिन कोई अभ्यर्पण स्वीकार नहीं किया गया था।

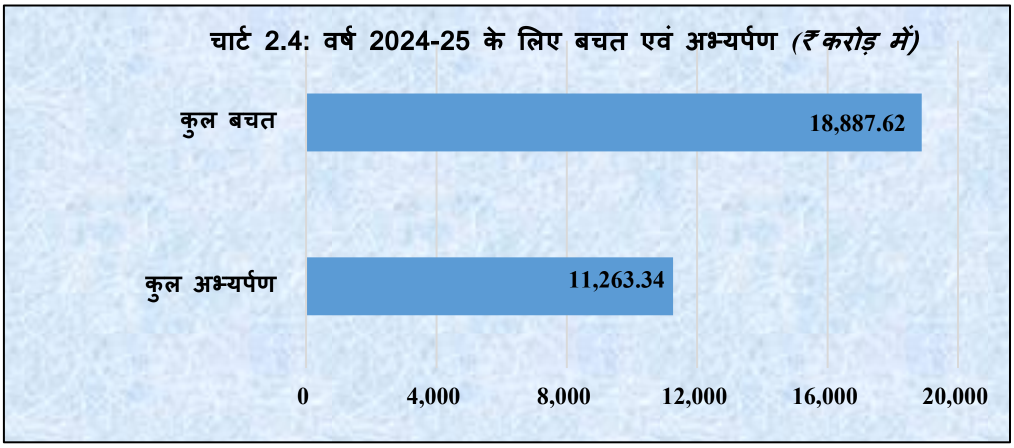

स्रोत: विनियोग लेखे

इसके अतिरिक्त, 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए 'अनुदान सं. 11-शहरी विकास और लोक निर्माण' के विनियोग लेखाओं की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की लगातार बचत हुई थी **(परिशिष्ट-2.8)**।

अल्प उपयोग के बाद पुनर्विनियोग का पुनरावृत्त पैटर्न अपर्याप्त पूर्वानुमान और योजना, वास्तविक समय व्यय ट्रैकिंग का आभाव और कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण और निगरानी को दर्शाता है।

2.5.5 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक वित्तपोषण

योजना दिशा-निर्देशों/कार्य-रीतियों का अनुमोदन न होने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य शुरू न होने, बजट आबंटित न किए जाने आदि के कारण सरकार द्वारा शुरू की गई कई नीतिगत पहलों को पूर्ण या आंशिक रूप से निष्पादित नहीं किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात अनुदानों के अंतर्गत 32 योजनाओं में, ₹ 1,517.85 करोड़ (प्रत्येक योजना में ₹ दो करोड़ या अधिक) का परिशोधित परिव्यय था, परंतु कोई व्यय नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-2.9** में दर्शाया गया है।

शीर्ष पांच योजनाएं जो संपूर्ण परिशोधित प्रावधान का उपयोग न करने के कारण शुरू नहीं हुईं, वे थीं - (i) जेआईसीए ऋण की चुकौती के लिए डीएमआरसी को

अधीनस्थ ऋण (₹ 951.00 करोड़) (ii) पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (केंद्रीय शेयर योजना) (₹ 150.00 करोड़) (iii) विशेष उत्कृष्टता वाले विद्यालय को सहायता अनुदान (₹ 40.02 करोड़) (iv) एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्न के अंतर-राज्यीय आवागमन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता (राज्य का हिस्सा) (₹ 40.00 करोड़) (v) दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (₹ 39.00 करोड़)। ये योजनाएं प्रमुख या कार्यनीतिक पहल थीं और उनका कार्यान्वयन न करना निष्पादन योजना में गंभीर कमियों को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, सात अनुदानों के अंतर्गत 34 योजनाओं में, परिशोधित परिव्यय **(परिशिष्ट-2.10)** में ₹ 2,961.33 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय को पूरी तरह से वापस ले लिया गया था, जो निष्पादन की तैयारी के बिना किए जा रहे प्रारंभिक आबंटन और बजट घोषणाओं से पहले व्यवहार्यता मूल्यांकन के आभाव को उजागर करता है।

पिछले तीन वर्षों 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए 'अनुदान सं. 11-शहरी विकास और लोक निर्माण' की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि विभिन्न उप-शीर्षों में प्रावधान किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-2.11** में दर्शाया गया है। वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान अनुमोदित परिव्यय में किए गए प्रावधानों को परिशोधित परिव्यय में पूरी तरह से वापस ले लिए जाने के भी उदाहरण थे, जैसा कि **परिशिष्ट-2.12** में दर्शाया गया है।

2.5.6 त्रैमासिक व्यय सीमा का पालन न करना

जीएफआर, 2017 के नियम 62 (3) में प्रावधान है कि विशेष रूप से वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की अधिकता को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचा जाना चाहिए।

तालिका 2.5: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय की अधिकता

	राशि (*₹ करोड़ में*)	वर्ष में कुल व्यय की प्रतिशतता
वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च-2025)	14,784.62	23.88
वर्ष का अंतिम माह (मार्च-2025)	4,620.04	7.46
वर्ष का अंतिम दिन (31 मार्च 2025)	440.17	0.71

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच अनुदानों के अंतर्गत 15 उप-शीर्षों में, ₹ 827.64 करोड़ के कुल व्यय में से, 2024-25 की अंतिम तिमाही में ₹ 606.23 करोड़ और मार्च 2025 में ₹ 597.92 करोड़ का व्यय किया गया था, जो **परिशिष्ट-2.13** में वर्णित कुल व्यय का 50 से 85.12 *प्रतिशत* तक था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन अनुदानों के अंतर्गत 6 उप-शीर्षों में ₹ 216.01 करोड़ का संपूर्ण व्यय मार्च 2025 में किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट-2.14** में वर्णित है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल मासिक प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति **चार्ट 2.5** और **2.6** में दर्शाई गई हैं।

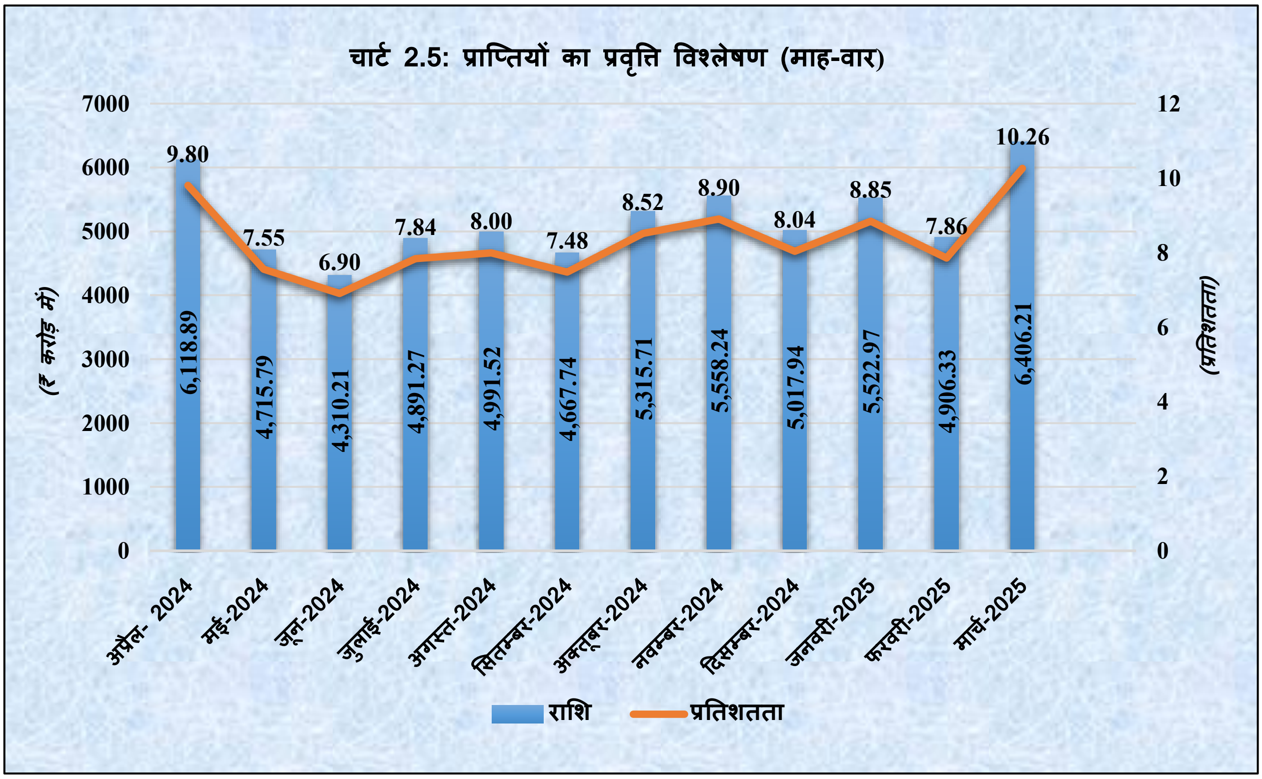

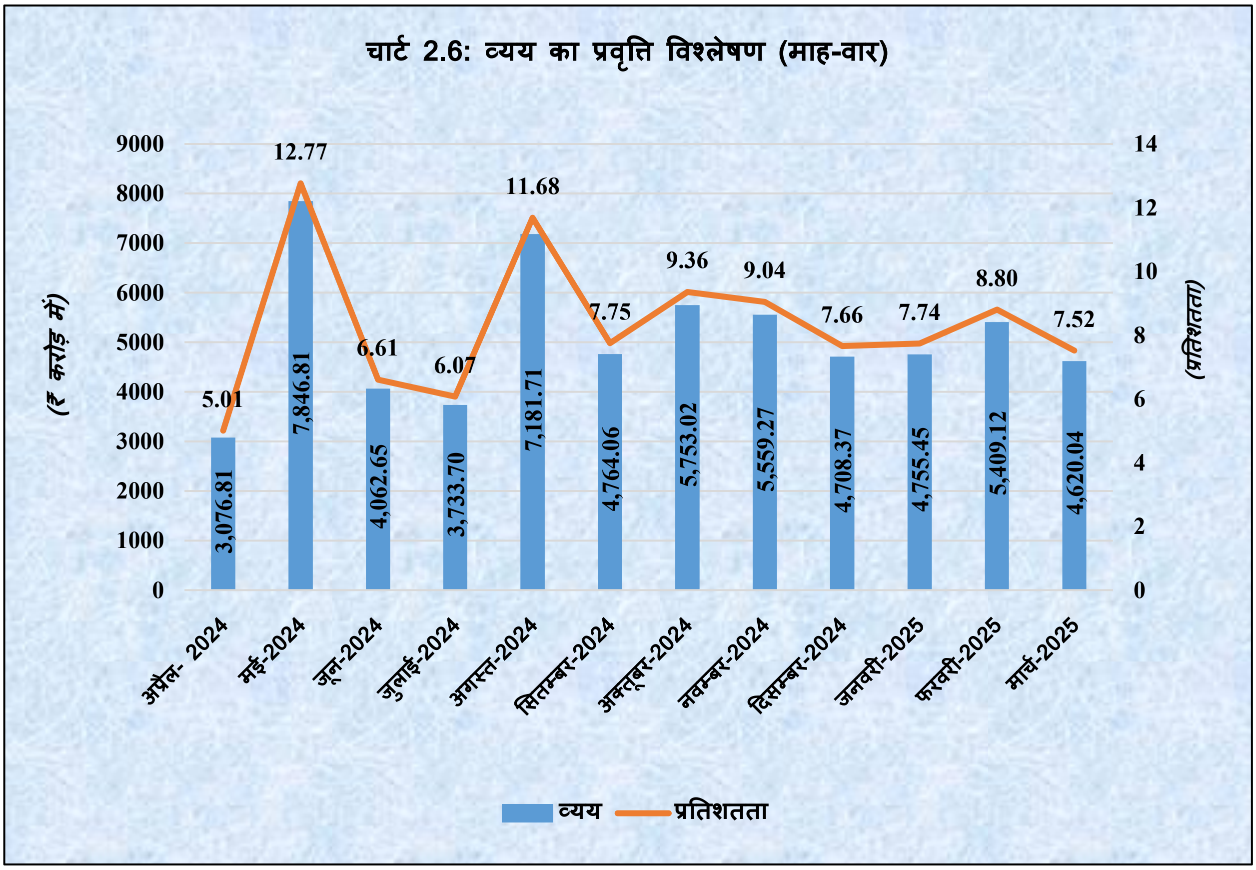

चार्ट 2.6 में दर्शाया गया मासिक व्यय कुछ हद तक एकसमान प्रवृत्ति को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 'अनुदान सं. 11- शहरी विकास और लोक निर्माण' (**परिशिष्ट-2.15**) के अंतर्गत 18 उप-शीर्षों में 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान अंतिम माह में 51 से 100 *प्रतिशत* तक व्यय किया गया था। इसके अतिरिक्त, 2024-25 के दौरान, केवल एक उप-शीर्ष में व्यय की अधिकता देखी गई और इस मामले में कुल स्वीकृत बजट का लगभग 100 *प्रतिशत* व्यय वर्ष के अंतिम माह में किया गया था। वर्ष के अंत में व्यय करने से व्यय की गुणवत्ता और प्रभावशीलता से समझौता हो सकता है और वित्तीय अनियमितताओं का जोखिम बढ़ता है।

इसके अतिरिक्त, 'अनुदान सं. 11-शहरी विकास और लोक निर्माण' के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2217-शहरी विकास में व्यय की मासिक प्रवृत्ति निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

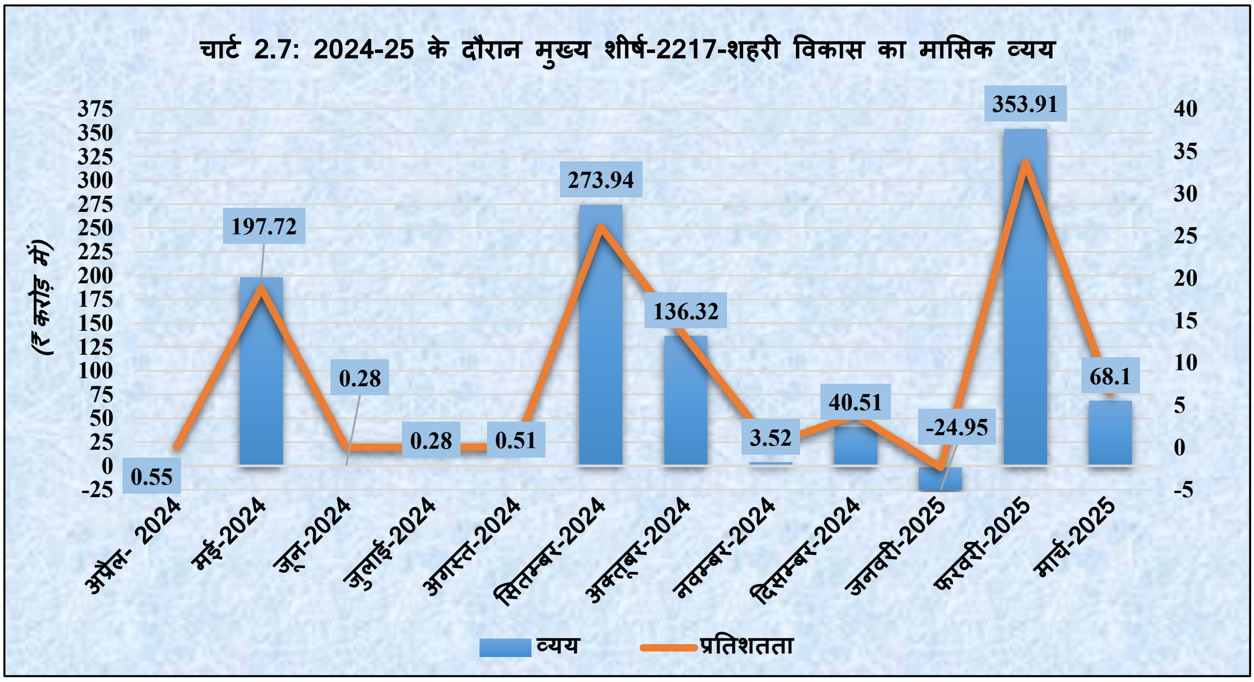

चार्ट 2.7 मई 2024, सितंबर 2024 और फरवरी 2025 के महीनों के दौरान असामान्य वृद्धि के साथ व्यय की मिश्रित प्रवृत्ति दर्शाता है।

2.6 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में चयनित केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के उपयोग को सत्यापित करने के लिए, विस्तृत अध्ययन के लिए पांच योजनाओं का चयन किया गया था।

तालिका 2.6: केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)

केंद्र प्रायोजित योजनाएं	31.03.2025 तक अव्ययित शेष (2024-25 के दौरान कोषागार द्वारा एसएनए को जारी की गई कुल निधियों की प्रतिशतता के रूप में)	एसएनए खाते में केंद्रीय/ रा.रा.क्षे.दि.स. के हिस्से के अंतरण में विलंब (परिहार्य ब्याज देयता 7 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से उद्ग्राह्य)*	एसएनए निधि पर अर्जित ब्याज का प्रेषण नहीं किया गया**	रा.रा.क्षे.दि.स. के कोषागार में भारत सरकार के हिस्से का प्रेषण (+) आधिक्य/ (-) कमी	रा.रा.क्षे.दि.स.के कोषागार में राज्य के हिस्से का प्रेषण (+) आधिक्य/ (-) कमी
1. पीएम पोषण	₹ 68.34 करोड़ (32.83 *प्रतिशत*)	9 दिन (₹ 4.14 लाख)	₹ 20.00 लाख	(-)8.12 करोड़	(-)6.78 करोड़
2. स्वच्छ भारत मिशन	₹ 68.25 करोड़ (34.40 *प्रतिशत*)	48 दिन (₹ 4.60 लाख)	₹ 1.03 करोड़	(+) 174.13 करोड़	(-) 28.62 करोड़

केंद्र प्रायोजित योजनाएं	31.03.2025 तक अव्ययित शेष (2024-25 के दौरान कोषागार द्वारा एसएनए को जारी की गई कुल निधियों की प्रतिशतता के रूप में)	एसएनए खाते में केंद्रीय/ रा.रा.क्षे.दि.स. के हिस्से के अंतरण में विलंब (परिहार्य ब्याज देयता 7 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से उद्ग्राह्य)*	एसएनए निधि पर अर्जित ब्याज का प्रेषण नहीं किया गया**	रा.रा.क्षे.दि.स. के कोषागार में भारत सरकार के हिस्से का प्रेषण (+) आधिक्य/ (-) कमी	रा.रा.क्षे.दि.स.के कोषागार में राज्य के हिस्से का प्रेषण (+) आधिक्य/ (-) कमी
(एसबीएम) - शहरी		23 दिन (₹ 77.91 लाख)			
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	₹ 43.43 करोड़ (222.77 *प्रतिशत*)	-	-	(-) 8.47 करोड़	0
4. सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0	₹ 45.31 करोड़ (9.57 *प्रतिशत*)	27 दिन (₹ 8.30 लाख)	₹ 3.59 लाख	(+) 10.93 करोड़	(+) 172.36 करोड़
5. पीएमएम वीवाई	₹ 7.61 करोड़ (14.70 *प्रतिशत*)	16 दिन (₹ 0.10 लाख)	₹ 5.23 लाख	(+)11.38 करोड़	(+) 4.71 करोड़

**भारत सरकार द्वारा फरवरी 2023 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुपालन आवश्यक है।*

***भारत सरकार द्वारा जून 2021 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुपालन आवश्यक है।*

इस प्रकार, लेखापरीक्षा में जांच की गई पांच चयनित योजनाओं के लिए, विभागों द्वारा प्राप्त निधियों का कुल 24.49 *प्रतिशत* व्यय नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा केंद्रीय/राज्य के हिस्से के हस्तांतरण में विलंब के कारण, योजनाओं के लिए संगत नियमों के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि.स. को 7 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से ब्याज लागत वहन करनी पड़ी। इस प्रकार, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ₹ 0.95 करोड़ की परिहार्य ब्याज देयता बनाई गई थी, जिसे अभी तक भारत सरकार के खाते में प्रेषित किया जाना बाकी है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के 2021 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एसएनए में निधियों पर अर्जित ब्याज को भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में वापस प्रेषित किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा में जांच की गई पांच योजनाओं के लिए ₹ 1.32 करोड़ के अर्जित ब्याज को सीएफआई में वापस प्रेषित नहीं किया गया था।

2.6.1 एकल नोडल एजेंसी

वर्ष 2024-25 के लिए पीएफएमएस पोर्टल की रिपोर्टों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखीं:

i. पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत सरकार द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली के खजाने में ₹ 1,484.05 करोड़ जारी किए गए थे, परंतु 2024-25 में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खाते में केवल ₹ 1,308 करोड़ अंतरित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 176.05 करोड़ का कम अंतरण हुआ। दो सीएसएस में, भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 178.50 करोड़ हस्तांतरित किए, जिसके प्रति रा.रा.क्षे.दि.स. ने राज्य खजाने/पीएओ को केवल ₹ 140.31 करोड़ जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप राज्य खजाने में ₹ 38.19 करोड़ का अल्प अंतरण हुआ।

ii. पीएफएमएस एसएनए 01 रिपोर्ट के अनुसार, 2024-25 के दौरान एसएनए खातों में ₹ 902.83 करोड़ का अव्ययित शेष था।

iii. एक ओर, रा.रा.क्षे.दि.स. ने नौ सीएसएस में अपने आनुपातिक राज्य हिस्से से अधिक ₹ 254.26 करोड़ की निधि का अंतरण किया और दूसरी ओर, रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपने आनुपातिक राज्य हिस्से के संबंध में नौ केंद्र प्रायोजित योजनाओं में ₹ 309.27 करोड़ की कम निधि का अंतरण किया, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 55.01 करोड़ का अल्प अंतरण हुआ।

iv. एसएनए खातों में केंद्रीय हिस्से का अंतरण करने में 31 से 365 दिनों तक का विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में दंडात्मक ब्याज के रूप में ₹ 5.27 करोड़ की परिहार्य और अभी तक अभुक्त देयता बन गई।

2.6.2 एकल नोडल एजेंसी-स्पर्श

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, पीएफएमएस प्रभाग के पत्र संख्या एफ.सं. 1(27)/पीएफएमएस/2020 दिनांक 13 जुलाई 2023 में परिकल्पना की गई है कि रा.रा.क्षे.दि.स. सीएसएस के अनुरूप प्रत्येक राज्य संबद्ध योजना (एसएलएस) को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) को नामित करेगा। 'एसएनए मॉडल' के अंतर्गत विद्यमान एसएनए को भी एसएनए-स्पर्श मॉडल के अंतर्गत एसएनए के रूप में नामित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जीएफआर 2017 के नियम 230 (7) को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि "जहाँ तक संभव हो, सभी भुगतानों के संबंध में निधि के आबंटन के लिए 'जस्ट इन टाइम रिलीज' के सिद्धांतों" को लागू किया जाना चाहिए और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नकदी प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने के लिए प्रगतिशील तरीके से पीएफएमएस, राज्य आईएफएमआईएस और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के एक एकीकृत ढांचे के माध्यम से सीएसएस निधियों के लिए एसएनए-स्पर्श नामक एक वैकल्पिक निधि प्रवाह तंत्र शुरू करने का निर्णय लिया गया था।

एसएनए-स्पर्श पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की ऑन-बोर्डिंग की स्थिति के संबंध में एक लेखापरीक्षा प्रश्न (दिसंबर 2025) के उत्तर में, वित्त विभाग ने कहा (दिसंबर 2025) कि:

- भारतीय रिज़र्व बैंक में सभी योजनाओं के लिए राज्य संबद्ध योजना (एसएलएस)-वार आहरण खाते खोले गए हैं।
- पीएफएमएस, राज्य आईएफएमआईएस और आरबीआई के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म का एपीआई एकीकरण पूरा हो गया है।
- सभी गैर-डीबीटी योजनाओं और खाता-आधारित डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) योजनाओं को पीएफएमएस के एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म पर संरूपित, मानचित्रित और सफलतापूर्वक ऑन-बोर्ड किया गया है।
- कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में मूल स्वीकृति प्राप्त हो गई हैं और इन योजनाओं के अंतर्गत भुगतान तदनुसार किए जा रहे हैं।

- आधार-आधारित डीबीटी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर का एकीकरण पूरा होने के अंतिम चरण में है।

- एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म पर आधार-आधारित डीबीटी योजनाओं की ऑन-बोर्डिंग के लिए कार्यान्वयनकर्ता विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

2.7 चयनित अनुदान की समीक्षा (‘अनुदान सं.11-शहरी विकास और लोक निर्माण’)

‘अनुदान सं.11-शहरी विकास और लोक निर्माण’ के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई, जिसमें मूल अनुदान, अनुपूरक मांगों और वास्तविक व्यय में अंतर का विश्लेषण किया गया।

क) परिचय:

वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए ‘अनुदान सं.11-शहरी विकास और लोक निर्माण’, रा.रा.क्षे.दि.स. के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई, ताकि अनुदान के अंदर बजट प्रक्रियाओं के अनुपालन, धन की निगरानी और नियंत्रण तंत्र का पता लगाया जा सके। अनुदान में निम्नलिखित लेखा शीर्ष शामिल हैं, अर्थात्, (i) 2052- शहरी विकास विभाग, (ii) 2216- आवास, (iii) 2059- लोक निर्माण, (iv) 2210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, (v) 2235- भूमि और भवन विभाग, (vi) 2052- विद्युत विभाग और (vii) 2810- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा।

ख) बजट और व्यय:

पिछले तीन वर्षों के लिए ‘अनुदान सं.11- शहरी विकास और लोक निर्माण’ के अंतर्गत बजट प्रावधान, किए गए व्यय और बचत की समग्र स्थिति **तालिका 2.7** में दी गई है:

तालिका 2.7: बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खंड	कुल प्रावधान	व्यय	अप्रयुक्त प्रावधान *(प्रतिशतता)*
2022-23	राजस्व (दत्मत)	12,093.35	10,207.46	1,885.89 (15.59%)
	पूंजीगत (दत्मत)	12,494.11	9,038.52	3,455.59 (27.66%)
	पूंजीगत (प्रभारित)	60.00	39.52	20.48 (34.13%)
2023-24	राजस्व (दत्मत)	13,022.90	11,063.79	1,959.11 (15.04%)
	पूंजीगत (दत्मत)	12,552.21	7,405.78	5,146.43 (41.00%)
	पूंजीगत (प्रभारित)	125.00	124.97	0.03 (0%)
2024-25	राजस्व (दत्मत)	14,128.42	10,364.82	3,763.60 (26.64%)
	पूंजीगत (दत्मत)	8,462.32	4,810.81	3,651.51 (43.15%)
	पूंजीगत (प्रभारित)	31.25	31.24	0.01 (0%)

स्रोत: विनियोग लेखे

तालिका 2.7 पूंजीगत (दत्मत) के अंतर्गत अप्रयुक्त बजट प्रावधान 27.66 *प्रतिशत* (2022-23) से 43.15 *प्रतिशत* (2024-25) तक दर्शाती है, जो रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संसाधनों के अल्प उपयोग को दर्शाता है और विभाग द्वारा लगातार त्रुटिपूर्ण योजना का संकेत देता है। तीन वर्षों के लिए राजस्व (दत्मत) बचत 15.04 *प्रतिशत* से 26.64 *प्रतिशत* के बीच रही।

ग) बचत का गैर-अभ्यर्पण:

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 62 (2) के अनुसार, बचत के साथ-साथ ऐसे प्रावधान जिनका लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना तुरंत अभ्यर्पण किया जाना चाहिए। संभावित भावी आधिक्य के लिए कोई बचत आरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान 'अनुदान सं.11- शहरी विकास और लोक निर्माण' के अंतर्गत बचत और अभ्यर्पण की स्थिति निम्न प्रकार थी:

तालिका 2.8: 'अनुदान सं.11- शहरी विकास और लोक निर्माण' के अंतर्गत बचत का गैर-अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत			अभ्यर्पित राशि (*प्रतिशतता में*)		
	राजस्व (दत्मत)	पूंजीगत (दत्मत)	पूंजीगत (प्रभारित)	राजस्व (दत्मत)	पूंजीगत (दत्मत)	पूंजीगत (प्रभारित)
2022-23	1,885.89	3,455.59	20.48	913.21	2,917.58	5.00
				(48.42)	(84.43)	(24.41)
2023-24	1,959.11	5,146.43	0.03	453.63	3,187.42	0.00
				(23.15)	(61.93)	(0.00)
2024-25	3,763.60	3,651.51	0.01	2,859.9	2,130.46	0.00
				(75.99)	(58.34)	(0.00)

स्रोत: विनियोग लेखे

2.8 आकस्मिकता निधि

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत रा.रा.क्षे.दि.स. की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई थी और रा.रा.क्षे.दि.स. ने अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली की आकस्मिकता निधि (नियमावली), 2018 को रा.रा.क्षे. दिल्ली की आकस्मिकता निधि में धन के भुगतान और उससे धन की निकासी से जुड़े या अनुषंगी सभी मामलों को विनियमित करने के लिए बनाया था। रा.रा.क्षे. दिल्ली के विधानमंडल द्वारा अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने पर निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है। समग्र निधि ₹ 100.00 करोड़ है।

2.8.1 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल एक अप्रत्याशित और आकस्मिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना है, जिसे विधायिका द्वारा इसे प्रधिकृत किए जाने तक स्थगित करना अवांछनीय होगा।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण विभागों द्वारा 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, 2202-सामान्य शिक्षा, 4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण और 2211- परिवार कल्याण योजनाएं/कार्यक्रम के संबंध में आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में ₹ 49.61 करोड़ की राशि

निकाली गई थी। वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक इस राशि की पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की गई थी। किए गए व्यय का मुख्य शीर्ष-वार विवरण **तालिका 2.9** में दिया गया है।

तालिका 2.9: मुख्य शीर्ष-वार व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	राशि
1	2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0.01
2	2202- सामान्य शिक्षा	15.75
3	4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	31.08
4	2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2.64
5	2211- परिवार कल्याण	0.13
कुल		**49.61**

उन योजनाओं का विवरण जिनमें आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राशि निकाली गई थी, **तालिका 2.10** में दिया गया है।

तालिका 2.10: उन योजनाओं का विवरण जिनमें आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राशि निकाली गई थी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	स्वीकृति की तिथि	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल	व्यय	बचत/ आधिक्य	आकस्मिकता निधि से अग्रिम
1	मांग सं. 07: चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 2210 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	08.07.2024 और 18.03.2025	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
2	मांग सं. 06: शिक्षा - 2202 सामान्य शिक्षा	20.09.2024	5.00	15.00	20.00	15.75	4.25	15.75
3	मांग सं. 08: समाज कल्याण - 4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	16.11.2024	0.00	32.00	32.00	31.08	0.92	31.08
4	मांग सं. 08: समाज कल्याण- 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	30.05.2024 और 18.03.2025	0.00	2.64	2.64	2.64	0.00	2.64
5	मांग सं. 07: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण - 2211 परिवार कल्याण	15.10.2024	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.13
कुल			**5.00**	**49.78**	**54.78**	**49.61**	**5.17**	**49.61**

उपर्युक्त योजनाएं आकस्मिकता निधि से निधियों के आहरण को न्यायोचित ठहराने वाले अप्रत्याशित और आकस्मिक स्वरूप का आभास नहीं देती हैं।

2.9 वाउचर लेखापरीक्षा अनियमितताएं

वाउचरों की लेखापरीक्षा के लिए, पांच वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात् पीएओ-VI, X, XI, XII और XXII (विस्तृत समीक्षा के लिए चुने गए अनुदान, अर्थात् 'अनुदान सं. 11 - शहरी विकास और लोक निर्माण' का संचालन करने वाले) को मौद्रिक इकाई नमूना चयन के माध्यम से वाउचरों की विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। दो पीएओ में कोई ठोस अभ्युक्ति नहीं पाई गई और शेष तीन पीएओ में प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नानुसार हैं:

2.9.1 वेतन एवं लेखा कार्यालय-VI

i) सोपाधिक आवश्यकताओं के सत्यापन के बिना एमएलएएलएडी निधि जारी करना

शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. **एमएलएएलएडी योजना** के अंतर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न निष्पादन एजेंसियों को निधियां जारी करता है। योजना के निबंधनों और शर्तों के अनुसार, धनराशि तीन किस्तों में जारी की जानी है:

- **पहली किस्त:** परियोजना/योजना की स्वीकृति के समय अनुमानित लागत का 25 *प्रतिशत*।

- **दूसरी किस्त:** काम सौंपने और शहरी विकास विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर निविदा राशि का 50 *प्रतिशत* (25 *प्रतिशत* की पहली किस्त को समायोजित करने के बाद)।

- **अंतिम किस्त:** कार्य समापन के समय शेष 50 *प्रतिशत* राशि।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड को जारी की गई निधियों से संबंधित वाउचरों की संवीक्षा से उपर्युक्त निर्धारित शर्तों से विचलन का पता चला। निधियों को जारी करने में विचलन सहायक दस्तावेज़ों की अपर्याप्त जांच और निधियों के संवितरण से पहले योजना के अंतर्गत निर्धारित सोपाधिक आवश्यकताओं का पालन न करने का संकेत देता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.11: अतिरिक्त निधियों का जारीकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लाभार्थी का नाम	बिल सं./दिनांक	अनुमानित लागत	योजना के अनुसार जारी की जाने वाली निधि	जारी की गई निधि	अतिरिक्त जारीकरण
1	बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड	जीआईए-902/ 20.09.2024 ***(जंगपुरा)***	1.99	0.50 (पहली किस्त - 25 *प्रतिशत*)	1.12	0.62
2		जीआईए-903/ 20.09.2024 ***(जंगपुरा)***	1.99	0.50 (दूसरी किस्त 50 *प्रतिशत*-पहली किस्त को घटाकर)	0.37	(-)0.13
3		जीआईए-2074/ 18.12.2024 ***(नजफगढ़)***	1.85	0.46 (पहली किस्त- 25 *प्रतिशत*)	1.03	0.57

ii) सहायक दस्तावेज़ों के सत्यापन के बिना निधि जारी करना

सिविल लेखा नियमावली के पैरा 3.1.1 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि एक सामान्य नियम के रूप में, लेखांकन की विभागीय प्रणाली में सभी भुगतान केवल मंत्रालय/विभाग के वेतन एवं लेखा कार्यालयों (पीएओ) द्वारा उचित पूर्व-जांच के पश्चात किए जाने हैं।

वाउचरों की संवीक्षा से पता चला कि प्रत्येक वाउचर में व्यय के स्वीकृति आदेश की केवल एक प्रति सम्मिलित थी। निधि जारी करने से पहले उचित सत्यापन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक वाउचर के साथ सभी संगत सहायक दस्तावेज़ों की प्रतियां प्रस्तुत की जाएं। ऐसी कमियों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 2.12: सहायक दस्तावेज़ों के सत्यापन के बिना निधि जारी करना

क्रम सं.	वस्तु शीर्ष कोड	वाउचरों का विवरण	वाउचरों की संख्या	लाभार्थी	आवश्यक दस्तावेज़
1.	73	एमएलएएलएडी. योजना के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए निधि का जारीकरण	99	पीएओ-22, डीयूएसआईबी, डीजेबी, एमसीडी, बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड	स्वीकृति का प्राधिकरण, निधि का उपयोग और भुगतान, भौतिक सत्यापन और जियो-टैगिंग
2.	31	जीआईए का जारीकरण - सामान्य	15	डीयूएसआईबी, एनडीएमसी, एमसीडी, डीसीबी, डीजेबी	सहायता का पैटर्न, उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.) (डीयूएसआईबी और डीसीबी को छोड़कर), स्वीकृति का प्राधिकरण

क्रम सं.	वस्तु शीर्ष कोड	वाउचरों का विवरण	वाउचरों की संख्या	लाभार्थी	आवश्यक दस्तावेज़
3.	33	सब्सिडी का जारीकरण	01	डीजेबी	सब्सिडी खातों का मिलान, उ.प्र. के साथ अव्ययित शेष/व्यय का विवरण, मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रमाण-पत्र जो यह पुष्टि करे कि सब्सिडी राशि का उपयोग लक्षित लाभार्थियों के लिए किया गया है।
4.	35	जीआईए का जारीकरण पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	08	डीजेबी, एसबीएम (यूडी), अमृत, एमसीडी	सहायता का पैटर्न, उ.प्र., पूंजीगत परियोजना के संबंध में भू-स्थानिक/जियोटैगिंग का विवरण
5.	36	जीआईए का जारीकरण- वेतन	01	एमसीडी	सहायता का पैटर्न, उ.प्र.

अपने उत्तर में, विभाग ने कहा (सितंबर 2025) कि सरकारी निकायों को भुगतान किया जा रहा है, अतः, सहायक दस्तावेज़ों को निष्पादन एजेंसी द्वारा प्रतिधारित किया जाता है और शहरी विकास विभाग द्वारा सत्यापित किया जाता है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वेतन एवं लेखा कार्यालयों को वित्तीय अभिरक्षकों की भूमिका सौंपी गई है, न कि केवल भुगतान के प्रसंस्करणकर्ता की। निष्पादन और सहायक दस्तावेज़ों का सत्यापन किए बिना, केवल व्यय स्वीकृति के आधार पर निधियां जारी करना, एक प्रक्रियात्मक चूक है और वित्तीय जवाबदेही को कमज़ोर करता है।

2.9.2 वेतन एवं लेखा कार्यालय-X और XII

i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-सी के तहत टीडीएस की अल्प/गैर-कटौती

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-सी में प्रावधान है कि कोई भी कार्य करने के लिए संविदाकारों को किए जाने वाले भुगतान से, (i) जहाँ किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को भुगतान किया जा रहा है या क्रेडिट दिया जा रहा है तो एक *प्रतिशत;* (ii) जहाँ एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को छोड़कर किसी अन्य को भुगतान किया जा रहा है या क्रेडिट दिया जा रहा है तो दो *प्रतिशत,* की दर से श्रमिक आपूर्ति सहित स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की जाए। यदि एकल भुगतान ₹ 30,000 से अधिक नहीं है या किसी वित्त वर्ष

में कुल भुगतान ₹ 1,00,000 से अधिक नहीं है, तो कोई कटौती की आवश्यकता नहीं है।

आकस्मिक बिलों और जनशक्ति को काम पर रखने से संबंधित वाउचरों की संवीक्षा से आयकर अधिनियम की धारा 194-सी के प्रावधानों के उल्लंघन में टीडीएस की अल्प कटौती और गैर-कटौती के उदाहरणों का पता चला। ऐसे मामलों का विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है।

तालिका 2.13: टीडीएस की अल्प/गैर-कटौती

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	विक्रेता का नाम	बिल सं./दिनांक	बिल की राशि	वसूल की जाने वाली टीडीएस	काटी गई टीडीएस	अल्प कटौती
1	मेसर्स आर्मामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज	781/17.2.2025	25,249	505.00	428.00	77.00
		805/24.2.2025	1,75,854	3,517.00	2,981.00	536.00
2	मेसर्स कृष्णा एचआर सॉल्यूशंस	सीबी-141/10.06.2024	37,500	750.00	0.00	750.00
कुल				**4,772.00**	**3,409.00**	**1,363.00**

रा.रा.क्षे.दि.स. ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2025) और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे मामले नहीं होंगे।

ii) मानक संख्यात्मक कोड का गैर-अनुपालन और व्यय बुकिंग में विसंगतियां

प्रधान लेखा कार्यालय ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया (जुलाई 2014) कि वे लेखांकन और व्यय बुकिंग में निरंतरता और सटीकता बनाए रखने के लिए सभी स्वीकृति आदेशों में मानकीकृत 15 अंकों वाले संख्यात्मक कोड का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 25 (1) में स्वीकृति के लिए निधियों का प्रावधान निर्धारित किया गया है। नियम के अनुसार, व्यय के लिए सभी स्वीकृतियों में संगत अनुदान या विनियोग के प्रावधानों के विवरण का उल्लेख होगा, जहाँ से इस तरह के व्यय को पूरा किया जाना है।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों से संबंधित वाउचरों की संवीक्षा से निर्धारित निर्देशों से विचलनों का पता चला। कई मामलों में, निर्धारित 15-अंकीय मानक संख्यात्मक कोड के बजाय अल्फ़ान्यूमेरिक या अपूर्ण कोड के साथ स्वीकृति आदेश जारी किए गए थे। आगे की जांच से यह भी पता चला कि कुछ मामलों में जैसा कि नीचे बताया गया है, स्वीकृति आदेशों में उल्लिखित कोड उनसे भिन्न थे जिनके अंतर्गत पीएओ द्वारा वास्तव में व्यय बुक किया गया था, जो एकरूपता के आभाव को दर्शाता है।

तालिका 2.14: मानक संख्यात्मक कोड का गैर-अनुपालन

क्रम सं.	बिल सं./दिनांक	लाभार्थी का नाम	स्वीकृति आदेश में उल्लिखित कोड	मानक संख्यात्मक कोड/बुकिंग कोड
1	एमबी-192/ 14.06.2024	तोहित खान, एल.डी.सी.	2059-चिकित्सा	205980001880006
2	एमबी-261/ 29.11.2024	शुभम यादव, जे.ई. (सिविल)	चिकित्सा	205980001880006
3	एमबी-444/ 12.01.2025	अनिल सिंह यादव, ए.ई. (सिविल)	2059 लोक निर्माण (चिकित्सा)	205980001880006
4	एमबी-192/ 10.10.2024	पवन कुमार, ई.ई. (सिविल)	चिकित्सा	205980001880006
5	एमबी-76/ 13.05.2024	विकास राणा, मुख्य अभियंता	205900095980006	205980001880006
6	एमबी-616/ 03.03.2025	प्रकाश चंद मीणा, ई.ई. (सिविल)	205900095980006	205980001880006

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, निर्धारित 15-अंकीय मानक संख्यात्मक कोड के अनुसार स्वीकृति आदेश जारी नहीं किए गए थे। यह न केवल कोडीय प्रावधानों के गैर-अनुपालन को दर्शाता है, बल्कि व्यय के गलत वर्गीकरण और बजट नियंत्रण और रिपोर्टिंग में विसंगतियों के जोखिम को भी बढ़ाता है।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2025) और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे मामले नहीं होंगे।

2.10 निष्कर्ष

- 2024-25 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. ने विधायिका द्वारा अधिकृत कुल अनुदानों और विनियोगों का 76.62 *प्रतिशत* उपयोग किया, जब कि शेष 23.38 *प्रतिशत* अव्ययित रहा।

- ₹ 2,710.16 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।

- 32 योजनाओं के अंतर्गत, ₹ 487.22 करोड़ का स्वीकृत परिव्यय था, जिसे परिशोधित कर ₹ 1,517.85 करोड़ कर दिया गया, परंतु कोई व्यय नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 34 योजनाओं के अंतर्गत, ₹ 2,961.33 करोड़ के परिव्यय को स्वीकृति दी गई थी, जिसे पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से पूरी तरह से वापस ले लिया गया, जिससे लाभार्थियों को इच्छित लाभों से वंचित कर दिया गया।

- वर्ष के अंत में व्यय में अधिकता थी। 15 उप-शीर्षों के अंतर्गत, 50 *प्रतिशत* से अधिक व्यय मार्च 2025 के महीने में किया गया था।

2.11 सिफारिशें

सरकार को चाहिए कि:

(i) *अधिक बचत और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए संसाधनों की उपलब्धता और व्यय करने की क्षमता के सही आकलन के साथ यथार्थवादी बजट अनुमान तैयार करें;*

(ii) *अनुमान में अधिक सटीकता सुनिश्चित करें ताकि अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों की आवश्यकता को दूर किया जा सके;*

(iii) *बजटीय अनुमान तैयार करते समय रा.रा.क्षे. दिल्ली में प्रमुख नीतिगत निर्णयों के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए कार्यनीतियां तैयार करने पर विचार करें; तथा*

(iv) *वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से बचने के लिए आवधिक निगरानी के माध्यम से व्यय के लिए निर्धारित तिमाही लक्ष्यों का अनुपालन करें और समय पर अभ्यर्पण के माध्यम से बचत का उचित उपयोग भी सुनिश्चित करें।*

अध्याय-III

वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति

अध्याय-III: वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति

यह अध्याय रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए रा.रा.क्षे.दि.स. लेखाओं की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन की स्थिति के बारे में व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की पूर्णता, समयबद्धता और गुणवत्ता वित्तीय रिपोर्टों में प्रस्तुत जानकारी की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है।

लेखाओं की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

3.1 सरकार की अभुक्त देयताएं

अभुक्त देयताएं, जैसे कि निर्दिष्ट निकायों को एकत्रित उपकर का हस्तांतरण न करना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अल्प प्रेषण आदि, दीर्घकालिक रूप में राजकोषीय और शासन पर उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकती हैं। ये अदत्त बाध्यताएं समय के साथ बढ़ती जाती हैं, जिससे छिपी हुई देयताएं पैदा होती हैं जो राज्य/यूटी की वास्तविक वित्तीय स्थिति को विकृत करती हैं। इसके अतिरिक्त, उपकर हस्तांतरण में विलंब इच्छित विकास या कल्याणकारी परिणामों में बाधा डालता है, जिससे वह उद्देश्य पूरा नहीं होता जिसके लिए इस तरह के शुल्क लगाए गए थे। आगामी वर्षों में, इस तरह के कार्य विश्वास को कम कर सकती हैं, कानूनी देयताओं को बढ़ा कर सकती हैं और भावी व्यय बाध्यताओं को बढ़ा सकती हैं, जिससे राजकोषीय स्थान बाधित हो सकता है और राजकोषीय संधारणीयता कमज़ोर हो सकती है। ऐसे मामलों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.1.1 प्रतिदाय के लंबित मामले

प्रतिदाय मामलों के निपटान में तत्परता, संबंधित विभाग के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। पांच[1] कर संग्रहण विभागों में से व्यापार और कर विभाग ने लंबित प्रतिदाय मामलों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराए।

---

[1] व्यापार और कर, उत्पाद शुल्क, परिवहन, राजस्व, वन

संबंधित विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान प्रतिदाय मामलों का विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: प्रतिदाय मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	जीएसटी		बिक्री कर / मू.व. कर	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे	5,534	989.28	3,175	774.83
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	13,107	1,949.81	822	44.56
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय	7,654	स्वीकृत: 605.33 अस्वीकृत: 199.82	793	41.31
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकृत प्रतिदाय	1,096	339.31	0	0
5.	न्यूनता ज्ञापन	981	110.73	-	-
6.	**वर्ष के अंत में बकाया शेष (1+2)-(3+4+5)**	**8,910**	**1,638.9**	**3,204**	**778.08**

इसी प्रकार की जानकारी उत्पाद शुल्क, परिवहन, राजस्व और वन विभागों से प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)।

3.2 सरकारी खातों के बाहर निधियां

3.2.1 दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)

01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी, बोर्ड), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के कार्यालय से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2025 तक बोर्ड के पास ₹ 5,040.26 करोड़ उपलब्ध थे। उपकर की प्राप्ति और उपयोग के साथ शुद्ध प्राप्तियों का विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है:-

तालिका 3.2: 2024-25 तक उपकर की प्राप्तियों और उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक प्राप्तियां				वास्तविक व्यय			शुद्ध प्राप्तियां
	एकत्रित उपकर	लाभार्थियों का अंशदान	अर्जित ब्याज	कुल	योजना पर व्यय	प्रशासनिक व्यय	कुल व्यय	
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7	8	9 (5-8)
प्रारंभिक शेष								4,340.38
2024-25	421.92	2.57	363.49	787.98	81	5.83	86.83	701.15
घटाएं: 31 मार्च 2025 तक काटा/जमा किया गया आयकर								1.27
उपलब्ध शुद्ध राशि								**5,040.26**

स्रोत: डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी, रा.रा.क्षे.दि.स.

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि श्रम आयुक्त का कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा एक आदेश पारित किया गया था (अगस्त 2005) जिसमें सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी निकायों को निविदा अधिसूचना के अनुसार स्वीकृत निर्माण लागत का एक *प्रतिशत* 'श्रम उपकर' के रूप में संविदाकारों को भुगतान करते समय बिलों से काटकर, बोर्ड के पक्ष में आदाता खाता चेक के माध्यम से 30 दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया था। बाद में, बोर्ड ने एकत्रित उपकर को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सीधे संबंधित जिले के अपने बैंक खाते में अंतरित करने का निर्देश दिया (नवंबर 2017)।

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 46 में, धारा 47 के प्रावधानों के अधीन, यह प्रावधान है कि प्राप्त सभी अनुदान और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ऋण की चुकौती में प्राप्त सभी धन और भारत सरकार से प्राप्त ऋण रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि नामक एक समेकित निधि का गठन करेंगे। अनुच्छेद 266 (2) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन को केंद्र के लोक लेखा में जमा किया जाना चाहिए। जैसा कि सीएजी के वर्ष 2025 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.02 में उल्लेख किया गया है, बोर्ड के खाते में उपकर को सीधे जमा करने की यह प्रक्रिया संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों के अभिप्राय के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त, बीओसीडब्ल्यू उपकर नियमावली, 1998 में यह प्रावधान है कि एकत्र किए गए

उपकर को राज्य की लेखा प्रक्रियाओं के अधीन बोर्ड के लेखा शीर्ष में बोर्ड को अंतरित किया जाएगा। तदनुसार, एकत्रित उपकर को पहले लोक लेखा में (यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा संचालित है) दर्शाया जाना चाहिए और उधर से बोर्ड के खाते में अंतरित किया जाना चाहिए।

इस संबंध में, बोर्ड को सरकारी लेखे में उपकर न दिखाने के कारण बताने का अनुरोध करते हुए एक लेखापरीक्षा प्रश्न (अगस्त 2025) जारी किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित है। (फरवरी 2026)।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

3.3 उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) जमा करने में विलंब

जीएफआर, 2017 का नियम 238 यह निर्धारित करता है कि जहाँ सहायता अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं और ऐसे मामले जिनमें व्यय की विशेष वस्तुओं के विनिर्देश के रूप में सहायता अनुदान के उपयोग से शर्तें जुड़ी होती हैं या वह समय जिसके भीतर धन खर्च किया जाना चाहिए या अन्यथा, विभागीय अधिकारी जिसके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान बिल आहरित किया गया था, सहायता अनुदान से जुड़ी शर्तों की पूर्ति के संबंध में महालेखाकार को प्रमाणित करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होंगे।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 19,973.59 करोड़ की राशि के 1,734 उ.प्र. जमा करने थे (मार्च 2024 तक आहरित किए गए सहायता अनुदान बिल)। इनमें से, ₹ 17,323.37 करोड़ के 482 उ.प्र. प्राप्त हो गए थे, जिससे 31 मार्च 2025 तक ₹ 2,650.22 करोड़ के 1,252 उ.प्र. बकाया रह गए **(परिशिष्ट 3.1)**।

उ.प्र. जमा करने में काल-वार लंबित मामलों का विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है:

तालिका 3.3: उपयोगिता प्रमाणपत्रों की काल-वार लंबित संख्या

(₹ करोड़ में)

	देय उपयोगिता प्रमाणपत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
	उ.प्र. की संख्या	राशि	उ.प्र. की संख्या	राशि	उ.प्र. की संख्या	राशि
2019-20 से पहले	1,225	1,538.29	22	1,166.64	1,203	371.65
2020-21	7	42.84	2	2.00	5	40.84
2021-22	56	278.41	36	59.88	20	218.54
2022-23	25	1,901.30	14	1,331.64	11	569.66
2023-24	421	16,212.75	408	14,763.21	13	1,449.53
कुल	**1,734**	**19,973.59**	**482**	**17,323.37**	**1,252**	**2,650.22**

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

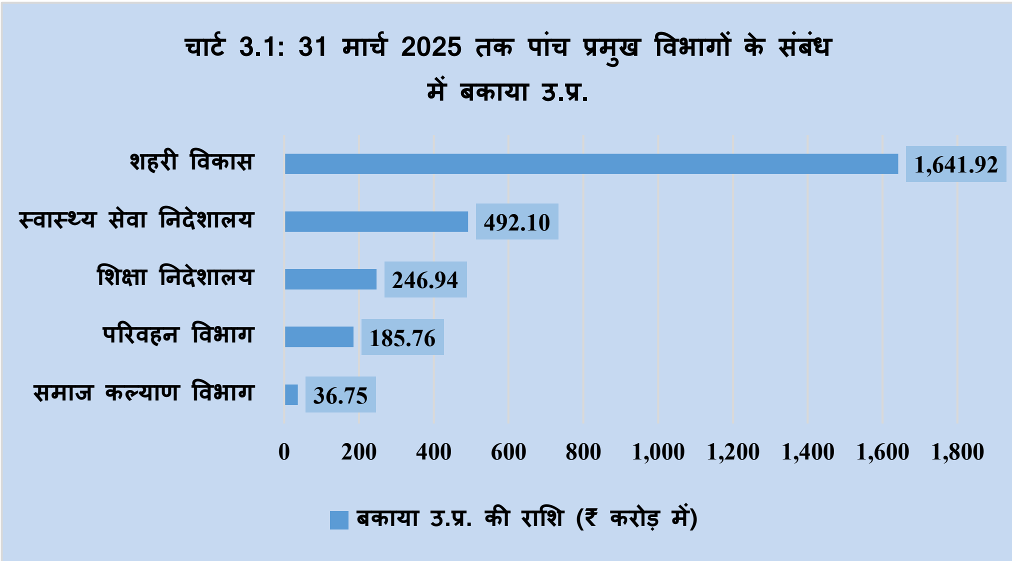

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

चार्ट 3.1 से पता चलता है कि ₹ 2,603.47 करोड़ की राशि के उ.प्र. अर्थात् बकाया उ.प्र. की कुल राशि (₹ 2,650.22 *करोड़*) का 98.24 *प्रतिशत* पांच विभागों से संबंधित थे, जिनमें से 61.95 *प्रतिशत* एक विभाग अर्थात् शहरी विकास (₹ 1,641.92 करोड़) से संबंधित थे।

चूंकि उ.प्र. जमा न करने से दुरुपयोग का खतरा होता है, इसलिए यह अनिवार्य है कि रा.रा.क्षे.दि.स. को इस पहलू की बारीकी से निगरानी रखे और समयबद्ध तरीके से उ.प्र. जमा करने के लिए संबंधित व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराए।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में निहित बकाया उ.प्र. से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए, पांच विभागों/संस्थाओं अर्थात् शहरी विकास विभाग, कानून, न्याय और विधायी कार्य विभाग, महिला और बाल विकास

विभाग, सामान्य प्रशासनिक विभाग और मंडल आयुक्त, राजस्व विभाग को विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। लेखापरीक्षा में आवश्यक अभिलेखों के अनुरक्षण में उल्लेखनीय कमियां पाई गईं, जो खराब तरीके से अनुरक्षित किए जा रहे थे या उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, जारी की गई निधियों के लिए आवश्यक उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप निधियों के उचित उपयोग पर आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ।

विभाग-वार प्रमुख अभ्युक्तियां नीचे सारणीबद्ध हैं:

तालिका 3.4: बकाया उ.प्र. पर विभाग-वार प्रमुख अभियुक्तियां

विभाग/संस्थाएं	**वित्त लेखे के अनुसार**	**विभागीय अभिलेखों के अनुसार**	**फॉर्म 12 ए में उ.प्र. का प्रारूप (जीएफआर, 2017 का नियम 238)**	**ब्याज जमा नहीं किया गया (जीएफआर, 2017 का नियम 230 (8))**	**जीएफआर, 2017 के नियम 234 के अंतर्गत अनुदानों के रजिस्टर का अनुरक्षण**
	बकाया उ.प्र.				
शहरी विकास विभाग	₹ 1,641.92 करोड़	संगत स्वीकृति आदेश प्रस्तुत न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा देय और बकाया उ.प्र. की वास्तविक राशि का सत्यापन नहीं कर सकी।	दिल्ली छावनी बोर्ड और डीयूएसआईबी ने फॉर्म 19ए में उ.प्र. प्रस्तुत किए हैं।	₹ 1.26 करोड़	ठीक से अनुरक्षण नहीं किया गया।
कानून, न्याय और विधायी कार्य विभाग	₹ 1.37 करोड़	₹ 35.71 करोड़		दिल्ली विवाद समाधान सोसायटी (डीडीआरएस) ने ₹ 0.04 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अर्जित ब्याज की राशि का खुलासा नहीं किया, परंतु अन्य स्रोतों से आय दिखाई, जो इस अवधि के दौरान ₹ 2.11 करोड़ थी। तथापि, दोनों विभागों ने ₹ 2.15 करोड़ की आय सरकार को नहीं दी और अगले वर्ष के अनुदान के साथ इसका उपयोग किया, जो जीएफआर के प्रावधान के विरुद्ध था।	अनुरक्षण नहीं किया गया।
महिला एवं बाल विकास विभाग	₹ 12.06 करोड़	₹ 14.11 करोड़	महिला एवं बाल विकास निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने निम्नलिखित संगठनों को अनुदान जारी किए थे:-		अनुरक्षण नहीं किया गया।

विभाग/संस्थाएं	वित्त लेखे के अनुसार	विभागीय अभिलेखों के अनुसार	फॉर्म 12 ए में उ.प्र. का प्रारूप (जीएफआर, 2017 का नियम 238)	ब्याज जमा नहीं किया गया (जीएफआर, 2017 का नियम 230 (8))	जीएफआर, 2017 के नियम 234 के अंतर्गत अनुदानों के रजिस्टर का अनुरक्षण
	बकाया उ.प्र.				
			1. दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2. दिल्ली महिला आयोग 3. राज्य बाल संरक्षण सोसायटी 4. दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय 5. चाइल्ड हेल्पलाइन तथापि, किसी भी संगठन ने निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था।		
सामान्य प्रशासनिक विभाग	₹ 11.41 करोड़	₹ 130.45 करोड़			अनुरक्षण नहीं किया गया।
मंडल आयुक्त, राजस्व विभाग	₹ 16.85 करोड़	₹ 2,535.81 करोड़		₹ 0.09 करोड़	अनुरक्षण नहीं किया गया।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सरकार को ब्याज का गैर-प्रेषण और अगले वर्ष के अनुदान के साथ अर्जित ब्याज का उपयोग करने जैसी अनियमितताएं पूर्वोक्त नियमावली का उल्लंघन है।

3.4 संक्षिप्त आकस्मिक बिल

जब अग्रिम रूप से धन की आवश्यकता होती है या जब आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) आवश्यक यथार्थ राशि की गणना करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उन्हें सहायक दस्तावेज़ों के बिना, संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के माध्यम से, सेवा शीर्षों को डेबिट करके धन निकालने की अनुमति दी जाती है और इस व्यय को सेवा शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

प्राप्तियां एवं भुगतान नियम 118 में यह प्रावधान है कि आहरण और संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को इस तरह के अग्रिम के आहरण की तिथि से छह महीने के भीतर वित्तीय व्यय के समर्थन में वाउचरों के साथ विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिल प्रस्तुत करने होते हैं। डी.सी. बिलों को जमा करने में विलंब या लंबे समय तक जमा न करने से लेखाओं की पूर्णता और सटीकता प्रभावित हो सकती है।

31 मार्च 2025 तक लंबित समायोजन वाले ए.सी. बिलों का विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: काल-वार ए.सी. बिलों का लंबित समायोजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए.सी. बिलों की संख्या	राशि
2020-21 तक	**3,181**	**160.92**
2021-22	102	14.11
2022-23	125	36.60
2023-24	97	49.96
2024-25	470	61.82
कुल	**3,975**	**323.41**

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2025 तक ₹ 323.41 करोड़ वाले कुल 3,975 ए.सी. बिल बकाया थे। यह पाया गया कि मार्च 2025 में ₹ 5.72 करोड़ (3.44 *प्रतिशत*) के 171 ए.सी. बिल आहरित किए गए थे। प्रधान पीएओ से 31 मार्च, 2025 तक समायोजित ए.सी. बिलों के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। अपने उत्तर में, विभाग ने कहा (सितंबर 2025) कि संबंधित पीएओ से लंबित ए.सी. बिलों के लिए कारण मांगे गए हैं। अगला उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 64 सरकारी विभागों ने लेखाओं को बंद करने से पहले ₹ 61.82 करोड़ की राशि के 470 डी.सी. बिल जमा नहीं किए। इसके अतिरिक्त, 2024-25 के दौरान ₹ 166.31 करोड़ के ए.सी. बिलों में से, ₹ 5.72 करोड़ (3.44 *प्रतिशत*) मार्च 2025 से संबंधित थे।

नीचे दिया गया **चार्ट 3.2** कुल बकाया डी.सी. बिलों (₹ 323.41 करोड़) के 54.37 *प्रतिशत* (₹ 175.84 करोड़) पांच प्रमुख विभागों को दर्शाता है:

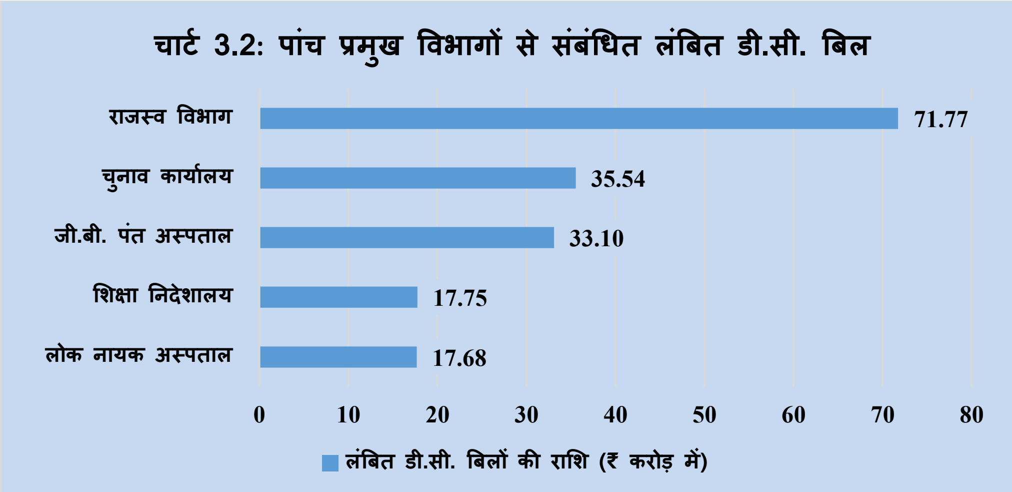

स्रोत: वित्त लेखे

लंबी अवधि के लिए अग्रिमों का समायोजन न करना दुर्विनियोग के जोखिम से भरा होता है और इसलिए, डी.सी. बिलों की प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित डीडीओ द्वारा कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, डी.सी. बिलों की प्राप्ति न होने की सीमा तक, वित्त लेखाओं में दर्शाए गए व्यय को सही या अंतिम नहीं कहा जा सकता है।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने ऊपर उल्लिखित तथ्यों और आंकड़ों को सत्यापित किया है (अक्टूबर 2025)।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में निहित बकाया ए.सी. बिलों से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए, पांच विभागों/संस्थाओं, अर्थात् महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल, लोक नायक अस्पताल, न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, पुरातत्व विभाग को विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। विभाग-वार प्रमुख अभ्युक्तियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां नीचे सारणीबद्ध हैं:

तालिका 3.6: बकाया ए.सी. बिलों पर विभाग-वार अभियुक्तियां

विभाग	**वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया ए.सी. बिल** ***(₹ करोड़ में)***	**विभागीय अभिलेखों के अनुसार बकाया ए.सी. बिल** ***(₹ करोड़ में)***	**डी.सी. बिल जमा करने में विलंब की अवधि (दिनों में)**	**प्राप्तियों और भुगतान नियमावली के नियम 110 के अंतर्गत आवश्यक आकस्मिक व्यय के रजिस्टर का अनुरक्षण**
महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय	₹ 3.52 करोड़	₹ 3.52 करोड़	3 से 540 दिन **(परिशिष्ट 3.2)**	-
डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल	₹ 3.97 करोड़	₹ 3.97 करोड़	963-7,583 दिन **(परिशिष्ट 3.3)**	-
लोक नायक अस्पताल	₹ 17.68 करोड़	₹ 17.68 करोड़	1,382-5,458 दिन **(परिशिष्ट 3.4)**	अनुरक्षण नहीं किया गया।
न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला	₹ 5.93 करोड़	₹ 5.98 करोड़	402-3,743 दिन **(परिशिष्ट 3.5)**	-
पुरातत्व विभाग	₹ 6.11 करोड़	₹ 6.11 करोड़	409-580 **(परिशिष्ट 3.6)**	अनुरक्षण नहीं किया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2025) कि विलंब/लंबित होना मुख्य रूप से परियोजना के पूरा होने में विलंब या एनआईसीएसआई/विक्रेताओं द्वारा इनवॉइस जमा न करने के कारण है, जब कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई और अनुस्मारक जारी किए गए थे। यह अभ्युक्ति तब तक तर्कसंगत है जब तक कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लंबित ए.सी. बिलों का अंतिम निपटारा नहीं किया जाता।

लोक नायक अस्पताल ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2025) कि मामले को निपटारे के लिए खरीद शाखा को भेजा गया है। लोकनायक अस्पताल द्वारा लंबित ए.सी. बिलों के अंतिम निपटारे तक यह अभ्युक्ति तर्कसंगत है।

न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2025) कि ये बिल बहुत पुराने समय के हैं, जिससे अभिलेखों को ढूंढ़ना मुश्किल हो गया है, तथापि, संबंधित प्रभागों से संगत विवरण एकत्र करने के प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ

बिल पहले से ही निपटारे के लिए प्रक्रियाधीन हैं। लंबित ए.सी. बिलों के अंतिम निपटारे तक यह अभ्युक्ति तर्कसंगत है।

तथापि, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल और पुरातत्व विभाग से उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं (फरवरी 2026)।

यह सिफारिश की जाती है कि लंबित ए.सी. बिलों के निपटारे के लिए अनुवर्ती कार्रवाई में तेज़ी लाएं और भविष्य में ए.सी. बिलों के तेज़ी से या समय पर निपटारे के लिए प्रयास किए जाएं।

3.5 व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खाते

संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची के अंतर्गत, व्यक्तिगत जमा ऐसे जमा हैं जो 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत खोले गए हैं और उन पर ब्याज नहीं मिलता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे 2024-25 (लेखाओं की टिप्पणी) में उल्लिखित विभिन्न प्रशासकों के व्यक्तिगत जमा का विवरण **तालिका 3.7** में दिया गया है।

तालिका 3.7: वर्ष 2024-25 के दौरान पी.डी. खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष (01.04.2024 तक)		वर्ष 2024-25* के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2024-25* के दौरान संवितरण		अंत शेष (31.03.2025 तक)	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
11	66.99	0	71.27	0	103.90	11	34.36

**वर्तमान पी.डी. खातों में प्राप्ति और उससे भुगतान की राशि शामिल है*

तथापि, भारत सरकार के वित्त लेखाओं (विवरण संख्या 13[2] भाग- III, मुख्य शीर्ष- 8443- 106 व्यक्तिगत जमा) के अनुसार, अप्रैल 2024 तक प्रारंभिक शेष का विवरण, वर्ष के दौरान परिवर्धन एवं संवितरण और 31 मार्च 2025 तक का अंतिम शेष राशि नीचे दिए गए हैं:

---

[2] रा.रा.क्षे.दि.स. के लोक लेखे, जिसमें व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) दर्शाए जाते हैं, का संघ लेखाओं के साथ विलय हो जाता है

तालिका 3.8: भारत सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) की स्थिति (2024-25)

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष (01.04.2024 तक)	वर्ष 2024-25 के दौरान परिवर्धन	वर्ष 2024-25 के दौरान संवितरण	अंत शेष (31.03.2025 तक)
राशि	राशि	राशि	राशि
408.27	- 88.97	103.90	215.40

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के अनुसार, प्रारंभिक शेष ₹ 66.99 करोड़ था, वर्ष के दौरान प्राप्तियां ₹ 71.27 करोड़ थीं और अंत शेष ₹ 34.36 करोड़ था। तथापि, भारत सरकार के वित्त लेखाओं में ₹ 408.27 करोड़ का उच्च प्रारंभिक शेष, ₹ 88.97 करोड़ की ऋणात्मक प्राप्तियां और ₹ 215.40 करोड़ का अंत शेष दिखाया गया। दोनों अभिलेखों में केवल ₹ 103.90 करोड़ के संवितरण का आंकड़ा मेल खाता है।

प्रारंभिक शेष, प्राप्तियों और अंत शेष में यह बेमेल इंगित करता है कि व्यक्तिगत जमा खातों का उचित समाधान नहीं किया गया है। सरकार को शेष राशि का समय पर समाधान सुनिश्चित करने और सभी प्रशासकों के खातों का खुलासा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि वित्त लेखाओं में व्यक्तिगत जमा राशि की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने उपर्युक्त तालिका में तथ्यों और आंकड़ों का सत्यापन किया है (अक्टूबर 2025)।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2025) कि उसने अंतर के समाधान के लिए संबंधित पीएओ के साथ निरंतर बैठकें करके प्रभावी कदम उठाए हैं। 2021-22 के अंत में ₹ 819.44 करोड़ के बकाया अंतर के 77.8 *प्रतिशत* का 2025 के अंत तक समाधान किया गया है और शेष अंतर के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

चयनित पी.डी. खातों का विश्लेषण

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में निहित पी.डी. खातों से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए, दो विभागों/संस्थाओं अर्थात् भूमि और भवन विभाग और प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश (केंद्रीय), /तीस हज़ारी को

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। विभाग-वार प्रमुख अभ्युक्तियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.5.1 भूमि और भवन विभाग

पी.डी. खातों के अंतर्गत भूमि और भवन विभाग की ₹ 23.09 करोड़ की क्षतिपूर्ति निधि का गैर-संवितरण।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि भूमि और भवन विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त क्षतिपूर्ति के लिए आरबीआई में एक व्यक्तिगत जमा खाता खोला हुआ था।

बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति से संबंधित ₹ 23.09 करोड़ की राशि छह वर्ष से अधिक समय से अवितरित रही और भूमि और भवन विभाग के पी.डी. खाते में पड़ी रही। विभाग ने इस राशि में से ₹ 7.19 करोड़ के लिए लंबित न्यायालयी मामलों और भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने को ज़िम्मेदार ठहराया। शेष ₹ 15.90 करोड़ के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसे लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, रोकड़ बही और आरबीआई विवरण के बीच ₹ 1,202.80 का अंतर पाया गया, जिसके लिए समाधान अभी पूरा नहीं किया गया है। लंबी अवधि तक खाते में धन को निष्क्रिय रखना खराब योजना और कमज़ोर निगरानी को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 के लिए भूमि और भवन विभाग के व्यक्तिगत जमा खाते के लेनदेन की संवीक्षा के दौरान, प्रधान लेखा कार्यालय (प्रधान एओ) द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों और वित्त शाखा, भूमि और भवन विभाग द्वारा दर्ज आंकड़ों के बीच अंतर पाया गया। अभिलेखों के अनुसार, वित्त शाखा, भूमि और भवन विभाग द्वारा रिपोर्ट किए गए ₹ 70.22 करोड़ के विरुद्ध वर्ष के दौरान प्रधान एओ द्वारा ₹ 70.15 करोड़ का परिवर्धन दिखाया गया था। इसी प्रकार, वित्त शाखा, भूमि और भवन विभाग द्वारा दर्ज किए गए ₹ 102.92 करोड़ के विरुद्ध प्रधान एओ द्वारा ₹ 102.84 करोड़ का संवितरण किया गया।

विभाग ने कहा (सितंबर 2025) कि भूमि और भवन विभाग ने अपने आंकड़े विभाग द्वारा अनुरक्षित रोकड़ बही के अनुसार प्रस्तुत किए हैं, जब कि पीएओ

ने सिर्फ आरबीआई विवरण में दिखाए गए आंकड़ों को रिपोर्ट/का समाधान किया है।

इस बेमेल से पता चलता है कि भूमि और भवन विभाग और प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. के बीच उचित समाधान नहीं किया गया था, जो लेखाओं को सटीक रखने के लिए आवश्यक है।

3.5.2 जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटियाला हाउस न्यायलय

पटियाला हाउस न्यायलय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय द्वारा न्यायालयी मामलों में किए गए किराए जमा के लिए किराया नियंत्रक के नाम पर भारतीय रिजर्व बैंक में एक पी.डी. खाता खोला हुआ है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति से संबंधित ₹ 1.48 करोड़ की राशि छह वर्ष से अधिक समय से अवितरित है और पटियाला हाउस न्यायलय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पी.डी. खाते में पड़ी है। विभाग ने वादियों द्वारा प्रत्याहरण आवेदन जमा न करने को गैर-संवितरण के लिए ज़िम्मेदार ठहराया (सितंबर 2025); तथापि, संवितरण प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए न्यायलय द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

आगे यह भी देखा गया कि पी.डी. खाते के लिए कोई रोकड़ बही अनुरक्षित नहीं थी, जो एक आधारभूत वित्तीय नियंत्रण आवश्यकता है।

विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि में से ₹ 7.34 लाख अंतरण प्रविष्टियां करके परिसमाप्त कर दी गई और प्रतिकूल शेष को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.6 लघु शीर्ष-800 का प्रचालन

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष-800 को केवल उस समय प्रचालित किए जाने हेतु निर्दिष्ट है जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं दिया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित प्रचालन को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बड़ी रकम का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को

प्रभावित करता है और आबंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

i) वर्ष 2024-25 के दौरान, (38) मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 6,253.64 करोड़, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय (₹ 56,556.71 करोड़) का 11.06 *प्रतिशत* है, को उपयुक्त लघु शीर्षों की उपलब्धता के बावजूद लेखाओं में लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। विभाग को लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किया गया था (अगस्त 2025)। अपने उत्तर में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2025) कि लघु शीर्ष के अंतर्गत बुकिंग में बढ़ोतरी का कारण रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग द्वारा दिया जाएगा। वित्त विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)।

वर्ष 2024-25 के दौरान लघु शीर्ष-800- अन्य व्यय के अंतर्गत बुक किए गए महत्वपूर्ण व्यय नीचे **तालिका 3.9** में दिए गए हैं:

तालिका 3.9: लघु शीर्ष-'800 अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किए गए महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष-'800 अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किए गए व्यय	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	कुल व्यय की तुलना में लघु शीर्ष-800 में व्यय की प्रतिशतता
1	2013- मंत्रिपरिषद	7.05	8.67	81.29
2	2041- वाहन कर	71.34	149.95	47.57
3	2075- विविध सामान्य सेवाएं	12.90	13.56	95.12
4	2211- परिवार कल्याण	56.03	66.03	84.86
5	2215- जल आपूर्ति और स्वच्छता	485.70	1,118.51	43.42
6	2250- अन्य सामाजिक सेवाएं	0.84	0.84	100.00
7	2404- डेरी विकास	13.57	13.57	100.00
8	2702- लघु सिंचाई	13.61	16.72	81.44
9	2801- विद्युत	3,628.11	3,628.11	100.00
10	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	16.93	20.07	84.32
11	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	86.81	87.22	99.51
कुल		**4,392.89**	**5,123.25**	

इस मुद्दे को पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी उल्लिखित किया गया था, तथापि, अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार लघु शीर्ष-

800 के अंतर्गत वर्तमान में आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऐसी सभी प्राप्तियों और व्यय को लेखाओं के सही शीर्ष के अंतर्गत उचित रूप से बुक किया जाता है।

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बड़ी राशियों के वर्गीकरण के लिए लेखापरीक्षा प्रश्न के माध्यम से कारण पूछे गए थे (अगस्त 2025)। अपने उत्तर में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अगस्त 2025) कि लघु शीर्ष के अंतर्गत बुकिंग में वृद्धि के लिए कारण रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग द्वारा प्रदान किए जाएंगे। वित्त विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)।

ii) वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 62,232.85 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों में से ₹ 701.87 करोड़ की प्राप्तियों को लघु शीर्ष- '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 1.13 *प्रतिशत* था। वर्ष 2024-25 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुक की गई महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्तियों के मामले नीचे **तालिका 3.10** में दिए गए हैं:

तालिका 3.10: लघु शीर्ष-'800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत बुक की गई महत्वपूर्ण प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष- 800 के अंतर्गत बुकिंग	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियां	प्राप्तियों की प्रतिशतता
1.	0029- भू-राजस्व	0.02	0.02	100.00
2.	0059- लोक निर्माण	11.21	16.30	68.77
3.	0075- विविध सामान्य सेवाएं	0.01	0.01	100.00
4.	0202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	183.98	186.23	98.79
5.	0210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	87.07	117.83	73.90
6.	0217- शहरी विकास	2.42	2.42	100.00
7.	0230- श्रम और रोज़गार	3.48	4.73	73.57
8.	0235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.42	0.42	100.00
9.	0403- पशुपालन	0.07	0.07	100.00
10.	0406- वानिकी और वन्य जीव	2.61	2.61	100.00
11.	0425- सहकारिता	0.03	0.14	21.43
12.	0515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	0.02	0.02	100.00
13.	0701- मध्यम सिंचाई	6.67	6.67	100.00
14.	0801- विद्युत	64.20	64.20	100.00
15.	0810- ऊर्जा का गैर-पारंपरिक स्रोत	9.97	9.97	100.00

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष- 800 के अंतर्गत बुकिंग	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियां	प्राप्तियों की प्रतिशतता
16.	0851- ग्राम और लघु उद्योग	0.04	0.04	100.00
17.	1452- पर्यटन	0.12	0.12	100.00
18.	1456 - नागरिक आपूर्ति	0.36	0.36	100.00
19.	1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.01	8.54	0.12
कुल		**372.71**	**420.70**	**88.59**

उपर्युक्त कारणों पर एक लेखापरीक्षा प्रश्न (अगस्त 2025) के उत्तर में रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग ने कहा (अक्टूबर 2025) कि सभी संबंधित विभागों से अनुरोध किया गया था कि प्राप्तियों और व्ययों को सही लेखा शीर्ष के अंतर्गत बुक किया जाए और इसे बीई 2026-27 को अंतिम रूप देते समय दर्शाया जाए।

प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे

3.7 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखाओं के रूप निर्धारित कर सकते हैं। सीएजी की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक चार भारत सरकार लेखांकन मानकों (आईजीएएस) को अधिसूचित किया है। इन आईजीएएस-2: सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण तथा आईजीएएस-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के अनुपालन की जांच की गई और 2024-25 के दौरान उनमें कोई कमी नहीं पाई गई।

3.8 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की प्रस्तुति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के तहत रा.रा.क्षे.दि.स. के 16 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा सीएजी को सौंपी गई है। 31 मार्च 2025 तक, इन 16 स्वायत्त निकायों (ए.बी.) में से 15 के संबंध में 31 लेखे लंबित थे, जैसा कि **तालिका 3.11** में बताया गया है।

तालिका 3.11: 31 मार्च 2025 तक स्वायत्त निकायों के बकाया लेखे

क्रम सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे कब से लंबित हैं	30.09.2025 तक बकाया लेखाओं की संख्या
1.	दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)	2023-24	2
2.	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)	2019-20	6
3.	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी)	2024-25	1
4.	दिल्ली कल्याण समिति (डीकेएस)	2022-23	3
5.	दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए)	2020-21	5
6.	डॉ. बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय (एयूडी)	2024-25	1
7.	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू)	2024-25	1
8.	दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू)	2024-25	1
9.	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू)	2024-25	1
10.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी)	2024-25	1
11.	डीटीसी ईपीएफ ट्रस्ट	2024-25	1
12.	दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)	2022-23	3
13.	डीटीसी पेंशन ट्रस्ट	2024-25	1
14.	दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीपीएसआरयू)	2024-25	1
15.	दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू)	2022-23	3
कुल			**31**

स्रोत: विभागीय डाटा/जानकारी

वार्षिक लेखाओं को समय पर अंतिम रूप न दिए जाने के कारण सरकार का निवेश लेखापरीक्षा और विधानसभा की संवीक्षा से बाहर रहता है। इसके परिणामस्वरूप, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि आवश्यक हो, समय पर नहीं किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब से सार्वजनिक धन के कुप्रबंधन और रिसाव का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ, 2021-24 के दौरान डीयूएसआईबी ने अव्ययित अनुदानों से ₹ 4.64 करोड़ का ब्याज अर्जित किया था, जिसे न तो सरकार को प्रेषित किया गया और न ही अगले अनुदानों के प्रति समायोजित

करने के लिए सरकार को प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्र में उल्लेख किया गया, जैसा कि जीएफआर 2017 के नियम 230 (8) के अंतर्गत आवश्यक था।

सरकार इन निकायों/प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखाओं के संकलन और प्रस्तुतीकरण में शीघ्रता लाएं।

अन्य मुद्दे

3.9 पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी)

क) 280 दिनों की अवधि के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) न वसूलना।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 09 अक्टूबर 2015 और 16 दिसंबर 2015 के आदेशों के आधार पर परिवहन विभाग, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के माध्यम से दिल्ली के सभी प्रवेश बिंदुओं से पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) वसूल कर रहा है और जिसे 04 मार्च 2016 की अधिसूचना द्वारा सरकारी खाते में जमा किया जाता है।

परिवहन विभाग के प्रदूषण नियंत्रण प्रभाग (पीसीडी) से प्राप्त ईसीसी से संबंधित आंकड़ों की संवीक्षा से पता चला है कि 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान कुल ₹ 1,624.63 करोड़ एकत्र किए गए थे। तथापि, 06 अप्रैल 2018 से 26 अप्रैल 2018 (21 दिन) और 18 दिसंबर 2020 से 02 सितंबर 2021 (259 दिन) की अवधि के दौरान की गई वसूली लेखापरीक्षा को दिए गए आंकड़ों में नहीं पाई गई।

उपर्युक्त अवधि के दौरान ईसीसी की गैर-वसूली का कारण लेखापरीक्षा प्रश्न (सितंबर 2025) के माध्यम से मांगा गया था। उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)।

ख) ईसीसी के कारण एकत्र की गई ₹ 843.12 करोड़ की राशि अव्ययित पड़ी रही।

उच्चतम न्यायलय के दिनांक 09 अक्टूबर 2015 के आदेश के अनुसार, ईसीसी के रूप में एकत्र की गई राशि का उपयोग विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन को बढाने और सड़कों को बेहतर बनाने के लिए, विशेषकर सबसे अरक्षित

उपयोगकर्ताओं, अर्थात् दिल्ली में साइकिल चालकों और पैदल चलने वालों के लिए किया जाना चाहिए।

परिवहन विभाग ईसीसी की वसूली कर रहा है जो परिवहन विभाग के माध्यम से "एमएच-8443-सिविल जमा" के अंतर्गत जमा किया जाता है।

उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, ईसीसी की वर्ष-वार कुल वसूली और व्यय निम्न प्रकार है:-

तालिका 3.12: ईसीसी की वर्ष-वार वसूली और व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	ईसीसी की राशि	प्रगतिशील योग	व्यय	प्रगतिशील शेष
2015-16	144.06	144.06	0	144.06
2016-17	358.11	502.17	0.93	501.24
2017-18	472.63	974.79	0.15	973.71
2018-19	154.49	1,129.28	271.43	856.77
2019-20	89.25	1,218.53	9.00	937.02
2020-21	66.12	1,284.65	0	1003.14
2021-22	39.47	1,324.13	0	1042.62
2022-23	111.58	1,435.71	0	1154.20
2023-24	95.38	1,531.09	500.00	749.58
2024-25	93.54	1,624.63	0	843.12
कुल योग	**1,624.63**		**781.51**	

उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार ₹ 781.51 करोड़ का उपर्युक्त व्यय सात बार खर्च किया गया था। 31 मार्च 2025 तक ₹ 843.12 करोड़ की राशि अव्ययित पाई गई। यह भी पूछा गया था कि क्या ईसीसी के कारण एकत्र की गई राशि के उपयोग के लिए कोई नीति तैयार की गई थी (संदर्भ: उच्चतम न्यायलय का आदेश 10 अप्रैल 2018)।

ग) त्रुटिपूर्ण लेखांकन प्रक्रिया

एकत्र किए गए उपकर को परिवहन विभाग द्वारा सीधे लोक लेखे में मुख्य शीर्ष '8443-सिविल जमा' के अंतर्गत जमा किया जा रहा था। चूंकि ईसीसी रा.रा.क्षे.दि.स. की प्राप्ति है, इसलिए इसे शुरू में रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि (सीएफ) में प्राप्ति के रूप में स्वीकार किया जाना आवश्यक है और फिर सीएफ को डेबिट करके लोक लेखे में अंतरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार,

ईसीसी के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अपनाई गई लेखांकन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण पाई गई।

इस संबंध में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. को लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किया गया था (सितंबर 2025)। उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)।

3.10 वित्त लेखाओं के विवरणों में अन्य अशुद्धियां

i) ऋणों और अग्रिमों का न्यून/प्रतिकूल शेष

रा.रा.क्षे.दि.स. के वर्ष 2024-25 के वित्त लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि विवरण सं.16 (सरकार द्वारा किए गए ऋणों और अग्रिमों का विस्तृत विवरण) में ऋणों और अग्रिमों की न्यून/प्रतिकूल शेष राशि थी, जैसा कि नीचे **तालिका 3.13** में दिया गया है:-

तालिका 3.13: न्यून/प्रतिकूल शेष

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	विवरण	उप-शीर्ष	31.03.2025 तक शेष राशि
1	6401	फसल पालन के लिए ऋण	105-खाद और उर्वरक	(-) 0.90
2	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	201-आवास निर्माण अग्रिम	(-) 5.54
3	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	202-मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	(-) 2.54
4	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	203-अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	(-) 0.28
5	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	204-कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	(-) 1.44

यह देखा गया कि विवरण के साथ कोई व्याख्यात्मक टिप्पणी नहीं दी गई थी। इस मुद्दे को पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था, तथापि, अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

न्यून/प्रतिकूल शेष के कारण पूछे गए थे (अक्टूबर 2025)। प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2025) कि मुख्य शीर्ष '7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण' के अंतर्गत उपर्युक्त राशि में से ₹ 8.82 लाख की राशि अंतरण प्रविष्टियां करके परिसमाप्त कर दी गई हैं और प्रतिकूल शेष राशि को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ii) ऋणों और अग्रिमों की बकाया राशि

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2025 तक 18 संस्थाओं से ₹ 1,97,856.44 करोड़ के ऋण बकाया थे, जिनका बकाया 6 वर्ष से 74 वर्ष तक के लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में बताया गया है। इनमें से ₹ 63,537.02 करोड़ (मूलधन ₹ 34,175.11 करोड़ और ब्याज ₹ 29,361.91 करोड़) की राशि 10 वर्ष से अधिक पुरानी हैं।

परिशिष्ट 3.7 की क्रम सं. 6 में सूचित स्थिति के संबंध में, डीएससीएससीएल ने सूचित किया (अक्टूबर 2024) कि ऋण और अर्जित ब्याज माफी के लिए वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. को सिफारिश भेजी गई थी।

इसके अतिरिक्त, **परिशिष्ट 3.7** की क्रम सं. 15 में सूचित स्थिति के संबंध में, आईआईआईटी ने बताया (अक्टूबर 2024) कि ऋण की चुकौती के लिए चुकौती अनुसूची दिसंबर 2023 में प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीटीई), रा.रा.क्षे.दि.स. को पहले ही भेज दी गई थी, जो विचाराधीन थी।

अपने उत्तर में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने तथ्यों और आंकड़ों का सत्यापन किया और कहा (सितंबर 2025) कि मामले को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया गया है।

पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इसी मुद्दे को इंगित किया गया था, तथापि, अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

iii) विवरण सं. 11 में प्रदत्त निवेश संबंधी संचयी आंकडे विवरण सं. 12 के कुल निवेश आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं

रा.रा.क्षे.दि.स. के 2024-25 के वित्त लेखाओं के विवरण सं. 11 और विवरण सं. 12 की संवीक्षा से पता चला कि विवरण सं. 11 और 12 में दिखाए गए निवेशों में ₹ 289.23 करोड़ का अंतर है, जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में बताया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (सितंबर 2025) कि विवरण सं. 11 में

दर्शाए गए निवेश के आंकड़ों और विवरण सं. 12 में उल्लिखित निवेश के विवरण के बीच अंतर को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे।

पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इसी मुद्दे का उल्लेख किया गया है, तथापि, अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

iv) ऋणों और अग्रिमों की बकाया राशि (निबंधन और शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं)

वर्ष 2024-25 के वित्त लेखाओं की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विवरण सं. 16 के प्रकटीकरण सं. 2 में, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) (₹ 436.34 लाख) और दिल्ली एस.सी. वित्त और विकास निगम (₹ 1,356.94 लाख) को दिए गए दो ऋणों की चुकौती के संबंध में निबंधन और शर्तें अभी तक निर्धारित नहीं की गई थीं, यद्यपि ये क्रमशः 1998-99 और 1987-88 की प्रारंभिक अवधि से संबंधित थे।

अपने उत्तर में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2025) कि मामला संबंधित विभागों को भेज दिया गया था और उत्तर प्रतीक्षित थे।

इसके अतिरिक्त, वित्त लेखाओं के विवरण सं. 12 'मार्च 2025 के अंत तक किए गए निवेश का विवरण' के अनुसार, कुछ सहकारी समितियों की कुल प्रदत्त पूंजी में सरकार के निवेश की प्रतिशतता विवरण में नहीं दर्शायी गई थी। विवरण में प्रतिशतता न दिखाने के कारण पूछे गए (अगस्त 2025)।

अपने उत्तर में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2025) कि मामला सहकारी समिति के पंजीयक, रा.रा.क्षे.दि.स. को भेज दिया गया था। अगला उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)।

v) 1998-99 से बकाया ऋण होने के बावजूद संस्थाओं को नए ऋण का वितरण

वर्ष 2024-25 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं (विवरण सं. 16 का खंड 3 और नए ऋणों और अग्रिमों के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण) की संवीक्षा से पता चला कि डीजेबी और डीयूएसआईबी पर बकाया ऋण होने के बावजूद,

रा.रा.क्षे.दि.स. ने नीचे दी गई **तालिका 3.14** में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 2,325.51 करोड़ का नया ऋण वितरित किया है:

तालिका 3.14: चूककर्ता ऋणी संस्थाओं को नए ऋणों का वितरण

ऋणी संस्था	मार्च 2025 तक बकाया राशि *(₹ करोड़ में)*		सबसे प्रारंभिक अवधि जिससे बकाया राशि संबंधित है	2024-25 के दौरान दिए गए नए ऋण *(₹ करोड़ में)*	31 मार्च 2025 तक कुल बकाया ऋण (ब्याज को छोड़कर) *(₹ करोड़ में)*
	मूलधन	ब्याज			
डीजेबी	40,111.03	44,175.92	1998-99	2,275.51	42,386.54
डीयूएसआईबी	1,255.21	972.06	2011-12	50.00	1,305.21
कुल	**41,366.24**	**45,147.98**		**2,325.51**	**43,691.75**

नए ऋण के वितरण के कारण पूछे गए (अगस्त 2025)। अपने उत्तर में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2025) कि मामले को राज्य संसाधन प्रभाग और शहरी विकास विभाग को भेज दिया गया है। अगले उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 2026)।

vi) सरकारी निवेशों पर लाभांश प्राप्त न होना

विवरण सं. 12 के अनुलग्नक की संवीक्षा करने पर, जिसमें मार्च 2025 के अंत तक के सरकारी निवेशों को दर्शाया गया है, यह पाया गया कि "सरकार को प्राप्त और जमा किया गया लाभांश" स्तंभ के अंतर्गत लाभांश की कोई राशि नहीं दर्शायी गई है। सरकार के ₹ 21,745 करोड़ के निवेश का विवरण **परिशिष्ट 3.9** में दिया गया है।

यह स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण निवेशों के बावजूद, सरकार को लाभांश के रूप में कोई प्रतिफल जमा नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि संबंधित विभागों ने लाभांश आय की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की थी।

लेखापरीक्षा का विचार है कि लाभांश प्राप्त न होने से न केवल बिना किसी उत्पादक लाभ के सरकारी धन अवरुद्ध हो जाता है बल्कि सरकारी निवेशों की अपर्याप्त निगरानी भी दिखाई देती है।

लाभांश प्राप्त न होने के कारण पूछे गए (अगस्त 2025)। अपने उत्तर में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2025) कि इस मामले को

आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग को भेज दिया गया है। वित्त विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)।

vii) राजस्व में भारी वृद्धि/कमी

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2024-25 में प्राप्तियों के मुख्य शीर्षों (कर, गैर-कर राजस्व) में पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में वृद्धि/कमी हुई। राजस्व शीर्षों में भारी वृद्धि/कमी नीचे सारणीबद्ध है:

तालिका 3.15: कर राजस्व (भारी वृद्धि/कमी)

(₹ हजारों में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	2023-24	2024-25	वृद्धि (+)/ कमी (-)	प्रतिशतता
1.	0045	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	2,460	10,539	8,079	328.41

तालिका 3.16: गैर-कर राजस्व (भारी वृद्धि/कमी)

(₹ हजारों में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	2023-24	2024-25	वृद्धि (+)/ कमी (-)	प्रतिशतता
1.	0049	ब्याज प्राप्तियां	37,60,190	15,63,332	(-)21,96,858	(-)58.42
2.	0051	लोक सेवा आयोग	63,602	37,719	(-) 25,883	(-)40.70
3.	0055	पुलिस	73	20	(-)53	(-)72.60
4.	0056	कारागार	37,590	82,384	44,794	119.16
5.	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	11,95,859	14,86,612	2,90,753	24.31
6.	0075	विविध सामान्य सेवाएं	5	114	109	2180.00
7.	0202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	9,52,950	18,62,340	9,09,390	95.43
8.	0211	परिवार कल्याण	164	10	(-)154	(-)93.90
9.	0217	शहरी विकास	11,558	24,215	12,657	109.51
10.	0235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	549	4177	3,628	660.84
11.	0403	पशुपालन	392	723	331	84.44
12.	0405	मत्स्य पालन	162	120	(-) 42	(-)25.93
13.	0406	वानिकी और वन्य जीव	21,383	26,055	4,672	21.85
14.	0425	सहकारिता	2,458	1,436	(-) 1,022	(-)41.58
15.	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	202	0	(-) 202	(-)100.00
16.	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	753	193	(-) 560	(-)74.37
17.	0701	मध्यम सिंचाई	3,09,642	66,710	(-) 2,42,932	(-)78.46
18.	0810	ऊर्जा का गैर-पारंपरिक स्रोत	0	99,704	99,704	अनिश्चित
19.	0851	ग्रामीण और लघु उद्योग	455	353	(-) 102	(-)22.42
20.	1456	नागरिक आपूर्ति	2,386	3,617	1,231	51.59

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि सभी विभागों से राजस्व में वृद्धि/कमी का कारण बताने का अनुरोध किया गया है। उपर्युक्त विभागों के उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

3.11 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रत्येक राज्य/यूटी में, लोक लेखा समिति (पीएसी)/वित्त विभाग को विधानमंडल में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के एक महीने के भीतर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफों पर संबंधित विभागों द्वारा स्वतः व्याख्यात्मक टिप्पणी (ईएन) प्रदान करना आवश्यक है। संबंधित विभागों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने के तीन माह के भीतर पुनरीक्षण और आगे लोक लेखा समिति को भेजने के लिए प्रधान महालेखाकार को कृत कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) उपलब्ध कराएं।

वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के एसएफएआर पर पीएसी द्वारा कोई चर्चा नहीं हुई है। रा.रा.क्षे.दि.स. ने जुलाई 2025 में लेखापरीक्षा पैरा अनुवीक्षण प्रणाली (एपीएमएस) शुरू की, जिस पर एटीएन प्राप्त किए जा रहे हैं और संसाधित किए जा रहे हैं।

3.12 निष्कर्ष

- ₹ 2,650.22 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) (1,252 उ.प्र.) प्रतीक्षित थे, जो पूर्ववर्ती अनुदानों के उचित उपयोग का पता लगाए बिना नए अनुदान संवितरित करने की सरकार की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

- ₹ 323.41 करोड़ की राशि के विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिल (3,975 डी.सी. बिल) अभी प्रतीक्षित थे।

- 15 स्वायत्त निकायों ने काफी समय तक अपने अंतिम लेखे प्रस्तुत नहीं किए। इसके परिणामस्वरूप, उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन नहीं किया जा सका और सरकार के निवेशों के परिणाम रा.रा.क्षे. दिल्ली के विधानमंडल के क्षेत्राधिकार से बाहर रहे।

ये मुद्दे रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रशासनिक विभागों में कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण का संकेत देते हैं।

3.13 सिफारिशें

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आलोक में, रा.रा.क्षे.दि.स.:

(i) *विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी किए गए अनुदानों के संबंध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें;*

(ii) *नियमों के अंतर्गत अपेक्षित निर्धारित समय-सीमा के भीतर संक्षिप्त आकस्मिक बिलों का समायोजन सुनिश्चित करें;*

(iii) *स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं के संकलन और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए एक प्रणाली लागू करें ताकि उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन हो सके।*

नई दिल्ली **(नाज़ली जे. शाईन)**

दिनांक: 11 मई 2026 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक: 18 मई 2026 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1.1

(पैराग्राफ 1.1.3 में संदर्भित)

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भाग 'क' प्राप्तियां										
1. राजस्व प्राप्तियां	34,999	34,346	38,667	43,113	47,136	41,864	49,313	62,703	56,798	62,233
(i) कर राजस्व (स्वयं)	30,226	31,140	35,717	36,625	36,566	29,425	40,019	47,363	53,681	59,458
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	0	0	13,621	19,187	19,465	15,676	22,263	27,324	31,571	35,623
कृषि आय पर कर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	20,246	21,144	11,149	5,886	5,475	4,411	5,099	5,582	6,552	7,241
राज्य उत्पाद शुल्क	4,238	4,251	4,453	5,028	5,068	4,108	5,488	5,548	5,164	5,701
वाहन कर	1,607	1,809	2,116	2,055	1,948	1,676	1,956	2,884	3,242	3,241
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	3,433	3,144	4,117	4,459	4,606	3,549	5,212	6,023	7,152	7,651
भू-राजस्व	1	2	2	0	3	4	0	0	0	0
वस्तु एवं यात्रियों पर कर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य कर	701	790	259	10	1	1	1	2	0	1
(ii) गैर-कर राजस्व	515	381	766	644	1,097	980	827	581	1,024	911
(iii) केंद्रीय कर एवं शुल्क में राज्य का हिस्सा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iv) भारत सरकार[1] से प्राप्त अनुदान	4,258	2,825	2,184	5,844	9,473	11,459	8,467	14,759	2,093	1,864
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. ऋण और अग्रिम की वसूलियां	83	212	691	1,644	823	631	623	1,258	98	48
4. कुल राजस्व और गैर- ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	35,082	34,558	39,358	44,757	47,959	42,495	49,936	63,961	56,896	62,281
5. लोक ऋण प्राप्तियां	2,241	1,696	1,906	2,880	4,765	15,365	11,193	3,251	0	142

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आंतरिक ऋण (कोई अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट नहीं)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत कुल लेनदेन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम	2,241	1,696	1,906	2,880	4,765	15,365	11,193	3,251	0	142
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	37,323	36,254	41,264	47,637	52,724	57,860	61,129	67,212	56,896	62,423
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	10	0	2	95	143	79	74	52	7	50
8. लोक लेखा प्राप्तियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. रा.रा.क्षे.दि.स. की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	37,333	36,254	41,266	47,732	52,867	57,939	61,203	67,264	56,903	62,473
भाग 'ख' व्यय/संवितरण										
10. राजस्व व्यय	26,343	29,302	33,754	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336	49,986
कार्यक्रम	24,589	27,542	31,631	34,592	38,460	39,277	44,544	47,009	49,283	41,985
प्रशासनिक	1,754	1,760	2,123	2,260	1,177	1,137	1,499	1,237	1,053	8,001
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	6,427	6,590	7,196	7,605	7,083	6,295	6,953	7,322	7,162	7,567
सामाजिक सेवाएं	14,818	16,579	19,602	21,663	22,145	22,693	26,294	27,177	28,182	27,973
आर्थिक सेवाएं	4,139	5,112	5,862	5,219	6,530	8,514	9,328	9,423	9,773	8,686
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को मुआवज़ा और समनुदेशन	959	1,021	1,094	2,365	3,879	2,912	3,468	4,324	5,219	5,760
11. पूंजीगत व्यय	4,723	3,754	3,243	3,266	5,472	4,699	8,311	8,065	6,855	3,695
कार्यक्रम	4,723	3,754	3,243	3,266	5,472	4,699	8,311	8,065	6,729	3,615
प्रशासनिक	0	0	0	0	0	0	0	0	126	80
सामान्य सेवाएं	377	350	228	180	389	246	374	625	469	259
सामाजिक सेवाएं	1,699	2,130	1,575	1,755	3,572	2,669	5,062	4,566	2,678	1,786

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आर्थिक सेवाएं	2,647	1,274	1,440	1,331	1,511	1,784	2,875	2,874	3,708	1,650
12. ऋण और अग्रिम का संवितरण	2,684	2,553	2,248	2,402	3,266	4,090	2,603	3,084	3,639	2,876
13. आकस्मिकता निधि में विनियोग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	33,750	35,609	39,245	42,520	48,375	49,203	56,957	59,395	60,830	56,557
15. लोक ऋण की चुकौती	1,435	1,655	1,682	3,636	2,811	3,265	4,215	4,715	4,994	4,914
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत कुल लेनदेन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम	1,435	1,655	1,682	3,636	2,811	3,265	4,215	4,715	4,994	4,914
16. आकस्मिकता निधि में विनियोग	10	0	0	90	0	0	0	0	0	0
17. समेकित निधि से कुल संवितरण (14+15+16)	35,196	37,263	40,927	46,156	51,186	52,468	61,172	64,110	65,824	61,471
18. आकस्मिकता निधि से संवितरण	0	0	2	5	143	79	74	52	7	50
19. लोक लेखा संवितरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	35,196	37,263	40,929	46,251	51,329	52,547	61,246	64,162	65,831	61,521
भाग 'ग' घाटे										
21. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	8,656	5,045	4,913	6,261	7,499	1,450	3,270	14,457	6,462	12,247
22. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-14)	1,331.00	-1050	113	2,237	-416	-6,708	-7021	4,566	-3934	5,724
23. प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक अधिशेष(+) (22+24)	4,142	1,833	2,984	5,104	2,336	-3,834	-3,747	7,832	-840	8,390

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भाग 'घ' अन्य आंकड़े										
24. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	2,810	2,883	2,871	2,867	2,752	2,874	3,274	3,266	3,094	2,666
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	8,211	8,889	10,081	10,322	10,734	12,553	13,515	15,142	17,047	16,449
26. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (₹ लाख करोड़ में)	5.51	6.16	6.78	7.38	7.93	7.44	8.71	10.00	11.13	12.15
27. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अंत में)	33,304	33,345	33,569	32,812	34,767	41,002	41,786	40,322	35,329	30,556
भाग 'ङ.' राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक (*प्रतिशत* में)										
I. संसाधन संग्रहण										
स्वयं कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	5.49	5.05	5.27	4.96	4.61	3.95	4.60	4.74	4.82	4.89
स्वयं गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.09	0.06	0.11	0.09	0.14	0.13	0.09	0.06	0.09	0.07
स्व-राजस्व/स.रा.घ.उ.	5.58	5.12	5.38	5.05	4.75	4.09	4.69	4.80	4.92	4.97
स्व-राजस्व/कुल व्यय	91.08	88.52	92.96	87.65	77.86	61.80	71.71	80.72	89.93	106.74
II. व्यय प्रबंधन										
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	6.13	5.78	5.79	5.76	6.10	6.61	6.54	5.94	5.47	4.65
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	96.43	103.67	101.49	98.62	102.63	117.53	115.50	94.72	107.10	90.88
राजस्व व्यय/कुल व्यय	78.05	82.29	86.01	86.67	81.94	82.14	80.84	81.23	82.75	88.38
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	69.04	70.47	72.57	70.48	69.78	72.48	76.48	74.15	72.89	70.89
पूंजीगत व्यय व्यय/कुल व्यय	14.00	10.54	8.26	7.68	11.31	9.55	14.59	13.58	11.27	6.53
पूंजीगत व्यय/स.रा.घ.उ.	0.86	0.61	0.48	0.44	0.69	0.63	0.95	0.81	0.62	0.30
III. राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन										
राजस्व अधिशेष/स.रा.घ.उ.	1.57	0.82	0.72	0.85	0.95	0.19	0.38	1.45	0.58	1.01
राजकोषीय घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	0.24	-0.17	0.02	0.30	-0.05	-0.90	-0.81	0.46	-0.35	0.47

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	0.75	0.30	0.44	0.69	0.29	-0.52	-0.43	0.78	-0.08	0.69
IV. ॠण संधारणीयता										
बकाया देयताएं/स.रा.घ.उ.	6.05	5.41	4.95	4.44	4.38	5.51	4.80	4.03	3.17	2.51
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां	8.03	8.39	7.42	6.65	5.84	6.87	6.64	5.21	5.45	4.28

परिशिष्ट-1.2

(पैराग्राफ 1.2.3.1, 1.2.3.2 में संदर्भित)

वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्तियों और संवितरण का सार

(₹ करोड़ में)

2023-24	प्राप्तियां	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25		
					प्रशासनिक	कार्यक्रम	कुल
खंड 'क': राजस्व							
56,797.79	**I. राजस्व प्राप्तियां**	**62,232.85**	**50,335.48**	**I. राजस्व व्यय-**	**7,944.58**	**42,041.23**	**49,985.81**
53,680.79	**कर राजस्व**	**59,458.03**	**7,161.88**	**सामान्य सेवाएं**	**7,566.80**	**0**	**7,566.80**
1,023.86	**गैर-कर राजस्व**	**910.80**	**28,181.98**	**सामाजिक सेवाएं-**	**243.60**	**27,729.39**	**27,972.99**
2,093.14	**गैर-योजना अनुदान**	**1,864.02**	13,958.99	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	49.97	14,577.68	14,627.65
955.34	केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	1,486.02	6,680.22	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	29.95	6,889.94	6,919.89
1,137.80	राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	378.00	3,301.64	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	1.77	2,291.88	2,293.65
			31.58	सूचना और प्रसारण	21.81	1.46	23.27
			83.83	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-0.28	131.54	131.26
			168.91	श्रम और श्रमिक कल्याण	43.46	132.52	175.98
			3,942.08	सामाजिक कल्याण और पोषण	83.62	3,703.52	3,787.14
			14.73	**अन्य**	13.3	0.85	14.15
			9,772.43	**आर्थिक सेवाएं-**	134.18	8,551.89	8,686.07
			161.65	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	30.62	124.48	155.10
			15.25	ग्रामीण विकास	0	14.00	14.00
			252.16	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	29.03	214.32	243.35
			3,271.51	ऊर्जा	0	3,638.08	3,638.08
			30.37	उद्योग और खनिज	17.46	10.66	28.12

(₹ करोड़ में)

2023-24	प्राप्तियां	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25		
					प्रशासनिक	कार्यक्रम	कुल
			5,744.73	परिवहन	0.50	4,325.60	4,326.10
			65.54	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	0	31.88	31.88
			231.22	सामान्य आर्थिक सेवाएं	56.57	192.87	249.44
			5,219.19	**सहायता अनुदान और अंशदान-**	0	5,759.95	5,759.95
			6,462.31	**II. अग्रेनीत राजस्व अधिशेष**			**12,247.04**
खंड 'ख' : पूंजीगत							
14,450.47	**III. प्रारंभिक शेष**	**5,522.64**	6,855.41	**IV. पूंजीगत परिव्यय -**	**79.53**	**3,615.31**	**3,694.84**
0	**IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां**	**0**	469.34	**सामान्य सेवाएं-**	**72.11**	**186.66**	**258.77**
98.25	**V. ऋण और अग्रिम की वसूली-**	**47.97**	2,678.47	**सामाजिक सेवाएं-**	**3.13**	**1,782.92**	**1,786.05**
47.27	विद्युत परियोजनाओं से	47.27	722.35	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0	282.44	282.44
0.64	सरकारी कर्मचारियों से	0.48	875.05	स्वास्थ्य और परिवार	0.07	405.71	405.78
50.34	अन्य से	0.22	997.57	कल्याण, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	0	1,001.87	1,001.87
6,462.31	**VI. राजस्व अधिशेष कम किया गया**	**12,247.04**	0.11	सूचना और प्रसारण	0.09	0	0.09
0	**VII. लोक ऋण प्राप्तियां-**	142.00	38.05	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0	36.71	36.71
0	ओवरड्राफ्ट के अधीन	0	26.55	सामाजिक कल्याण और पोषण	2.97	38.35	41.32
0	केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम	142	18.79	अन्य	0	17.84	17.84

(₹ करोड़ में)

2023-24	प्राप्तियां	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25		
					प्रशासनिक	कार्यक्रम	कुल
0	**VIII. आकस्मिकता निधि में विनियोजन**	**0**	3,707.61	**आर्थिक सेवाएं-**	4.29	1,645.73	1,650.02
7.23	**IX. आकस्मिकता निधि में अंतरित राशि**	**49.61**	79.94	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	0.24	101.07	101.31
			152.72	ग्रामीण विकास	0.01	156.99	157.00
			83.05	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	0	87.51	87.51
			0	ऊर्जा	0	0	0
			0.19	उद्योग और खनिज	0.12	0	0.12
			3,384.61	परिवहन	0	1,298.90	1,298.90
			0.69	वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान	0	0.34	0.34
			6.41	सामान्य आर्थिक सेवाएं	3.92	0.92	4.84
			3,639.28	**V. संवितरित ऋण और अग्रिम-**	0.53	2,875.51	2,876.04
				विद्युत परियोजनाओं के लिए	0	0	0
				सरकारी कर्मचारियों के लिए	0.53	0	0.53
				अन्य के लिए	0	2,875.51	2,875.51
			4,993.69	**VI. लोक ऋण का पुनर्भुगतान -**	0	4,914.32	4,914.32
			4,993.69	केंद्र सरकार को ऋण और अग्रिम का पुनर्भुगतान	0	4,914.32	4,914.32
			0	**VIII. आकस्मिकता निधि हेतु विनियोजन**	0	0	0
			7.23	**IX. आकस्मिकता निधि से व्यय**	0	49.61	49.61

(₹ करोड़ में)

2023-24	प्राप्तियां	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25		
					प्रशासनिक	कार्यक्रम	कुल
			5522.64	**X. अंत शेष को भारत सरकार के अंतिम नकद शेष में मिला दिया जाएगा**	0	6,474.45	6,474.45
21,018.26	**कुल**	**18,009.26**	**21,018.26**	**कुल**	**80.06**	**17,929.20**	**18,009.26**

परिशिष्ट-1.3
(पैराग्राफ 1.1.5 में संदर्भित)
31 मार्च 2025 तक रा.रा.क्षे.दि.स. की वित्तीय स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 तक			31 मार्च 2025 तक
	देयताएं		
0	**आंतरिक ऋण**		0
47,387	**केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम**		**42,614**
18,724	गैर-योजना ऋण	16,038	
28,663	विधानमंडल योजनाओं वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऋण	26,576	
100	**आकस्मिकता निधि**		**100**
-	**विविध पूंजीगत प्राप्तियां**		-
1,588	**1994-95 के दौरान सीजीए से स्वीकृत पूंजीगत परिव्यय का शेष**		**1,588**
3,356	**1994-95 के दौरान सीजीए से स्वीकृत ऋण और अग्रिम का शेष**		**3,356**
1,29,128	**व्यय की तुलना में प्राप्तियों का संचयी आधिक्य**		**1,41,375**
1,81,559	**कुल**		**1,89,033**
	परिसंपत्तियां		
98,215	**अचल संपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**		**1,01,910**
21,437	कंपनी, निगम आदि के शेयरों में निवेश	21,810	
76,778	अन्य पूंजीगत परिव्यय	80,100	
77,821	**ऋण और अग्रिम**		**80,649**
8,658	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	8,610	
47,968	अन्य विकास ऋण	49,089	
21,195	सरकारी कर्मचारियों को ऋण और विविध ऋण	22,950	
5,523	**भारत सरकार के अंतिम नकद शेष के साथ विलियत अंत शेष**		**6,474**
1,81,559	**कुल**		**1,89,033**

परिशिष्ट-2.1

(पैराग्राफ 2.5.2 में संदर्भित)

ऐसे मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 2 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या और नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल बजट	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
राजस्व (दत्मत)						
1	03- न्याय प्रशासन	2,280.41	105.59	2,386.00	1,884.97	501.03
2	05- गृह	1,100.42	54.35	1,154.77	1,035.47	119.30
3	06- शिक्षा	16,056.41	77.85	16,134.26	14,773.06	1,361.20
4	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,630.88	155.53	7,786.41	6,772.29	1,014.12
5	08- समाज कल्याण	11,186.08	396.69	11,582.77	7,722.94	3,859.83
6	10- विकास	3916.87	621.85	4538.72	3811.04	727.68
कुल		**42,171.07**	**1,411.86**	**43,582.93**	**35,999.77**	**7,583.16**
राजस्व (प्रभारित)						
7	03- न्याय प्रशासन	599.42	17.42	616.84	580.60	36.24
कुल		**599.42**	**17.42**	**616.84**	**580.60**	**36.24**
पूंजीगत (दत्मत)						
8	04- वित्त	78.25	7.56	85.81	35.63	50.18
9	05- गृह	140.64	8.77	149.41	53.97	95.44
10	06- शिक्षा	101.47	72.08	173.55	50.31	123.24
11	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	257.28	143.81	401.09	112.17	288.92
12	11- शहरी विकास और लोक निर्माण	7,413.66	1,048.66	8,462.32	4,810.81	3,651.51
कुल		**7,991.30**	**1,280.88**	**9,272.18**	**5,062.89**	**4,209.29**
कुल योग		**50,761.79**	**2,710.16**	**53,471.95**	**41,643.26**	**11,828.69**

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट-2.2
(पैराग्राफ 2.5.3 में संदर्भित)
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोग
(प्रत्येक मामले में ₹ 2 करोड़ या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या और नाम	लेखा शीर्ष	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
राजस्व (दत्तमत)								
1	**अनुदान सं. 06- शिक्षा**	2202.01.113.98 समग्र शिक्षा (राज्य का हिस्सा)	132.00	0.02	54.98	187.00	100.62	86.38
2		2202.02.106.89 पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण	120.00	0.01	16.99	137.00	78.43	58.57
3		2202.02.113.98 समग्र शिक्षा (राज्य का हिस्सा)	28.65	0.02	22.33	51.00	18.27	32.73
4		2202.02.113.97 समग्र शिक्षा (केंद्र प्रायोजित योजना)	65.00	0.01	11.49	76.50	47.70	28.80
5		2202.03.102.89 नई दिल्ली स्थित नेशनल लॉ स्कूल विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	44.00	0.02	31.85	75.87	40.87	35.00
6	**अनुदान सं. 07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य**	2210.01.800.41 दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (राज्य का हिस्सा)	106.66	48.24	44.65	199.55	154.80	44.75
7		2210.01.110.87 जीबी पंत अस्पताल	447.67	0.02	11.44	459.13	434.05	25.08
8	**अनुदान सं. 08- समाज कल्याण**	2235.02.103.06 महिला समृद्धि योजना (उप-शीर्ष)	0.00	0.01	49.99	50.00	0.00	50.00
9	**अनुदान सं. 09- उद्योग**	3456.00.102.85 एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय आवागमन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता (राज्य का हिस्सा)	36.00	0.00	4.00	40.00	0.00	40.00

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या और नाम	लेखा शीर्ष	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
10	**अनुदान सं. 10- विकास**	3604.00.102.97 करों में हिस्से के बदले दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	2,210.00	480.01	6.99	2,697.00	2,652.38	44.62
11	**अनुदान सं. 11- शहरी विकास**	2215.01.191.98 अनधिकृत कॉलोनियों में पेयजल की आपूर्ति करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	160.00	0.02	17.98	178.00	98.69	79.31
12		2216.05.053.97 अनुरक्षण और मरम्मत	80.35	0.01	9.61	89.97	66.74	23.23
13		3054.04.105.97 जिला सड़कें	325.00	0.03	48.64	373.67	322.16	51.51
	कुल		**3,755.33**	**528.42**	**330.94**	**4,614.69**	**4,014.71**	**599.98**
पूंजीगत (दत्तमत)								
14	**अनुदान सं. 07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य**	4210.01.103.96 पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)(सीएसएस)	0.00	143.68	6.32	150.00	0.00	150.00
15		4210.01.103.95 पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)(राज्य का हिस्सा)	0.00	0.01	99.99	100.00	0.00	100.00
16	**अनुदान सं. 11- शहरी विकास**	7615.00.200.75 दिल्ली जल बोर्ड को अर्थोपाय सहायता के लिए ऋण	800.00	1,048.15	451.85	2,300.00	1,704.26	595.74
	कुल		**800.00**	**1,191.84**	**558.16**	**2,550.00**	**1,704.26**	**845.74**
	कुल योग		**4,555.33**	**1,720.26**	**889.10**	**7,164.69**	**5,718.97**	**1,445.72**

परिशिष्ट- 2.3
(पैराग्राफ 2.5.3 में संदर्भित)
'अनुदान सं.11- शहरी विकास और लोक निर्माण' में निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में से बचत
2022-23							
राजस्व (दत्मत)							
1	2215.01.191.98- अनधिकृत कॉलोनियों में पेयजल की आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	275.00	0.02	55.65	330.67	273.11	57.56
2	2217.05.191.96- स्मार्ट सिटी (सीएसएस) के लिए एनडीएमसी को सहायता अनुदान	50.00	0.01	47.99	98.00	49.00	49.00
3	2217.05.191.95- अमृत (सीएसएस) के लिए एमसीडी/एनडीएमसी को सहायता अनुदान	40.00	0.01	114.99	155.00	0.00	155.00
4	2217.80.191.04.95- शहरी विकास विभाग, क्षमता निर्माण और ए एंड ओई (सीएसएस)	2.70	0.00	2.30	5.00	0.00	5.00
5	2810.00.105.98- सौर ऊर्जा के लिए उत्पादन आधारित असंवेदनशील योजना	5.00	0.01	3.59	8.60	0.00	8.60
पूंजीगत (दत्मत)							
6	4210.01.110.65- मौजूदा अस्पतालों का पुनर्निर्माण	500	0.01	27.99	528	466.95	61.05
	कुल	872.70	0.06	252.51	1,125.27	789.06	336.21
2023-24							
राजस्व (दत्मत)							
7	2215.01.102.97.98- ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	5.00	0.01	11.99	17.00	4.79	12.21
8	2215.01.191.98- अनधिकृत कॉलोनियों में पेयजल की आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	240.00	0.02	66.52	306.54	151.79	154.75
9	2215.01.191.70- दिल्ली जल बोर्ड को पुनर्वास कॉलोनियों में पानी के लिए सहायता अनुदान	10.00	0.02	8.98	19.00	7.16	11.84
10	2215.02.191.87- ग्रामीण इलाकों में सीवेज के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	4.00	0.01	4.99	9.00	3.00	6.00

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में से बचत
11	2217.05.800.88- अनधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सेवाओं का प्रावधान	2.00	0.00	4.52	6.52	0.02	6.50
12	3475.00.108.94- दीन दयाल अंत्योदय योजना /राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केंद्र प्रायोजित योजना)	5.37	0.01	2.68	8.06	0.00	8.06
13	2810.00.105.98- सौर ऊर्जा के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना	5.00	0.01	9.13	14.14	1.17	12.97
पूंजीगत (दत्तमत)							
14	6215.01.191.78- मौजूदा जल कार्यों के सुधार के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	250.00	0.01	6.99	257.00	185.62	71.38
15	6215.01.191.76- दिल्ली जल बोर्ड को मीटरिंग और रिसाव प्रबंधन के लिए ऋण	30.00	0.01	30.99	61.00	24.62	36.38
16	6215.01.191.75- शहरी क्षेत्रों में रैनी कुओं और नलकूपों के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	100.00	0.01	26.99	127.00	61.94	65.06
17	6215.01.191.74- दिल्ली जल बोर्ड को स्टाफ क्वार्टर और कार्यालय स्थान के लिए ऋण	20.00	0.02	9.98	30.00	13.00	17.01
18	6215.02.191.86- जेएनएनयूआरएम परियोजना के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	25.00	0.01	9.99	35.00	6.38	28.62
19	6215.02.191.85- यमुना कार्य योजना-III के अंतर्गत सीवरेज की पुनः स्थापना के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण (राज्य का हिस्सा)	250.00	0.01	124.99	375.00	250.00	125.00
20	6215.02.191.84- ट्रंक परिधीय सीवर और ग्रेविटी डक्ट के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	150.00	0.01	14.99	165.00	95.16	69.84
21	4059.80.051.76- राष्ट्रीय ध्वज के लिए खंभे की स्थापना	1.00	0.01	2.99	4.00	0.00	4.00
22	5054.04.101.92- एलिवेटेड कोरिडोर बारापुल्ला नाला- चरण II का निर्माण	100.00	0.01	21.99	122.00	95.92	26.08
	कुल	**1,197.37**	**0.18**	**358.71**	**1,556.26**	**900.57**	**655.70**
2024-25							
राजस्व (दत्तमत)							
23	2215.01.191.98- अनधिकृत कॉलोनियों में पेयजल की आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	160.00	0.02	17.98	178.00	98.69	79.31

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में से बचत
24	2215.01.191.66- दिल्ली जल बोर्ड को जल गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सहायता अनुदान	0.00	0.01	5.99	6.00	0.00	6.00
25	2215.02.106.99- दिल्ली जल बोर्ड को शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए सहायता अनुदान	4.99	0.01	12.00	17.00	3.01	13.99
26	2217.05.191.91- अमृत 2.0 (सीएसएस) (उप- शीर्ष) में क्षमता निर्माण और ए एंड ओई यू डी विभाग	0.00	0.01	2.49	2.50	0.00	2.50
27	2216.05.053.97- अनुरक्षण और मरम्मत (उप-शीर्ष)	80.35	0.01	9.61	89.97	66.74	23.23
28	3054.04.105.97-जिला सड़कें	325.00	0.03	48.64	373.67	322.16	51.51
पूंजीगत (दत्मत)							
29	6215.01.191.85- शहरी गांवों में जल आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	6.00	0.01	3.99	10.00	5.87	4.13
30	7615.00.200.75- दिल्ली जल बोर्ड को अर्थोपाय सहायता के लिए ऋण	800.00	1,048.15	451.85	2,300.00	1,704.26	595.74
31	5054.04.101.89- गोपालपुर लाल बत्ती पर ओर पर आधे अंडरपास का निर्माण - जगतपुर पुल	0.00	0.01	3.99	4.00	0.00	4.00
	कुल	**1,376.34**	**1,048.26**	**556.54**	**2,981.14**	**2,200.73**	**780.41**

परिशिष्ट - 2.4
(पैराग्राफ 2.5.4 में संदर्भित)
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अभ्यर्पण के बाद बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान का नाम और संख्या	कुल अनुदान	व्यय	कुल अनुदान में से बचत	अभ्यर्पण	बचत (अभ्यर्पण को छोड़कर)
राजस्व (दत्तमत)						
1	03- न्याय प्रशासन	2,386.00	1,884.97	501.03	275.22	225.81
2	06- शिक्षा	16,134.26	14,773.06	1,361.20	469.33	891.87
3	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,786.41	6,772.29	1,014.12	354.52	659.60
4	08- समाज कल्याण	11,582.77	7,722.94	3,859.83	2,901.81	958.02
5	10- विकास	4,538.72	3,811.04	727.68	296.14	431.54
6	11- शहरी विकास और लोक निर्माण	14,128.42	10,364.82	3,763.60	2,859.90	903.70
कुल		**56,556.58**	**45,329.12**	**11,227.46**	**7,156.92**	**4,070.54**
पूंजीगत (दत्तमत)						
7	08- समाज कल्याण	2,767.77	1,055.23	1,712.54	555.31	1,157.23
8	11- शहरी विकास और लोक निर्माण	8,462.32	4,810.81	3,651.51	2,130.46	1,521.05
कुल		**11,230.09**	**5,866.04**	**5,364.05**	**2,685.77**	**2,678.28**
कुल योग		**67,786.67**	**51,195.16**	**16,591.51**	**9,842.69**	**6,748.82**

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट-2.5
(पैराग्राफ 2.5.4 में संदर्भित)
वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निरंतर बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं./विभाग का नाम	बचत				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व (दत्तमत)						
1	02- सामान्य प्रशासन	471.81	437.66	417.19	912.64	414.09
2	03- न्याय प्रशासन	163.73	396.27	223.92	384.45	501.03
3	06- शिक्षा	3,526.60	2,770.99	1,120.12	1,300.01	1,361.20
4	08- समाज कल्याण	1,026.88	968.70	1,436.46	1,037.86	3,859.83
5	11- शहरी विकास और लोक निर्माण	560.67	1,095.4	1,885.89	1,959.11	3,763.60
पूंजीगत (दत्तमत)						
6	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	166.86	156.37	2,073.70	126.26	288.92
7	10- विकास	828.03	574.62	887.02	269.94	687.23
8	11- शहरी विकास और लोक निर्माण	2,253.05	887.76	3,455.59	5,146.43	3,651.51

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट-2.6

(पैराग्राफ 2.5.4 में संदर्भित)

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बजट और बचत के उपयोग की अनुदान-वार प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या और नाम	कुल बजट	कुल व्यय	बचत	उपयोग की प्रतिशतता	उपयोग की सीमा (*प्रतिशत*)
1	14- आकस्मिकता निधि के लिए विनियोग	0.00	0.00	0.00	0	50 तक
2	01- विधान सभा	80.52	26.06	54.46	32	
3	02- सामान्य प्रशासन	650.99	222.67	428.32	34	
4	12- ऋण	1.30	0.54	0.76	41	
	कुल	**732.81**	**249.27**	**483.54**		
5	08- समाज कल्याण	14,355.38	8,780.94	5,574.44	61	51 से 75
6	09- उद्योग	376.27	250.92	125.35	67	
7	04- वित्त	417.91	278.72	139.19	67	
8	11- शहरी विकास और लोक निर्माण	22,622.05	15,206.87	7,415.18	67	
9	10- विकास	5,578.20	4,161.47	1,416.73	75	
	कुल	**43,349.81**	**28,678.92**	**14,670.89**		
10	03- न्याय प्रशासन	3,300.64	2,587.07	713.57	78	76 से 90
11	13- पेंशन रा.रा.क्षे.दि.	5.00	4.10	0.90	82	
12	05- गृह	1,305.15	1,089.96	215.19	84	
13	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	8,197.11	6,885.34	1,311.77	84	
	कुल	**12,807.90**	**10,566.47**	**2,241.43**		
14	06- शिक्षा	16,327.87	14,836.13	1,491.74	91	91 से 100
15	15- लोक ऋण	7,580.42	7,580.40	0.02	100	
	कुल	**23,908.29**	**22,416.53**	**1,491.76**		
	कुल योग	**80,798.81**	**61,911.19**	**18,887.62**		

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट-2.7
(पैराग्राफ 2.5.4 में संदर्भित)
बचत जिसका अभ्यर्पण नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या और नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	राशि जिसका अभ्यर्पण नहीं किया गया
राजस्व (दत्तमत)								
1	02- सामान्य प्रशासन	609.36	0.03	609.39	195.30	414.09	363.99	50.10
2	03- न्याय प्रशासन	2,280.41	105.59	2,386.00	1,884.97	501.03	275.22	225.81
3	04- वित्त	331.90	0.09	331.99	243.07	88.92	49.09	39.83
4	05- गृह	1,100.42	54.35	1,154.77	1,035.47	119.30	48.95	70.35
5	06- शिक्षा	16,056.41	77.85	16,134.25	14,773.06	1,361.19	469.33	891.86
6	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,630.88	155.53	7,786.41	6,772.29	1,014.12	354.52	659.60
7	08- समाज कल्याण	11,186.08	396.69	11,582.77	7,722.94	3,859.83	2,901.81	958.02
8	09- उद्योग	360.70	0.03	360.73	249.65	111.08	29.36	81.72
9	10- विकास	3,916.87	621.85	4,538.72	3,811.04	727.68	296.14	431.54
10	11- शहरी विकास और लोक निर्माण	14,128.10	0.32	14,128.42	10,364.82	3,763.60	2,859.90	903.70
	कुल	**57,601.13**	**1,412.33**	**59,013.45**	**47,052.61**	**11,960.84**	**7,648.31**	**4,312.53**
राजस्व (प्रभारित)								
11	03- न्याय प्रशासन	599.42	17.42	616.84	580.60	36.24	0.13	36.11
	कुल	**599.42**	**17.42**	**616.84**	**580.60**	**36.24**	**0.13**	**36.11**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या और नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	राशि जिसका अभ्यर्पण नहीं किया गया
पूंजीगत (दत्तमत)								
12	03- न्याय प्रशासन	271.50	0.25	271.75	113.15	158.60	141.90	16.70
13	04- वित्त	78.25	7.56	85.81	35.63	50.18	0.03	50.15
14	05- गृह	140.64	8.77	149.41	53.97	95.44	49.26	46.18
15	06- शिक्षा	101.47	72.08	173.55	50.31	123.24	29.57	93.67
16	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	257.29	143.81	401.10	112.17	288.93	0.04	288.89
17	08- समाज कल्याण	792.96	1,974.81	2,767.77	1,055.23	1,712.54	555.31	1,157.23
18	10- विकास	1,033.19	0.28	1,033.47	346.23	687.24	636.98	50.26
19	11- शहरी विकास और लोक निर्माण	7,413.66	1,048.66	8,462.32	4,810.81	3,651.51	2,130.46	1,521.05
कुल		**10,088.96**	**3,256.22**	**13,345.18**	**6,577.50**	**6,767.68**	**3,543.55**	**3,224.13**
पूंजीगत (प्रभारित)								
20	03- न्याय प्रशासन	24.21	1.84	26.05	8.35	17.70	0.02	17.68
कुल		**24.21**	**1.84**	**26.05**	**8.35**	**17.70**	**0.02**	**17.68**
कुल योग		**68,313.72**	**4,687.81**	**73,001.52**	**54,219.06**	**18,782.46**	**11,192.01**	**7,590.45**

परिशिष्ट-2.8

(पैराग्राफ 2.5.4 में संदर्भित)

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 'अनुदान सं. 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण' के अंतर्गत विभिन्न शीर्षों में निरंतर बचत (₹ 10 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2022-23		2023-24		2024-25	
	बचत	प्रतिशत	बचत	प्रतिशत	बचत	प्रतिशत
2215.01.191.98-अनधिकृत कॉलोनियों में पेयजल की आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	57.56	17.41	154.75	50.48	79.31	44.56
2215.01.191.64-दिल्ली जल बोर्ड को आईटी/क्षमता निर्माण के लिए सहायता अनुदान	15.25	50.82	11.21	62.28	11.33	75.53
2215.01.800.93-दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी	133.59	22.27	136.86	22.81	14.67	2.93
2217.05.191.94- अमृत 2.0 (सीएसएस) के लिए एमसीडी/एनडीएमसी को सहायता अनुदान	241.69	53.24	438.24	100.00	73.75	50.86
4217.60.050.95- अनधिकृत कॉलोनियों का विकास	124.18	10.37	208.23	26.03	59.31	8.47
4217.60.051.97- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अवसंरचना जैसे सड़कें, गलियां, मोहल्ले, स्ट्रीट लाइट आदि का सुदृढ़ीकरण और विस्तार	58.31	25.92	56.86	32.31	13.50	5.62
7615.00.200.81- दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को अर्थोपाय सहायता के लिए ऋण	94.95	47.10	100.00	50.00	50.00	50.00

परिशिष्ट-2.9
(पैराग्राफ 2.5.5 में संदर्भित)
नीतिगत पहल जिनमें कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं. और विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	परिशोधित प्रावधान	व्यय
राजस्व (दत्तमत)						
1	03- न्याय प्रशासन	2014.00.103.98	सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना	2.60	2.60	शून्य
2	05- गृह	2055.00.116.96	डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला- निर्भया कोष (केंद्र प्रायोजित योजना)	0.01	2.00	शून्य
3	06- शिक्षा	2202.02.101.97	दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सहायता अनुदान	7.00	3.00	शून्य
4	06- शिक्षा	2202.02.109.53	विशिष्ट उत्कृष्टता विद्यालय को सहायता अनुदान	42.00	40.02	शून्य
5	06- शिक्षा	2202.80.107.82	शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों का कल्याण	22.54	20.00	शून्य
6	06- शिक्षा	2204.00.102.66	विद्यालयों में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा	2.00	2.00	शून्य
7	06- शिक्षा	2204.00.103.77	मिशन उत्कृष्टता - खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता	7.00	2.00	शून्य
8	06- शिक्षा	2203.00.112.51	दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	41.00	39.00	शून्य
9	06- शिक्षा	2203.00.112.44	विश्वविद्यालय/कॉलेजों में इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना	1.11	4.51	शून्य
10	06- शिक्षा	2230.03.101.91	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (केंद्र प्रायोजित योजना)	9.00	9.00	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं. और विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	परिशोधित प्रावधान	व्यय
11	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.200.68	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएचएमपी)(सीएसएस) उत्कृष्टता केंद्र के लिए राष्ट्रीय तृतीयक देखभाल योजना के अंतर्गत आईएचबीएएस को सहायता अनुदान	0.02	10.00	शून्य
12	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.06.113.97	जागरूकता अभियान- वायुवाहित रोग और अन्य स्वास्थ्य मुद्दे	5.00	2.00	शून्य
13	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2211.00.102.75	अस्पताल में प्रसवोत्तर इकाइयों पर व्यय के लिए अनुदान	5.00	2.09	शून्य
14	08- समाज कल्याण	2235.02.200.72	दवा की मांग में कटौती के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) (सीएसएस) (केंद्रीय हिस्सा)	0.03	3.17	शून्य
15	08- समाज कल्याण	2235.02.103.14	दिल्ली राज्य मिशन (सूर्योदय)	3.01	3.00	शून्य
16	08- समाज कल्याण	2235.02.103.06	महिला समृद्धि योजना (उप-शीर्ष)	0.01	50.00	शून्य
17	08- समाज कल्याण	3055.00.190.90	दिल्ली विद्युत वाहन नीति के कार्यान्वयन के लिए डीटीआईडीसी को सहायता अनुदान	30.01	20.00	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं. और विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	परिशोधित प्रावधान	व्यय
18	09- उद्योग	2851.00.001.96	व्यापार करने में आसानी	4.00	2.28	शून्य
19	09- उद्योग	3456.00.102.85	खाद्यान्न के अंतर-राज्यीय आवागमन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और एनएफएसए के तहत एफपीएस डीलरों का मार्जिन (राज्य का हिस्सा)	36.00	40.00	शून्य
20	09- उद्योग	3456.00.103.93	अत्यावश्यक माल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए बाज़ार में हस्तक्षेप का प्रावधान।	5.00	5.00	शून्य
21	10- विकास	3435.04.103.86	स्मोक टावर्स के लिए डीपीसीसी को सहायता अनुदान	3.00	3.00	शून्य
		कुल		**225.40**	**264.84**	**शून्य**
राजस्व (प्रभारित)						
22	08- समाज कल्याण	2235.02.001.92	सुरक्षा-आंतरिक और बाह्य और स्वच्छता संवर्धन (एसडब्ल्यूडी)	2.50	2.00	शून्य
		कुल		**2.50**	**2.00**	**शून्य**
पूंजीगत (दत्तमत)						
23	06- शिक्षा	4202.01.202.82	सरकारी स्कूलों में ड्यूल डेस्क और अन्य फर्नीचर की खरीद	0.01	10.00	शून्य
24	06- शिक्षा	4250.00.201.76	आईटीआईएस का नवीनीकरण और उन्नयन (उप-शीर्ष)	10.00	4.00	शून्य
25	06- शिक्षा	4202.01.203.91	खेल विश्वविद्यालय की स्थापना	5.01	10.00	शून्य
26	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4210.01.103.96	पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना	143.68	150.00	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं. और विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	परिशोधित प्रावधान	व्यय
			मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)(सीएसएस)			
27	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4210.01.103.95	पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)(राज्य का हिस्सा)	0.01	100.00	शून्य
28	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4210.01.110.98	अस्पताल और औषधालय भवन	100.51	10.21	शून्य
29	08- समाज कल्याण	7055.00.190.89	जीआईसीए ऋण की चुकौती के लिए डीएमअआरसी को अधीनस्थ ऋण (उप-शीर्ष)	0.01	951.00	शून्य
30	10- विकास	4711.03.052.98	अनुरक्षण	0.01	2.00	शून्य
31	10- विकास	4059.01.051.81	उप-आयुक्त कार्यालय	0.02	2.80	शून्य
32	10- विकास	4070.00.001.41	कमान नियंत्रण केंद्र (सीसीसी) एचआर और प्रशिक्षण सहित डीडीएमए को मज़बूत करना (उप-शीर्ष)	0.02	11.00	शून्य
कुल				**259.23**	**1,251.01**	**शून्य**
कुल योग				**487.22**	**1,517.85**	**शून्य**

परिशिष्ट - 2.10
(पैराग्राफ 2.5.5 में संदर्भित)
नीतिगत पहल जहाँ परिशोधित परिव्यय में संपूर्ण बजट राशि का प्रत्याहरण किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	शीर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	परिशोधित परिव्यय
राजस्व (दत्तमत)					
1	02- सामान्य प्रशासन	2055.00.119.94	दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर परियोजना-4077 के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली पुलिस को सहायता अनुदान (निर्भया कोष) (सीएसएस)	241.95	शून्य
2	02- सामान्य प्रशासन	2220.60.101.96	मीडिया नेटवर्क के साथ सहयोग	18.70	शून्य
3	02- सामान्य प्रशासन	2220.60.101.94	आउटरीच कार्यक्रम के लिए शासन का दिल्ली मॉडल	12.00	शून्य
4	02- सामान्य प्रशासन	2220.60.101.91	महिला सुरक्षा पर मीडिया अभियान	5.10	शून्य
5	06- शिक्षा	2202.02.109.56	देश भक्ति पाठक्रम	2.00	शून्य
6	06- शिक्षा	2202.02.109.48	आरपीवीवीएस और एसओएसईएस में विदेशी भाषाओं का परिचय	2.00	शून्य
7	06- शिक्षा	2202.80.001.86	अन्य विविध योजना	4.23	शून्य
8	06- शिक्षा	2203.00.112.34	इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, विकास, डिजिटल स्वास्थ्य, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि में अनुसंधान के लिए इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) को सहायता अनुदान (उप-शीर्ष)	2.00	शून्य
9	06- शिक्षा	2230.03.101.92	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) (केंद्र प्रायोजित योजना)	2.33	शून्य
10	06- शिक्षा	2205.00.103.95	रा.रा.क्षे.दि.स. के स्मारकों के संरक्षण, जीर्णोद्धार और विकास कार्यों के लिए न्यास/गैर-सरकारी संगठन/प्रतिष्ठान/संस्थाओं को सहायता अनुदान (उप-शीर्ष)	10.00	शून्य
11	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.200.71	स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों (एचसीडब्ल्यूएस) और फ्रंट लाइन कर्मियों (एफसीडब्ल्यूएस) के लिए कोविड-19 टीकाकरण की प्रचालन लागत के लिए सहायता अनुदान	1.01	शून्य
12	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2211.00.101.78	उप केंद्र (केंद्र प्रायोजित योजना)	7.15	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	शीर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	परिशोधित परिव्यय
राजस्व (दत्मत)					
13	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2211.00.102.80	शहरी परिवार कल्याण केंद्र (केंद्र प्रायोजित योजना)	90.11	शून्य
14	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2211.00.102.78	शहरी परिवार कल्याण केंद्रों का जीर्णोद्धार (केंद्र प्रायोजित योजना)	26.27	शून्य
15	08- समाज कल्याण	2235.02.102.36	प्रोत्साहन आंगनवाड़ी उन्नयन योजना	25.00	शून्य
16	08- समाज कल्याण	2235.02.103.10	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के प्रशिक्षण के लिए एससीईआरटी को सहायता अनुदान (उप-शीर्ष)	7.00	शून्य
17	08- समाज कल्याण	2235.02.103.09	मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना (उप-शीर्ष)	2,000.00	शून्य
18	08- समाज कल्याण	2235.02.200.76	दवा की मांग कटौती के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) (केंद्र प्रायोजित योजना)	5.16	शून्य
19	08- समाज कल्याण	2236.02.101.71	अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त आहार	10.00	शून्य
20	08- समाज कल्याण	2225.01.277.42	मिडिल कक्षा तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री कनिष्ठ छात्रवृत्ति योजना	5.00	शून्य
21	08- समाज कल्याण	2041.00.800.72	सब्सिडी (ऑटो रिक्शा में जीपीएस ट्रैकिंग शुल्क और सिम कार्ड लागत)	5.00	शून्य
22	08- समाज कल्याण	2041.00.800.71	सब्सिडी (हल्के मोटर वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग शुल्क और सिम कार्ड लागत)	5.00	शून्य
23	08- समाज कल्याण	3055.00.001.84	क्लस्टर बसों में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) (उप-शीर्ष)	6.99	शून्य
24	08- समाज कल्याण	3055.00.190.91	क्लस्टर बसों में मार्शल की तैनाती	40.00	शून्य
25	08- समाज कल्याण	3055.00.190.88	579 ई बसों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी (उप-शीर्ष)	210.00	शून्य
26	08- समाज कल्याण	3452.01.190.98	दिल्ली होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता अनुदान	2.62	शून्य
27	09- उद्योग	2852.80.104.94	गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान	5.00	शून्य
28	09- उद्योग	3456.00.001.94	राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए अभियान	5.00	शून्य
29	10- विकास	2053.00.093.83	मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा	80.00	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	शीर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	परिशोधित परिव्यय
राजस्व (दत्मत)					
30	10- विकास	3435.04.103.83	ई-अपशिष्ट पारिस्थितिक पार्क के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान	15.24	शून्य
कुल				**2,851.86**	
पूंजीगत (दत्मत)					
31	03- न्याय प्रशासन	4059.60.052.97	जिला न्यायालयों में हाइब्रिड सुनवाई की स्थापना (उप-शीर्ष)	100.00	शून्य
32	06- शिक्षा	4250.00.201.84	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) (केंद्र प्रायोजित योजना)	5.47	शून्य
33	09- उद्योग	4851.00.102.71	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई सीडीपी) सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) का निर्माण (राज्य का हिस्सा) (उप-शीर्ष)	2.00	शून्य
34	10- विकास	4403.00.101.92	पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	2.00	शून्य
कुल				**109.47**	**शून्य**
कुल योग				**2,961.33**	**शून्य**

स्रोत: वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट - 2.11
(पैराग्राफ 2.5.5 में संदर्भित)
'अनुदान सं.11-शहरी विकास और लोक निर्माण' की बिना व्यय वाली नीतिगत पहल

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना का शीर्ष और नाम	बजट प्रावधान	परिशोधित प्रावधान	व्यय
राजस्व (दत्तमत) 2022-23				
1	2217.05.800.85- बाज़ार विकास निधि	1.01	2.00	शून्य
2	2217.80.191.04.95- शहरी विकास विभाग क्षमता निर्माण और ए एंड ओई (सीएसएस)	2.70	5.00	शून्य
3	3475.00.108.94- दीन दयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (सीएसएस)	23.35	5.32	शून्य
4	2810.00.105.98- सौर ऊर्जा के लिए उत्पादन आधारित असंवेदनशील योजना	5.01	8.60	शून्य
पूंजीगत (दत्तमत)				
5	4202.01.203.87- दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय का निर्माण	50.00	15.00	शून्य
6	4801.05.800.87- एचटी/एलटी ट्रांसमिशन विद्युत लाइनों का स्थानांतरण	8.00	8.00	शून्य
7	4810.00.101.99- नवीकरणीय ऊर्जा	10.00	10.00	शून्य
राजस्व (दत्तमत) 2023-24				
1	2217.05.001.98- खुदरा बाजारों का नवीकरण और संवर्धन	50.00	5.00	शून्य
2	2217.05.191.94- अमृत 2.0 (सीएसएस) के लिए एमसीडी/एनडीएमसी को सहायता अनुदान	1,177.00	438.24	शून्य
3.	2217.80.191.04.95- शहरी विकास विभाग क्षमता निर्माण और ए एंड ओई (सीएसएस)	5.00	2.50	शून्य
4.	2217.80.191.04.91- शहरी विकास विभाग जन जागरूकता और आईईसी गतिविधियां (सीएसएस)	5.00	2.50	शून्य
5.	3475.00.108.94- दीन दयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (सीएसएस)	5.37	8.06	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना का शीर्ष और नाम	बजट प्रावधान	परिशोधित प्रावधान	व्यय
पूंजीगत (दत्तमत)				
6	6215.01.191.69- चंद्रावल डब्ल्यूटीपी के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण (राज्य का हिस्सा)	30.00	20.00	शून्य
7.	6215.01.191.70- चंद्रावल डब्ल्यूटीपी के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण - जेआईसीए (केंद्रीय हिस्सा)	200.00	200.00	शून्य
8	4059.80.051.76- राष्ट्रीय ध्वज के लिए खंभे की स्थापना	1.00	4.00	शून्य
9	4810.00.101.99- नवीकरणीय ऊर्जा	10.00	10.00	शून्य
राजस्व (दत्तमत) 2024-25				
1	2215.01.191.66- दिल्ली जल बोर्ड को जल गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सहायता अनुदान	0.00	6.00	शून्य
2	2217.05.191.91- शहरी विकास विभाग अमृत 2.0 में क्षमता निर्माण और ए एंड ओई (सीएसएस) (उप-शीर्ष)	0.00	2.50	शून्य
3	3475.00.108.94- दीन दयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केंद्र प्रायोजित योजना)	5.09	2.85	शून्य
4	2810.00.105.99- नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में सहायता	2.00	2.00	शून्य
पूंजीगत (दत्तमत)				
5	5054.04.101.89- गोपालपुर लाल बत्ती - जगतपुर पुल पर ओआरआर पर आधे अंडरपास का निर्माण	0.00	4.00	शून्य
6	4810.00.101.99- नवीकरणीय ऊर्जा	10.00	2.00	शून्य

स्रोत: संबंधित वित वर्षों के विनियोग लेखे

परिशिष्ट-2.12

(पैराग्राफ 2.5.5 में संदर्भित)

नीतिगत पहल जहाँ 'अनुदान सं. 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण' के परिशोधित परिव्यय में संपूर्ण बजट राशि का प्रत्याहरण किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष और योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	परिशोधित परिव्यय
राजस्व (दत्मत) 2022-23			
1.	2215.02.191.79- मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के लिए सब्सिडी	23.00	0.00
पूंजीगत (दत्मत) 2022-23			
2	4235.02.104.93- सेवा सदन कॉम्प्लेक्स, लंबोर में भवन का निर्माण	40.00	0.00
3	5054.04.101.70- खेड़ा कलां से खेड़ा खुर्द रोड में रेलवे क्रॉसिंग सं. एलसी-12 पर आरओबी/आरयूबी का निर्माण	25.00	0.00
4	5054.04.337.90- वज़ीराबाद से डीएनडी फ्लाईओवर तक रिंग रोड के साथ नया बाईपास रोड	5.00	0.00
5	5054.04.337.84- रोहतक रोड/एनएच -10 के कॉरिडोर के लिए एकीकृत पारगमन कॉरिडोर विकास और स्ट्रीट नेटवर्क/लाइट कनेक्टिविटी (ज्वाला हेरी मार्केट लाल बत्ती से ज्वालापुरी लाल बत्ती)	50.00	0.00
6	5054.04.337.83- मुकरबा चौक में भीड़भाड़ कम करने के लिए व्यापक योजना	5.00	0.00
7	5054.04.337.80- महरौली-बदरपुर कॉरिडोर (डीएमआरसी को भुगतान)	120.00	0.00
8	4801.05.800.86- जगमगती दिल्ली कार्यक्रम के अंतर्गत 11 किलो वाट नेटवर्क को अनावृत संवाहक से विद्युत्-रोधी संवाहक में बदलना	22.18	0.00
राजस्व (दत्मत) 2023-24			
1.	2215.01.101.99- नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी	2.50	0.00
2.	2217.05.800.85- बाज़ार विकास निधि	2.00	0.00
पूंजीगत (दत्मत) 2023-24			
3.	4217.60.051.95- मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास	300.00	0.00
4.	7615.00.200.73- स्थानीय निकायों को अर्थोपाय सहायता के लिए ऋण	850.00	0.00
5	4202.01.202.89- डिजिटल कक्षाओं का निर्माण	20.00	0.00
6	4202.01.203.88- अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) परिसर-रोहिणी का निर्माण	50.00	0.00
7	5054.04.337.84- रोहतक रोड/एनएच-10 कॉरिडोर के लिए एकीकृत पारगमन कॉरिडोर विकास और स्ट्रीट नेटवर्क/लाइट कनेक्टिविटी (ज्वाला हेरी मार्केट लाल बत्ती से ज्वालापुरी लाल बत्ती)	5.00	0.00

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष और योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	परिशोधित परिव्यय
8	5054.04.337.80- महरौली-बदरपुर कॉरिडोर (डीएमआरसी को भुगतान)	150.00	0.00
9	4801.05.800.91- भूमि की खरीद	30.00	0.00
10	4801.05.800.86- जगमगती दिल्ली कार्यक्रम के अंतर्गत 11 किलो वाट नेटवर्क को अनावृत संवाहक से विद्युत्-रोधी संवाहक में बदलना	10.00	0.00
11	4070.00.101.99- राज्य चुनाव आयोग	25.15	0.00
राजस्व (दत्तमत) 2024-25			
1	2217.05.191.92- दिल्ली शहरी आवास सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को सहायता अनुदान (उप-शीर्ष)	100.01	0.00
पूंजीगत (दत्तमत) 2024-25			
2	6215.02.191.86- जेएनएनयूआरएम परियोजना के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	24.00	0.00
3	5054.04.101.91- आधे फ्लाईओवर का निर्माण	2.00	0.00
4	5054.04.101.76- मंगल पांडे मार्ग के करावल नगर, घोंडा और बृजपुरी जंक्शन पर फ्लाईओवर का निर्माण जिसमें एलिवेटेड कॉरिडोर, फुटपाथ, सड़क के संकेत सहित सड़क कार्य, बिजली के काम और ड्रेनेज शामिल हैं	30.00	0.00
5	4801.05.800.91- भूमि की खरीद	30.01	0.00

स्रोत: संबंधित वित्त वर्षों के विनियोग लेखे

परिशिष्ट - 2.13

(पैराग्राफ 2.5.6 में संदर्भित)

अंतिम तिमाही और अंतिम महीने के दौरान शीर्ष-वार व्यय की अधिकता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	बजट समूह	कुल बजट	कुल व्यय	2024-25 की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2025 में किया गया व्यय (अनुपूरक सहित)	2024-25 की अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	मार्च 2025 के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता
03- न्याय प्रशासन								
1	2015.00.106.99.00.18	दत्मत	35.00	32.60	32.60	24.55	100.00	75.31
कुल				**32.60**	**32.60**	**24.55**		
05- गृह								
2	2056.00.001.99.00.28	दत्मत	155.00	153.34	107.83	107.66	70.33	70.21
3	4070.00.001.76.00.52	दत्मत	53.00	26.38	19.75	19.66	74.88	74.53
कुल				**179.72**	**127.58**	**127.32**		
06- शिक्षा								
4	2202.01.103.94.00.35	दत्मत	90.00	90.00	58.68	58.68	65.20	65.20
5	2202.01.113.95.00.02	दत्मत	36.00	36.00	29.75	29.75	82.64	82.64
6	2202.01.113.97.00.31	दत्मत	262.00	262.00	203.58	203.58	77.70	77.70
7	2202.01.789.81.00.31	दत्मत	27.00	27.00	20.58	20.58	76.23	76.23
8	2202.02.113.97.00.31	दत्मत	46.50	43.05	36.64	36.64	85.12	85.12
9	2202.02.113.98.00.31	दत्मत	31.00	15.18	10.90	10.90	71.86	71.86
10	2202.03.102.88.00.36	दत्मत	40.00	40.00	24.50	24.50	61.25	61.25
11	2203.00.102.95.00.31	दत्मत	25.00	25.00	12.50	12.50	50.00	50.00
12	2203.00.112.50.00.36	दत्मत	22.00	19.40	11.00	11.00	56.69	56.69
कुल				**557.63**	**408.13**	**408.13**		
07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य								
13	2210.01.110.33.00.31	दत्मत	33.00	29.12	16.50	16.50	56.66	56.66
14	2210.06.800.82.00.31	दत्मत	15.00	15.00	11.25	11.25	75.00	75.00
कुल				**44.12**	**27.75**	**27.75**		
10- विकास								
15	2404.00.800.96.00.31	दत्मत	24.00	13.57	10.17	10.17	75.00	75.00
कुल				**13.57**	**10.17**	**10.17**		
कुल योग				**827.64**	**606.23**	**597.92**		

परिशिष्ट - 2.14
(पैराग्राफ 2.5.6 में संदर्भित)
उप-शीर्ष जहाँ मार्च 2025 में संपूर्ण व्यय किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	बजट के प्रकार	मार्च के दौरान वास्तविक व्यय
1	06	शिक्षा	2202.01.113.96.00.31	समग्र शिक्षा प्राथमिक शिक्षा (टॉप अप)	दत्मत	64.15
2	06	शिक्षा	2203.00.102.96.00.36	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	दत्मत	28.99
3	08	समाज कल्याण	2235.02.103.22.00.49	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) एनएसएपी (केंद्र प्रायोजित योजना)	दत्मत	19.50
4	08	समाज कल्याण	3055.00.190.99.00.33	रियायती पास के लिए डीटीसी को सब्सिडी	दत्मत	16.37
5	08	समाज कल्याण	5055.00.800.87.00.73	आरआरटीएस कॉरिडोर	दत्मत	50.00
6	09	उद्योग	3456.00.102.86.00.49	एनएफएसए (सीएसएस) के अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय आवागमन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता	दत्मत	37.00
कुल						**216.01**

परिशिष्ट - 2.15
(पैराग्राफ 2.5.6 में संदर्भित)
'अनुदान सं. 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण' में व्यय की अधिकता

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	बजट समूह	कुल बजट	कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता	मार्च में अनुपूरक सहित कुल व्यय	मार्च के लिए व्यय की प्रतिशतता
वित्त वर्ष 2022-23								
1	2215.01.191.98.00.35	दत्मत	1,35,57,00,000	85,57,30,000	60,57,30,000	70.79	60,57,30,000	70.79
2	2215.02.106.99.00.35	दत्मत	22,84,00,000	20,33,96,000	19,08,96,000	93.85	19,08,96,000	93.85
3	2217.05.191.94.00.35	दत्मत	4,44,00,00,000	2,11,40,59,000	2,11,40,59,000	100	2,11,40,59,000	100
4	3604.00.200.80.93.31	दत्मत	7,02,65,39,000	7,02,65,39,000	7,02,65,39,000	100	5,08,72,64,000	72.4
5	5054.04.101.77.00.53	दत्मत	35,00,00,000	34,52,62,520	21,94,90,999	63.57	19,61,20,194	56.8
6	5054.04.101.79.00.53	दत्मत	90,00,00,000	87,32,37,041	63,83,67,488	73.1	60,83,12,234	69.66
7	5054.04.337.86.00.53	दत्मत	35,00,00,000	34,75,07,595	21,16,18,234	60.9	20,09,74,913	57.83
8	6215.01.190.98.00.55	दत्मत	40,00,00,000	40,00,00,000	31,25,00,000	78.13	31,25,00,000	78.13
9	6215.01.191.75.00.55	दत्मत	1,28,23,00,000	1,28,22,73,000	90,72,73,000	70.76	90,72,73,000	70.76
10	6215.01.191.77.00.55	दत्मत	84,14,00,000	84,13,74,000	59,13,74,000	70.29	44,13,74,000	52.46
11	6215.02.191.85.00.55	दत्मत	1,04,18,00,000	1,04,17,99,000	84,17,99,000	80.8	84,17,99,000	80.8
12	6215.02.191.95.00.55	दत्मत	18,49,00,000	18,49,06,000	12,24,06,000	66.2	12,24,06,000	66.2
वित्त वर्ष 2023-24								
13	3054.04.105.97.96.27	दत्मत	3,75,00,00,000	3,71,48,10,292	3,69,72,57,787	99.53	2,27,91,02,286	61.35
14	4059.01.051.96.00.72	दत्मत	40,00,00,000	39,81,02,566	21,00,70,530	52.77	20,23,94,315	50.84
15	5054.04.337.94.00.73	दत्मत	2,53,00,00,000	2,51,17,53,400	1,40,01,05,879	55.74	1,35,20,00,203	53.83

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	बजट समूह	कुल बजट	कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता	मार्च में अनुपूरक सहित कुल व्यय	मार्च के लिए व्यय की प्रतिशतता
16	5054.04.337.95.00.73	दत्मत	2,74,00,00,000	2,71,00,96,593	1,58,71,35,407	58.56	1,55,00,95,770	57.20
17	6215.01.190.98.00.55	दत्मत	19,00,00,000	13,41,00,000	10,91,00,000	81.36	10,91,00,000	81.36
वित्त वर्ष 2024-25								
18	2217.80.191.03.00.35	दत्मत	15,54,00,000	15,53,50,000	15,53,50,000	100.00	15,53,50,000	100.00

परिशिष्ट 3.1

(पैराग्राफ 3.3 में संदर्भित)

31 मार्च 2025 तक देय, प्राप्त, समाशोधित और बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग का नाम	2024-25 के प्रारंभ में बकाया उ.प्र.		वर्ष 2024-25 के दौरान देय उ.प्र. का परिवर्धन		2024-25 के दौरान जारी उ.प्र.		2024-25 के अंत में बकाया उ.प्र.	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	शहरी विकास विभाग	0	0	198	7,960.27	97	6,318.35	101	1,641.92
2.	राजस्व विभाग	0	0	28	2,549.64	22	2,532.79	6	16.85
3.	पर्यटन विभाग	0	0	10	36.79	10	36.31	0	0.48
4.	शिक्षा निदेशालय	0	219.60	8	2,551.85	8	2,524.51	0	246.94
5.	उच्चतर शिक्षा निदेशालय	0	0	32	495.54	32	495.54	0	0
6.	दिल्ली विधान सभा	0	0	1	0.12	1	0.12	0	0
7.	कला, संस्कृति और भाषा विभाग	2	0	31	65.40	31	64.90	2	0.50
8.	पर्यावरण विभाग	0	0	4	28.02	4	28.02	0	0
9.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	0	0	2	3.63	2	3.43	0	0.20
10.	विधि विभाग	0	0.85	8	98.52	8	98.00	0	1.37
11.	विद्युत विभाग	0	3.59	1	20.81	1	21.33	0	3.07
12.	सामान्य प्रशासन विभाग	0	0	1	42.50	1	31.09	0	11.41
13.	परिवहन विभाग	0	197.99	12	2,930.53	10	2,942.77	2	185.76
14.	विकास विभाग	0	0	8	5.79	8	5.79	0	0
15.	परिवार कल्याण निदेशालय	0	0	3	97.09	3	97.09	0	0
16.	श्रम विभाग	0	0.05	0	0	0	0.05	0	0
17.	समाज कल्याण विभाग	1,167	37.58	58	1.61	93	2.44	1,132	36.75
18.	प्रशिक्षण और	0	0	9	276.28	9	276.28	0	0

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग का नाम	2024-25 के प्रारंभ में बकाया उ.प्र.		वर्ष 2024-25 के दौरान देय उ.प्र. का परिवर्धन		2024-25 के दौरान जारी उ.प्र.		2024-25 के अंत में बकाया उ.प्र.	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
	तकनीकी शिक्षा निदेशालय								
19.	आयुष निदेशालय	0	0	11	12.82	11	12.82	0	0
20.	महिला एवं बाल विकास निदेशालय	0	0	8	53.53	8	41.47	0	12.06
21.	स्वास्थ्य सेवा निदेशालय	9	741.12	116	1,534.45	116	1,783.47	9	492.10
22.	उद्योग विभाग	0	0.35	7	7.25	7	6.79	0	0.81
कुल		**1,178**	**1,201.13**	**556**	**18,772.44**	**482**	**17,323.36**	**1,252**	**2,650.22**

परिशिष्ट-3.2
(पैराग्राफ 3.4 में संदर्भित)
डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (महा पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायलय)

क्रम सं.	ए.सी. बिल सं. और दिनांक	आहरित राशि ₹ में	डी.सी. बिल सं. और दिनांक*** के अनुसार समायोजित किया गया	समायोजन में विलंब** (दिनों में)
1	811 दिनांक 25.04.2024	20,000	डी.सी.बि.-7202 दिनांक 08.01.2025	227
2	3213 दिनांक 02.08.2024	901	डी.सी.बि.-8477 दिनांक 01.03.2025	180
3	4859 दिनांक 01.10.2024	10,000	डी.सी.बि.-6936 दिनांक 20.12.2024	50
4	5460 दिनांक 24.10.2024	50,000	डी.सी.बि.-8075 दिनांक 07.02.2025	76
5	6272 दिनांक 27.11.2024	20,000	डी.सी.बि.-8661 दिनांक 11.03.2025	74
6	6973 दिनांक 07.02.2024	78,20,146	डी.सी.बि.-3865 दिनांक 30.08.2025	540
7	7003 दिनांक 24.12.2024	34,91,883	डी.सी.बि.-3865 दिनांक 30.08.2025	219
8	7363 दिनांक 13.01.2025	15,000	डी.सी.बि.-1394 दिनांक 16.05.2025	93
9	7589 दिनांक 18.01.2025	38,997	डी.सी.बि.-442 दिनांक 08.04.2025	50
10	7590 दिनांक 18.01.2025	33,028	डी.सी.बि.-3028 दिनांक 01.08.2025	165
11	7588 दिनांक 18.01.2025	15,000	डी.सी.बि.-8279 दिनांक 20.02.2025	03
12	7816 दिनांक 24.01.2025	50,000	डी.सी.बि.- 1349 दिनांक 16.05.2025	82
13	7950 दिनांक 01.02.2025	50,000	डी.सी.बि.- 1385 दिनांक 16.05.2025	74
14	7951 दिनांक 01.02.2025	50,000	डी.सी.बि.- 1350 दिनांक 16.05.2025	74
15	7952 दिनांक 01.02.2025	75,000	डी.सी.बि.- 444 दिनांक 07.04.2025	35
16	7953 दिनांक 01.02.2025	50,000	डी.सी.बि.- 3296 दिनांक 13.08.2025	163
17	7954 दिनांक 01.02.2025	30,000	डी.सी.बि.- 440 दिनांक 07.04.2025	35
18	8252 दिनांक 17.02.2025	50,000	डी.सी.बि.- 1305 दिनांक 16.05.2025	58
19	8433 दिनांक 21.02.2025	25,000	डी.सी.बी.- 3149 दिनांक 06.08.2025	136
20	8453 दिनांक 25.02.2025	12,000	डी.सी.बि.- 1355 दिनांक 16.05.2025	50
21	8472 दिनांक 25.02.2025	25,000	डी.सी.बि.- 3494 दिनांक 22.08.2025	148
कुल		**1,19,31,955**		

*** आर एंड पी नियमों के अनुसार 30 दिनों के अधिकतम निर्धारित समय को घटाने के बाद विलंब पर विचार किया गया।*

**** लेखापरीक्षिती के उत्तर में हस्तलिखित अंकन के बजाय, बिल के अंतिम दिनांक के अनुसार दिनांक लिए गए हैं।*

परिशिष्ट 3.3

(पैराग्राफ 3.4 में संदर्भित)

डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल)

क्रम सं.	ए.सी. बिल सं. और दिनांक	आहरित राशि ₹ में	डी.सी. बिल सं. और दिनांक के अनुसार समायोजित किया गया	समायोजन में विलंब** (दिनों में)
1	349 दिनांक 30.06.2022	2,86,950	डी.सी.बि.-411 दिनांक 17.06.2025	1,053
2	761 दिनांक 08.01.2009	4,500	डी.सी.बि.-522 दिनांक 05.07.2025	5,992
3	579 दिनांक 22.09.2007	3,180	डी.सी.बि.-556 दिनांक 11.07.2025	6,472
4	967 दिनांक 12.01.2008	27,733	डी.सी.बि.-551 दिनांक 10.07.2025	6,359
5	1370 दिनांक 03.11.2017	98,99,608	डी.सी.बि.-525 दिनांक 09.07.2025	2,775
6	975 दिनांक 24.12.2019	2,54,033	डी.सी.बि.-541 दिनांक 09.07.2025	1,994
7	274 दिनांक 16.07.2014	2,03,000	डी.सी.बि.-524 दिनांक 05.07.2025	3,977
8	393 दिनांक 04.07.2007	4,000	डी.सी.बि.-523 दिनांक 05.07.2025	6,546
9	378 दिनांक 31.08.2004	2,13,812	डी.सी.बि.-521 दिनांक 05.07.2025	7,583
10	779 दिनांक 27.10.2022	4,78,420	डी.सी.बि.-410 दिनांक 17.07.2025	963
12	580 दिनांक 22.07.2007	81,875	डी.सी.बि.-557 दिनांक 23.07.2025	6,546
13	840 दिनांक 04.12.2007	2,23,934	डी.सी.बि.-631 दिनांक 25.07.2025	6,413
14	205 दिनांक 25.05.2009	67,33,000	डी.सी.बि.-635 दिनांक 29.07.2025	5,879
15	124 दिनांक 25.05.2009	79,50,000	डी.सी.बि.-636 दिनांक 29.07.2025	5,879
16	206 दिनांक 07.01.2016	38,00,000	डी.सी.बि.-637 दिनांक 29.07.2025	3,461
17	179 दिनांक 10.05.2008	10,12,000	डी.सी.बि.-638 दिनांक 29.07.2025	6,260
18	1523 दिनांक 07.02.2017	16,20,093	डी.सी.बि.-640 दिनांक 29.07.2025	3,064
19	1637 दिनांक 19.03.2015	2,00,000	डी.सी.बि.-646 दिनांक 01.08.2025	3,758
कुल		**3,29,96,138**		

*** आर एंड पी नियमों के अनुसार 30 दिनों के अधिकतम निर्धारित समय को घटाने के बाद विलंब पर विचार किया गया।*

परिशिष्ट 3.4

(पैराग्राफ 3.4 में संदर्भित)

डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (लोक नायक अस्पताल)

क्रम सं.	ए.सी. बिल सं. और दिनांक	आहरित राशि ₹ में	डी.सी. बिल सं. और दिनांक के अनुसार समायोजित किया गया	समायोजन में विलंब** (दिनों में)
1	5114 दिनांक 10.05.2021	50,00,000	डी.सी.बि.-5333 दिनांक 31.03.2025	1,391
2	5167 दिनांक 19.05.2021	50,00,000	डी.सी.बि.-5335 दिनांक 31.03.2025	1,382
3	5131 दिनांक 13.05.2021	50,00,000	डी.सी.बि.-5334 दिनांक 31.03.2025	1,388
4	1545 दिनांक 20.03.2010	7,12,935	डी.सी.बि.-5322 दिनांक 29.03.2025	5,458
कुल		**1,57,12,935**		

***सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार 30 दिनों के अधिकतम निर्धारित समय को घटाने के बाद विलंब पर विचार किया गया।*

परिशिष्ट 3.5
(पैराग्राफ 3.4 में संदर्भित)
डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला)

क्रम सं.	ए.सी. बिल सं. और दिनांक	आहरित राशि ₹ में	डी.सी. बिल सं. और दिनांक के अनुसार समायोजित किया गया	समायोजन में विलंब** (दिनों में)
1	302 दिनांक 01.09.2015	48,11,948	डी.सी.बि.-297 दिनांक 19.08.2025	3,610
2	27 दिनांक 21.04.2015	24,78,570	डी.सी.बि.-295 दिनांक 19.08.2025	3,743
3	525 दिनांक 09.11.2016	25,13,536	डी.सी.बि.-293 दिनांक 19.08.2025	3,175
4	701 दिनांक 13.02.2018	11,92,210	डी.सी.बि.-292 दिनांक 19.08.2025	2,715
5	17 दिनांक 17.04.2018	11,37,846	डी.सी.बि.-291 दिनांक 19.08.2025	2,651
6	132 दिनांक 28.07.2023	1,82,221	डी.सी.बि.-238 दिनांक 04.08.2025	708
7	191 दिनांक 10.07.2015	78,03,982	डी.सी.बि.-221 दिनांक 19.07.2025	3,632
8	380 दिनांक 04.09.2017	20,49,496	डी.सी.बि.-220 दिनांक 19.07.2025	2,845
9	379 दिनांक 04.09.2017	24,96,738	डी.सी.बि.-219 दिनांक 19.07.2025	2,845
10	137 दिनांक 01.06.2017	17,23,745	डी.सी.बि.-218 दिनांक 19.07.2025	2,941
11	479 दिनांक 08.03.2024	1,41,600	डी.सी.बि.-66 दिनांक 13.05.2025	402
कुल		**2,65,31,892**		

***सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार 30 दिनों के अधिकतम निर्धारित समय को घटाने के बाद विलंब पर विचार किया गया।*

परिशिष्ट 3.6
(पैराग्राफ 3.4 में संदर्भित)
डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (पुरातत्व विभाग)

क्रम सं.	ए.सी. बिल सं. और दिनांक	आहरित राशि ₹ में	डी.सी. बिल सं. और दिनांक के अनुसार निपटाया गया	निपटान में विलंब
1	ए.सी.बि.- 151 दिनांक 30.08.2023	31,09,278	डी.सी.बि.-36 दिनांक 01.05.2025	580
2	ए.सी.बि.- 342 दिनांक 06.03.2024	5,80,00,000	डी.सी.बि.-53 दिनांक 19.05.2025	409
कुल		**6,11,09,278**		

***सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार 30 दिनों के अधिकतम निर्धारित समय को घटाने के बाद विलंब पर विचार किया गया।*

परिशिष्ट 3.7

(पैराग्राफ 3.10 (ii) में संदर्भित)

ऋण और अग्रिमों का बकाया

क्रम सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र/अन्य ऋणी का नाम	31 मार्च 2025 तक बकाया राशि *(₹ लाख में)*			प्रारंभिक अवधि जिससे बकाया संबंधित है	लंबित रहने की अवधि (वर्षों में)
		मूलधन	ब्याज	कुल		
1.	दिल्ली नगर निगम	3,75,226.83	4,69,851.22	8,45,078.05	1950-51	74 वर्ष
2.	दिल्ली जल बोर्ड	40,11,103.11	44,17,592.14	84,28,695.25	1998-99	26 वर्ष
3.	दिल्ली शहरी आश्रय निवेश बोर्ड	1,25,520.76	97,206.5	2,22,727.26	2011-12	13 वर्ष
4.	दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड	315.05	0	315.05	1977-78	47 वर्ष
5.	दिल्ली एस.सी. वित्तीय विकास निगम दिल्ली	6,876.06	4,431.57	11,307.63	1987-88	37 वर्ष
6.	दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससीएल)	436.34	1,590.88	2,027.22	1998-99	26 वर्ष
7.	दिल्ली वित्तीय विकास निगम	3,300.00	3,790.98	7,090.98	2015-16	09 वर्ष
8.	सहकारी संस्थाएं	61.33	249.04	310.37	1962-63	62 वर्ष
9.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	0	3,753.94	3,753.94	2018-19	06 वर्ष
10.	दिल्ली विद्युत कंपनी लिमिटेड	3,32,639.00	4,23,248.43	7,55,887.43	2014-15	10 वर्ष
11.	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	4,592.63	4,592.63	2014-15	10 वर्ष
12.	इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल)	0	33,769.37	33,769.37	2012-13	12 वर्ष
13.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	225.00	1,206.90	1,431.90	1979-80	45 वर्ष
14.	दिल्ली परिवहन निगम	11,67,614.46	82,51,115.36	94,18,729.82	1996-97	28 वर्ष
15.	इंद्रप्रस्थ सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)	48,000.00	0	48,000.00	2008-09	16 वर्ष
16.	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम	0	637.74	637.74	1973-74	51 वर्ष
17.	दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	119.82	773.56	893.38	2005-06	19 वर्ष
18.	उद्योग	8.39	387.32	395.71	1981-82	43 वर्ष
	कुल योग	**60,71,446.15**	**1,37,14,197.58**	**1,97,85,643.73**		

परिशिष्ट 3.8

(पैराग्राफ 3.10 (iii) में संदर्भित)

वित्त लेखाओं के विभिन्न विवरणों में निवेश संबंधी संचयी आंकड़ों में अंतर

क्रम सं.	विवरण सं.11 में दर्शाया गया निवेश	राशि (₹ हज़ार में)
1	4216.80.201- आवास बोर्ड में निवेश	3,00,200
2	4217.01.190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	70,000
3	4217.02.190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	35,07,500
4	4225.01.190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	2,34,887
5	4425.00.107- क्रेडिट सहकारियों में निवेश	4,852
6	4425.00.108- अन्य सहकारियों में निवेश	1,557
7	4425.00.200- अन्य निवेश	4,531
8	4801.05.190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	7,10,67,800
9	4853.60.190- निवेश में जनता क्षेत्र और अन्य उपक्रम	31,800
10	4885.01.190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	1,73,500
11	5055.00.190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	14,53,53,442
12	5452.80.190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	2,43,181
	2024-25 के अंत में निवेश की संचयी राशि जो विवरण सं.11 में दर्शाई गई है	22,09,93,250
	विवरण सं.12 और विवरण सं.12 के अनुलग्नक में दर्शाई गई राशि	21,81,00,891
	विवरण सं.12 में दर्शाए गए आंकड़े और कुल के संचयी आंकड़े के बीच अंतर (13-14)	**28,92,359**

परिशिष्ट 3.9
(पैराग्राफ 3.10 (vi) में संदर्भित)
मार्च 2025 के अंत तक निवेश का विवरण

(₹ हज़ार में)

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	2024-25 तक निवेश
1	दिल्ली सहकारी आवास वित्त-पोषण सोसाइटी लिमिटेड	3,02,600
2	अन्य सहकारी समितियां	3,748
3	श्रमिक सहकारी समितियां	180
4	उपभोक्ता सहकारी समितियां	9,296
5	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	8,003
6	मुर्गी पालन सहकारी समितियां	10
7	संयुक्त खेती सहकारी समितियां	219
8	विपणन सहकारी समितियां	159
9	कृषि ऋण समितियां	1,423
10	दिल्ली वित्त निगम	1,80,500
11	दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम	3,81,252
12	दिल्ली मेट्रो रेल निगम	12,44,14,752
13	दिल्ली परिवहन निगम	1,98,38,500
14	डीआईएमटीएस लिमिटेड	73,045
15	इंद्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	59,65,400
16	दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड	3,69,10,000
17	दिल्ली विद्युत कंपनी लिमिटेड	74,50,500
18	प्रगति पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,07,41,900
19	डीटीआईडीसी लिमिटेड	10,60,660
20	जियोस्पेसियल दिल्ली लिमिटेड	1,07,633
21	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम	1
कुल		**21,74,49,781**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/new-delhi/hi